खण्ड-263, अंक-3
गुरूवार, 28 माघ, शक संवत् 1887
(17 फरवरी, 1966 ई0)

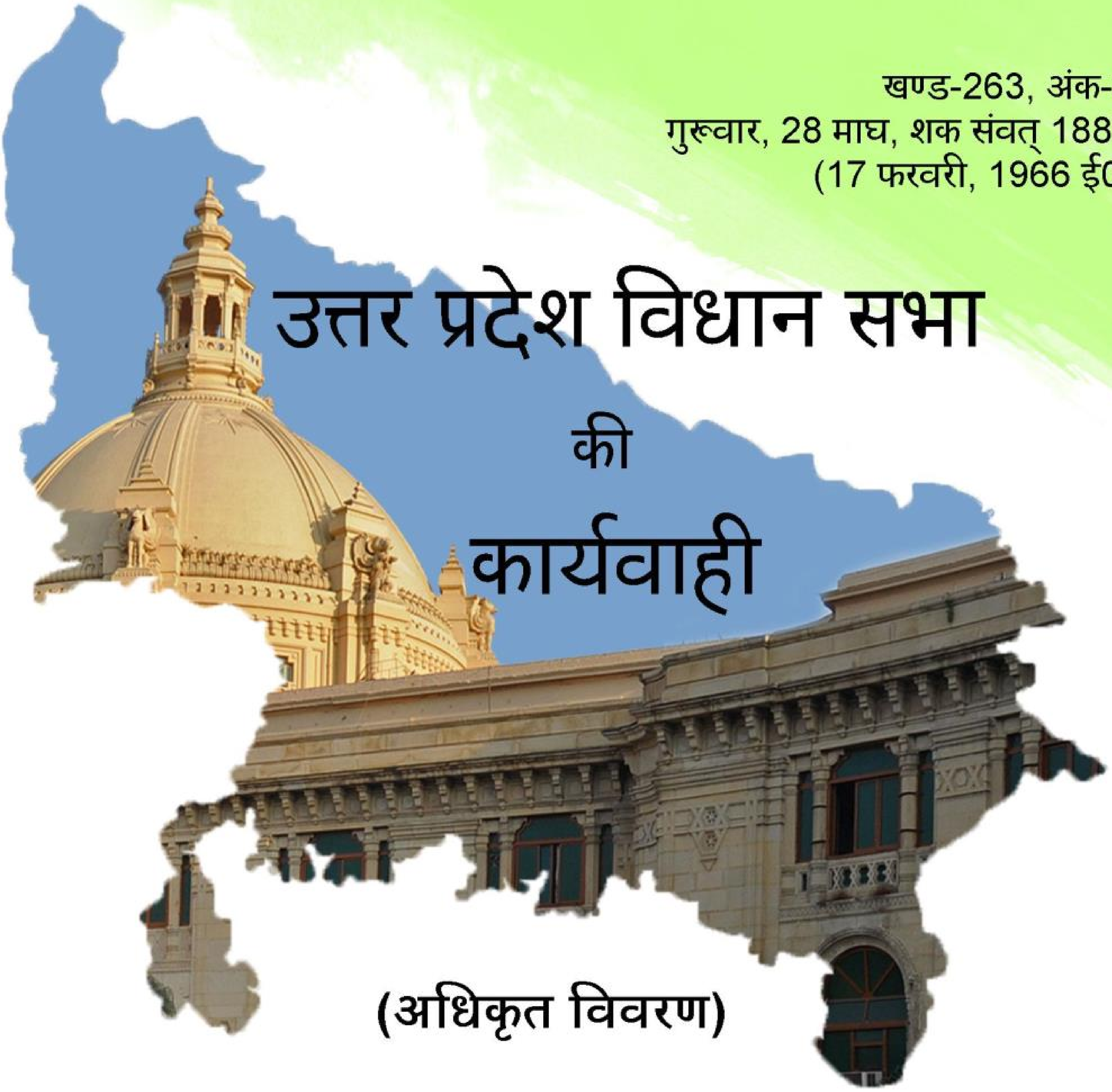

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
30 JUN 1966
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १७ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३७३

अक्षयबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर,श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
निशाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परसाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रसाद शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवबनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १७ फरवरी, १९६६

---

८ अप्रैल, १९६५ को श्री मोहनलाल वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ७०–७२ के संशोधित उत्तर

मूल प्रश्न

*७०—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी, कि पिहानी थाना, जिला हरदोई में पिहानी (नगरपालिका के अन्दर) और थाने के पास श्री मुजतबा हुसैन उर्फ मुज्जन साहब की तिजोरी तोड़ कर रात को चोरी हुई जिस में उन की ला इसेंसी बन्दूक भी गयी थी? यदि हां, तो कब और कितनी रकम उस में गयी?

*७१—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त चोरी में दूसरे दिन ही उन की बन्दूक उनके मकान के पीछे एक पेड़ के पास

मूल उत्तर

७०—दिनांक १२-१३ अक्तूबर, १९६४ की रात्रि में श्री मुजतबा अली, निवासी मुहल्ला कोर्ट, कस्बा पिहानी के मकान में चोरी हुई जिस में एक तिजोरी तोड़ने की कोशिश की गयी लेकिन तिजोरी टूटी नहीं और न तिजोरी में से कोई सामान ही चोरी हुआ।

वादी के कथनानुसार उस की एक इकनाली बन्दूक तथा अन्य ४०० रु० मूल्य का सामान चोरी हुआ था।

७१–७२—इस बन्दूक की बरामदगी घटना के दूसरे दिन नहीं हुई बल्कि यह बन्दूक ठीक हालत में दिनांक १० फरवरी, १९६५ को

टूटी हुई पुलिस ने बरामद की और वह भी मुजतबा हुसैन तथा पुलिस कप्तान से वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मिलकर बताया कि बन्दूक बरामदगी के बाद पुलिस खामोश है, क्योंकि उस में एक हवलदार की भी साजिश थी ?

७२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह बन्दूक किस तारीख को बरामद हुई और मालखाने में किस तारीख में जमा हुई और उस पर क्या कार्यावाही हो रही है ?

सूचना मिलने पर पुलिस को गलियारा नई बस्ती के पश्चिम में एक पेड़ के सहारे लगी प्राप्त हुई । इस घटना के सम्बन्ध में श्री मुजतबा अली पुलिस अधीक्षक से नहीं मिले और न किसी ने हवलदार के विरुद्ध इस चोरी में साजिश का आरोप लगाया और न अन्वेषण से ही ऐसा मालूम हुआ । दिनांक १० फरवरी, १९६५ से ही बन्दूक मालखाने में दाखिल है जिस पर अन्वेषण के बाद अदालत की आज्ञा प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जायगी ।

संशोधित उत्तर इस प्रकार है जिसका बाद में पता चला :

७१-७२—यह बन्दूक ठीक हालत में दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ को सूचना मिलने पर पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूर एक पेड़ के सहारे लगी प्राप्त हुई । इस घटना के सम्बन्ध में श्री मुजतबा अली पुलिस अधीक्षक से नहीं मिले और न किसी ने हवलदार के विरुद्ध इस चोरी में साजिश का आरोप लगाया और न अन्वेषण से ही ऐसा मालूम हुआ । यह बन्दूक दिनांक १० फरवरी, १९६५ को मालखाने में जमा हुई जिस पर अदालत की आज्ञा प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जायगी । बन्दूक की बरामदगी की गलततिथि दिखाने के लिए सम्बन्धित पुलिस, कर्मचारी को दण्ड दे दिया गया है ।

हरगोविन्दसिंह
गृह मन्त्री ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला बुलन्दशहर में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिल सकना

*१—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कक्षा ६ से कक्षा १० तक के छात्रों की छात्रवृत्ति सन् १९६४ व १९६५ की अभी तक ४ मास की नहीं दी गई ? सैकड़ों छात्र परेशान हैं क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां । १९६४-६५ में जिले के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हो जाने के कारण । अब अतिरिक्त धन स्वीकृत कर दिया गया है । शीघ्र भुगतान हो जायगा ।

*२—श्री जसरामसिंह (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीराम प्रसाद, हरिजन अधिकारी, बुलन्दशहर की छात्रवृत्ति की अनियमितताओं की रिपोर्ट जिलाधीश बुलन्दशहर से आ गई है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

थाना कोठी के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि थाना कोटी, जिला बाराबंकी के ग्राम चकसार में दो दलों में अभी हाल में गोली चलने से एक दर्जन व्यक्ति मर गये और ग्राम मंझिगावां के कुछ गुन्डे एक लड़की को उठा ले गये तथा कस्बा सिद्धौर के एक मुराई की गाय की चोरी से हत्या कर दी गई जिसके बारे में गत १५ दिनों के भीतर उक्त थाना पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी एवं डी० आई० जी० पुलिस लखनऊ को संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये और इन घटनाओं की वजह से थाने के क्षेत्र में भय, आतंक तथा उत्तेजना का वातारण व्याप्त है ? यदि हां तो सरकार ने उक्त स्थिति को ध्यान में रख कर क्या कदम उठाये हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त))—

ग्राम चकसार, जिला बराबंकी में दिनांक ७–८–५५ को दो दलों के बीच एक बलवा हुआ जिसमें बन्दूक, लाठी कांता तथा बल्लम का प्रयोग किया गया। इस बलवे में ४ व्यक्ति मारे गये इस संबंध में दो मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

ग्राम मंझिगावां में दिनांक ८–६–६५ को कुछ व्यक्तियों द्वारा एक लड़की भगाये जाने की घटना हुई। इस संबंध में भी कुछ व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है।

ग्राम सिद्धौर में गाय की चोरी से हत्या किये जाने की घटना के संबंध में दिनांक ३१–३-६५ को थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर धारा ३७९/४२९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मामला दर्ज करके जांच की गई किन्तु संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सबूत नहीं प्राप्त हुआ अतः जांच समाप्त कर दी गई। ग्राम सिद्धौर की घटना के संबंध में केवल पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दिनांक २–४–६५ तथा १३–८–६५ को दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे।

ग्राम चकसार एवं मझिगावां की घटनाओं से जनता में किसी प्रकार का भय, आतंक अथवा उत्तेजना का वातावरण व्याप्त होने की कोई सूचना नहीं है। ग्राम सिद्धौर की घटना के संबंध में भी अब जनता में किसी प्रकार का भय आतंक आदि व्याप्त नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंझिगावां में लड़की उठाने के संबंध में जो नामजद रिपोर्ट हुई थी, उनमें किन-किन व्यक्तियों का चालान हुआ था और जिनका चालान नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जितने व्यक्तियों का नाम लिया गया था, सब का चालान हुआ। जसराज का भी चालान हुआ जिसके यहां से लड़की बरामद हुई थी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धौर में जो गाय की चोरी की घटना हुई, इस संबंध में एस० पी० और कुछ अधिकारियों को भी शिकायत आयी तो क्या इस घटना की जांच थानेदार ने ही की, अथवा स्वंय एस० पी० या डी० एस० पी० ने की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जांच इसमें बाद में हुई लेकिन न्यायालय में भी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार हो गयी है। जिनके ऊपर शक था उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चकसार ग्राम में पहले दो दलों में बल्वा हुआ लेकिन इसके बावजूद फिर दूसरे दिन यह बल्वा हुआ जिसमें गोली, कांता और बल्लम चले और उनका खुलकर प्रयोग किया गया और ४ आदमी मरे बताये गये लेकिन मेरी सूचना है कि ६-७ आदमी मरे जिनको मौके से हटा दिया गया और नदी में फेंक दिया। तो क्या माननीय मंत्री जी किसी जरिये से इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि ठीक-ठीक कितने आदमी मारे गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें ४ आदमी ही मारे गये। चारों का पोस्ट मार्टम भी हुआ। सब आदमी भी गिरफ्तार हुये जितने लिखाये गये। इस समय न्यायालय में सेशन जज के सामने मुकदमा चल रहा है। हम उसमें अब क्या जांच करा सकते हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिया गया।]

मुरादाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराना

*२--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित) (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि दिनांक १५ अगस्त १९६५ को मुरादाबाद में जो योमे आजादी का जलूस निकला तो जलूस में किसी पार्टी विशेष का ही झंडा था और टाउन हाल में जब मंत्री महोदय ने झंडा फहराने की रसम अदा की तो राष्ट्रीय झंडे के बजाय कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया ? यदि हां तो ऐसा क्यों किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि उस उत्सव में भाग लेने के लिये सभी दलों के और सरकारी कर्मचारी भी गये थे और कुछ लोगों ने कांग्रेस का झंडा फहराये जाने पर एतराज भी किया था, परन्तु फिर भी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

एशियन बैडमिण्टन प्रतियोगिता

*४--श्री विजय सिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर १९६५ में लखनऊ में होने वाले एशियन बैडमिन्टन प्रतियोगिता में सरकार ने क्या आर्थिक सहयोग प्रदान किया और उसके प्रबन्ध में किस प्रकार का सरकार का हाथ था ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् के माध्यम से सरकार ने कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया और न एशियन बैडमिन्टन प्रतियोगिता के प्रबन्ध में सरकार का कोई हाथ था।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि एशियन बैडमिन्टन टूर्नामेन्ट को खेल कूद परिषद् के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता दी गयी अथवा नहीं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

कोई सहायता नहीं दी गयी।

सहकारी संस्थाओं में सरकारी धन

*५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि सहकारिता के आधार पर कौन-कौन उद्योग उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से चल रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकार की ओर से सहकारिता के आधार पर प्रदेश में कोई उद्योग नहीं चलाया जा रहा है। परन्तु सरकार ने कुछ सहकारी संस्थाओं के हिस्से में धन लगा रखा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

		रु०
१—यू० पी० कोआपरेटिव एसोसियेशन, कानपुर	..	४,८४,७००
२—यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल, इटावा	..	३८,३५,०००
३—बागपत शुगर फैक्टरी, मेरठ	.. ..	१९,९९,५००
४—बाजपुर शुगर फैक्टरी, नैनीताल	.. ..	१९,९९,८००
५—सरसावा शुगर फैक्टरी, सहारनपुर	.. ..	२४,९९,९००
६—मझोला शुगर फैक्टरी पीलीभीत	.. ..	२४,९९,९००

इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों की अनेक सहकारी समितियां भी प्रदेश में संगठित की गई है, जैसे प्रोसेसिंग सोसाइटीज तथा कुम्हारी, तेल पेरने शुगर बनाने आदि की समितियां।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बतलायेगी कि सहकारिता के आधार पर उद्योग न चलाने का कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसका आधार ही सहकारिता है। सरकार के द्वारा चलने का प्रश्न कहां हुआ ? सोसाइटी बन गयी और उन्होंने अपना उद्योग चला लिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यूपिका, कानपुर और इटावा स्पिनिंग मिल की बैलेन्श शीट कब से प्राप्त नहीं हुई और यदि प्राप्त नहीं हुई तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इटावा स्पिनिंग मिल सन् ६४ में बन कर तैयार हुई है। बैलेंस शीट साधारणतया एक साल के बाद बनती है लेकिन इसमें बीच में बरसात के कारण छत खराब हो जाने से काम बन्द हो गया है जिससे टाइम ज्यादा लग गया और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स नया नहीं बन पाया है और बैलेन्स शीट नहीं आ पाई है। उनसे जवाब तलब किया गया है कि बैलेन्स शीट क्यों नहीं आई है।

यूपिका ६३ में बनी है। ६३ में ढाई लाख का और ६४ में २ लाख २४ हजार का नुकसान हुआ है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

बागपत, बाजपुर, सरसावा तथा मझौला शुगर मिल में जब तक चीनी का कंट्रोल नहीं हुआ था प्रति वर्ष १० लाख का घाटा क्यों दिखाया गया है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पहले क्या हुआ यह मुझे पता नहीं है लेकिन ६४–६५ की स्थिति मेरे सामने है। बागपत शुगर मिल में ५.०९ लाख रुपये का फायदा हुआ। बाजपुर में २६ लाख रुपये का फायदा हुआ। सरसावा में ८ लाख रुपये का नुकसान हुआ। मझौला शुगर मिल अभी चालू हुई है ६५ में, उसके आंकड़े मेरे समक्ष नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

जिन-जिन संस्थाओं में सरकार ने अपनी पूंजी लगाई है उनके प्रबन्ध में सरकार का हाथ है और जो पूंजी लगाई है वह सुरक्षित है, इसकी कोई योजना क्या सरकार ने बनाई है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, सरकार का प्रबन्ध में हाथ है। एक कमेटी होती है जिसके सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज चेयरमैन होते हैं और कलेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सरकार खयाल रखती है कि पूंजी का नुकसान न हो जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने सहकारिता के आधार पर जो २–४ शुगर मिल्स प्रदेश में खोलने की अनुमति प्रदान की है उस स्कीम में क्या हो रहा है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन् यह सही है कि भारत सरकार ने कहा है कि अगर सहकारिता के आधार पर चीनी मिल लगाई जायं तो इजाजत दे दी जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग विभाग जो सहकारी संस्थाओं को वह या जो उनके शेयर्स खरीदते हैं वह रुपया किस प्रकार इनवेस्ट किया जाता है और यदि सूद लिया जाता है तो किस हिसाब से?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, रुपया लगाया जाता है शेयर कैपेटिल में और जो इस्तेमाल हो सकता है वह उद्योग द्वारा होता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस हिस्से के रुपये के अलावा कितना-कितना रुपया संस्थाओं को कर्ज के रूप में दिया गया है जिसकी आज तक सरकार को वापसी नहीं हुई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहकारिता के आधार पर वे आग्नेय अस्त्रों की यानी बन्दूक की फैक्टरी लगाने जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, अन्दाजा कीजिये कि चीनी बनते-बनते बन्दूक बनने लगीं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सहकारिता के आधार पर जो चीनी मिलें खोलने के लिये अनुमति दी गई हैं उस संबंध में सुल्तानपुर में छानबीन की गई है तो क्या उनकी लिस्ट में गाजीपुर और सुल्तानपुर हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, छानबीन तो हर जिले में की जाती है लेकिन जहां डायरेक्टर समझते हैं कि आसानी से खुल सकती हैं वहां खोल देते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हिस्से की पूंजी के अलावा अन्य पूंजी लगी है उसका भी संरक्षण दे रखा है घाटे से ? इसलिये सरकार को इस समय कुल योजनाओं में कितना रुपया घाटे के रूप में देना पड़ा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है और इससे सवाल का कोई संबंध नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह बता दें कि सरकार को कितना घाटा पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरसावा शुगर मिल में जो ८ लाख रुपये का घाटा हुआ है उसका क्या कारण है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

इस बात को देखते हुए कि उन्नाव जिले में एक शुगर मिल थी वह भी बन्द हो गयी है तो क्या सरकार वहां एक शुगर मिल खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री टब्रेश्वरप्रसाद—

यदि सरकार इन उद्योगों को लाभकारी नहीं बना सकती तो फिर क्या इन उद्योगों से वह गारन्टी और अपनी पूंजी का रुपया निकालने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नुकसान नहीं हुआ है और उस रुपये से मुनाफे पर उद्योग चल रहे हैं।

[१७ फरवरी १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद में उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

*१—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में किन-किन लोगों के कच्चे माल के कोटे १ अप्रैल, १९६४ से अब तक बन्द किये गये और किन कारणों से बन्द किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१ अप्रैल, १९६४ के बाद मेसर्स ब्रासवेयर वर्कर्स यूनियन मुगुलपुरा, मुरादाबाद का तांबे व जस्ते का कोटा बन्द किया गया क्योंकि यूनियन का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने स्थगित कर दिया है।

*२—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद शहर में कच्चा माल न मिलने की वजह से जो ग्लासवेयर उद्योग पर बुरा असर पड़ा है उसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

२—ब्रासवेयर उद्योग को कच्चा माल न मिलने से विशेष संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर तो उनका उत्पादन कम हो गया और दूसरी ओर कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादित वस्तुओं का दाम बढ़ गया है इस कारण उनको बाजार में बेचना कठिन पड़ रहा है यही हाल उन इकाइयों का भी है जो निर्यात में लगी हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ये लोग अलुमिनियम का प्रयोग करें या अन्य इंजीनियरिंग उद्योग की ओर लग जाय। जिसके लिये उनको उचित सहायता भी प्रदान की जा रही है।

*३—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि ग्लासवेयर्स एक्सपोर्ट को जो ७० फीसदी कोटा मिलता था जो कि अब बन्द कर दिया गया है इसके असर से एक्सपोर्ट पर कितना नुकसान हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ब्रासवेयर एक्सपोर्टर्स को पहले ३६ प्रतिशत निर्यात इन्सेन्टिव मिलता था जो बन्द नहीं किया गया है बल्कि उसको बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु इकेयर्स इन्डस्ट्रियल मेटेरियल कन्ट्रोल आर्डर के लागू होने के कारण इन्सेन्टिव में आये माल को बेच नहीं सकते हैं जिससे उनका नुकसान पूरा हो सके। जिसके फलस्वरूप निर्यात में कमी हो गई है।

अधिकतर इकाइयां नये आर्डर नहीं ले रही हैं वे केवल पुराने आर्डर का माल ही भेज रही हैं।

पाकिस्तान से संबंध रखनेवालों के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निरस्त करने का सुझाव

*४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत से पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण संबंधों एवं पाकिस्तानी घुसपैठियों तथा पंचमांगियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से वह प्रदेश के उन सभी हिन्दू, अहिन्दू नागरिकों के आग्नेयास्त्रों की अनुज्ञप्तियों (लाइसेन्स) निरस्त करने को सोच रही है जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नियमानुसार जिन आधार पर आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं, उनमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जिन लाइसेन्सदारों के संबंधी किसी विदेश के नागरिक अथवा निवासी हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मंत्री जी कृपया एक स्पष्टीकरण पहले कर दें कि इसमें जो "विदेश" शब्द आया है उनके उत्तर में उसका संबंध क्या पाकिस्तान से है या किसी अन्य विदेश से हैं?

श्री अध्यक्ष—

पाकिस्तान से ही हो सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

नहीं, विदेश नहीं हमारे प्रश्न में शत्रु देशों के लिये है सभी विदेशों के लिये नहीं है। तो मंत्री जी बतायें कि उनका मतलब किससे है शत्रु देशों से या अन्य देशों से भी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रश्न में जो कुछ है उसी से मतलब है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, ये नाम नहीं लेना चाहते तो न लें लेकिन यह बतलावें कि विगत दो लड़ाइयों में अनुभव लेकर क्या सरकार अपने कानून में कोई इस प्रकार का परिवर्तन करने पर विचार कर रही है कि जब भी किसी विदेश से लड़ाई हो और यहां के नागरिक जिसके पास आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स हैं अगर कोई उसका संबंधी उस विदेश में है जिससे लड़ाई है उसका लाइसेन्स रद्द हो सके?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

आर्म्स ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है। राज्य सरकार का वह ऐक्ट नहीं है न हो सकता है। वह हमारी लिस्ट में नहीं है। संशोधन अगर होगा तो सेन्ट्रल गवर्नमन्ट का वह विषय है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी सेन्ट्रल गवर्नमन्ट को यह सुझाव देने की कृपा करेंगे कि वह आर्म्स ऐक्ट में इस प्रकार के संशोधन तुरन्त करे जिससे समय आने पर उसका प्रयोग किया जा सके?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेशीय सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार को सूचना है कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान चले गये हैं उनके शस्त्रास्त्र आज तक इस प्रदेश में रिन्यु होते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब तक सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट उस कानून में संशोधन नहीं करती तब तक इस प्रश्न के अनुसार किसी सम्भावित खतरे से बचाव के लिये आप अन्य प्रिकाशन बरतने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो लाइसेन्स देने के अधिकारी हैं ऐक्ट के मुताबिक वे इसकी जांच पड़ताल करते हैं। जिनको आर्म्स के लाइसेन्स दिये जाते हैं उनके लिये यह जरूरी है कि व इंडियन नेशनल हों। जिनके पास लाइसन्स होता है उनके ऊपर कड़ी निगाह रखी जाती है। इस लिये और कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जो पुलिस लाइसेन्स देने के संबंध में जांच करती है उसमें पुलिस को यह आदेश देंगे कि वह यह भी देख ले कि उनका चालचलन ठीक है और उनका कोई संबंधी पाकिस्तान या चीन में तो नहीं रहता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके चालचलन की जांच पहले कर ली जाती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि जिले सीतापुर के महमूदाबाद रियासत के महाराजा जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली है उनके नाम आग्नेयास्त्र का लाइसेन्स चल रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि एक साथ ३ वर्ष के लिये जो लाइसेन्स रिन्यू करा लेते हैं वह प्रति वर्ष रिन्यू करा लिया करें जिससे इस बात की सूचना हो जाय कि वह सम्बन्धित व्यक्ति बाहर तो नहीं चला गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

लाइसेन्स रिन्यूवल के लिये जब दरख्वास्त पड़ती है तो जिसके नाम लाइसेन्स होता है वही दरख्वास्त देता है और तभी उसका लइसेन्स रिन्यू होता है।

श्री विजयसिंह—

अगर एक आदमी ३ वर्ष पहले कोई दरख्वास्त दे दे तो ३ वर्ष तक उसका लाइसेन्स बना रहता है और वह बाहर भी जा सकता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ३ वर्ष के लिये उनका लाइसेंन्स न हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह भेद भाव कैसे बरता जा सकता है। जब ऐक्ट के मुताबिक यह लाइसेन्स दिया है तो चाहे वह तीन साल के लिये हो या एक साल के लिये हो सब नागरिकों के लिये एक ही नियम है। किसका चाल चलन कितना अच्छा रहा इसके लिये अलग से नियम नहीं बनाये जा सकते।

*५-६—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

[७ फरवरी, १९६६ को प्रश्न संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सुरक्षा कोष

*७—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गत चीनी आक्रमण के दौरान में कुल कितना सुरक्षा कोष एकत्र किया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत चीनी आक्रमण के दौरान प्रदेश में कुल ६,९०,३५,०६०.९२ रु० सुरक्षा कोष में एकत्र हुआ था।

*८—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उसमें अब तक कुल कितना किस-किस काम में व्यय किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसमें से ५,३४,२५,२६८.७४ रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (केन्द्रीय) को भारत सरकार के आदेशानुसार भेजा गया तथा केवल १,५६,०९,७९२.१८ रु० प्रदेश में व्यय किया गया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

	रु०
(१) सीमा पर तैनात सैनिकों को वस्तुओं के रूप में उपहार के लिये	८१,५१३.६८
(२) आई० जी० पुलिस को सीमा पर तैनात पुलिस फोर्स वैलफेयर फंड के लिये	१,००,०००.००
(३) यू० पी० नागरिक परिषद् को ..	४,२५,०००.००
(४) यू० पी० पुलिस एवं आर्म्मड फोर्सेज सहायता संस्थान को (स्टम्प तथा रजिस्ट्रेशन-व्यय सहित) ..	१,५०,०३,२७८.५०
योग ..	१,५६,०३,७९२.१८

*९—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि उस धनराशि में से लगभग आधी धनराशि निकाल कर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त की अध्यक्षता और नियंत्रण में एक अलग (जवानों की भलाई के लिये) कोष की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण देने की कृपा की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। केवल १,५०,००,०००.०० रु० से यू० पी० पुलिस एवं आर्म्मड फोर्सेस सहायता संस्थान की स्थापना मंत्री परिषद् के आदेशानुसार की गई जिसके सभापति श्री राज्यपाल जी तथा ९ अन्य सदस्य हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्मड फोर्सेस, जो देश की सीमा की रक्षा के लिये तैनात हैं अथवा जो वहां लड़ाई में वीरगति पा गये या अपाहिज हो गये हैं तथा उनके वारिसान इस संस्थान से सहायता, पाने के अधिकारी हैं। यह सहायता संस्थान की निधि से प्राप्त ब्याज से दी जाती है तथा निम्न कार्यों पर व्यय की जाती है :

(अ) सहायता पाने वाले व्यक्तियों की शिक्षा पर;

(ब) उनके स्वास्थ्य पर;

(स) उनके पुनर्वासिन पर;

(द) सामूहिक लाभ की संस्थाओं पर जो ऐसे क्षेत्र में हों जहां पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य अधिकतर रहते हैं।

(घ) अन्य कार्यों पर जिनको कि संस्थान के ट्रस्टी उपरोक्त व्यक्तियों के हित में समझें।

बापू इंटर कालेज, पीपीगंज बन्द करने पर आपत्ति

*१०—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बापू इंटर कालेज पीपीगंज, गोरखपुर, दिनांक, ६ अगस्त १९६५ को एक पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु पर शोक मनाने के लिये सम्पूर्ण दिन बन्द रहा ? यदि हां, तो क्यों ? और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। कालेज वहां के अध्यापक श्री राम अवध प्रसाद के अभिभावक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के पश्चात् बन्द किया गया था।

*११—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उक्त मृत्त व्यक्ति का भाई उपरोक्त विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी का सदस्य है और वह संभवतः इस समय पूर्वी पाकिस्तान में है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को मैनेजिंग कमेटी में क्यों रखा गया है, जिसका सम्बन्ध पाकिस्तान से है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

*१२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त विद्यालय के उक्त सदस्य के छोटे भाई इजहारुल हसन की गोरखपुर में बैंक रोड पर फर्नीचर की दूकान है और उस दूकान का एक पार्टनर पाकिस्तान एजेंट होने के अभियोग में गिरफ्तार भी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य श्री शफीऊल हसन के छोटे भाई श्री इजहारुल हसन की गोरखपुर में फर्नीचर की एक दुकान है परन्तु उसका ऐसा कोई हिस्सेदार नहीं है।

हैदरगढ़ में पेपर मिल्स खोलने का सुझाव

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि मुख्य मंत्री को बाराबंकी जिले के हैदरगढ नामक स्थान पर एक हैवी इंडस्ट्री लगाने का कोई सुझाव विगत ८ मई, १९६५ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र में बाराबंकी में कोई भारी कारखाना खोलने की राज्य सरकार की अभी कोई योजना नहीं है। अतः उनके लिये अभी यह संभव नहीं है कि वे हैदरगढ़ में कोई भारी कारखाना लगा सकें। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र में ही वहां कारखाना लगाया जा सकता है।

*१४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार ने उक्त सुझाव के अनुसार इस बात का कोई सर्वेक्षण कराया है कि उक्त स्थान पर किस प्रकार की इंडस्ट्री लगायी जा सकती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। ऐसा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अभी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले में चौथी योजना में एक पेपर इंडस्ट्री लगाने का सर्वेक्षण कराया जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, सर्वेक्षण इस बात का कराया जा रहा है कि कौनसी इंडस्ट्री खुल सकती है, इन सबके बारे में वे अपनी रिपोर्ट दें, यह कहा गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि हैदरगढ़ क्षेत्र में पेपर इंडस्ट्री गोमती के किनारे पर लगायी जा सकती है ? क्या सरकार भविष्य में जब निर्णय करेगी तो इस बात को ध्यान में रखेगी कि हैदरगढ़ में पेपर इंडस्ट्री गोमती नदी पर लगायी जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकार की ओर से खोलने के प्रश्न पर उसी वक्त विचार किया जायगा जब सरकार के पास रुपया लगाने के लिये होगा। यह टैक्निकल कमेटी तय करती है कि कहां लगे। जब पब्लिक सेक्टर में बड़ी इंडस्ट्री खोली जाती है तो लोकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में नहीं रहता। अगर प्राइवेट इंटरप्रिन्योर खोलेगा तो सरकार पूरी सहानुभूति से विचार करेगी।

ग्रामीण सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मांग

*१५—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय कार्य विवरण १९६३–६४ पुस्तिका के परिच्छेद ३ पर ग्रामीण सर्वेक्षण की रपट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१९६३–६४ में ग्रामीण सर्वेक्षण के अन्तर्गत जो आंकड़े एकत्रित किये गये उनकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई, जिसके कारण उसे सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है। ग्रामीण सर्वेक्षण के अन्तर्गत जो आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं उनके आधार पर प्रतिमास कुछ तालिकायें बनायी जाती हैं जो सांख्यिकीय मासिक पत्रिका में नियमित रूप से छापी गई हैं।

*१६—श्री दौलतलाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुस्तिका के पृष्ठ ५ पर अंकित पूर्वी जिलों की द्रुति प्रतीक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट, जो नियोजन आयोग के पास भेजी गई है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रिपोर्ट केवल योजना आयोग के द्वारा बनाई गई संयुक्त जांच समिति (Joint study team) के उपयोग के लिये तैयार की गई थी। चूंकि रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी, अतः इसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

*१७—श्री दौलतलाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुस्तिका के उक्त पृष्ठ पर ही अंकित नगण्य सर्वेक्षण की रपट भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पुस्तिका के उक्त पृष्ठ पर उक्त किसी नगण्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट की बात नहीं है, हां नगरीय सर्वेक्षण की बात जरूर है। १९६३–६४ में नगरीय सर्वेक्षण के अन्तर्गत जो आंकड़े एकत्रित किये गये उनकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई है, अतएव उसे सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है। नगरीय सर्वेक्षण के अन्तर्गत जो आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं उनके आधार पर प्रतिमास कुछ तालिकायें बनायी जाती है जो मासिक पत्रिका में नियमित रूप से छापी जाती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि १९६३–६४ में ग्रामीण सर्वेक्षण करवाया गया उसकी रिपोर्ट अब तक प्रकाशित न होने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह सर्वेक्षण इस गवर्नमेंट को प्रकाशित नहीं करना था। वह सैम्पिल सर्वे जो चार पूर्वी जिलों का और जो दो अन्य जिलों का सीतापुर और मथुरा का किया गया वह ज्वाइंट स्टडी टीम की सहायता के लिये किया गया। हमने ज्वाइंट स्टडी टीम को दे दिया। उन्होंने जो आवश्यक समझा प्रकाशित कर दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस में तीन सवाल हैं, १५ वां और १७ वां देखें। १६ वां तो है कि योजना आयोग की तरफ से बनाई गई। लेकिन १५ वें और १७ वें प्रश्न में जो समिति अन्तर्निहित है वह योजना आयोग की तरफ से बनाई गई है इसका उल्लेख नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि १५वें और १७वें की सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में वितरित करने में क्या दिक्कत है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही कहा कि यह एक क्रम है। हम हमेशा सर्वेक्षण कराते रहते हैं और समय-समय पर सांख्यिकिक मासिक पत्रिका में प्रकाशित कराते रहते हैं। समय-समय पर नगरों और गांवों के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

प्रश्न में १९६४, की किसी सरकारी पुस्तक की चर्चा है और उस में यह है कि उक्त पुस्तक के परिच्छेद तीन पर सर्वेक्षण कराया गया था। तो कोई सर्वेक्षण होता तो उसकी रिपोर्ट जरूर होगी और इतने वर्ष बाद जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो सर्वेक्षण कराया गया उस की रिपोर्ट जरूर हुई होगी, तो उसकी रिपोर्ट प्रश्न के अनुसार सदन की मेज पर रखने में असमर्थता प्रकट करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि सरकारी बुलेटिन में सब छप जाता है।

फतेहपुर मडाव विकास खण्ड में बोन डाइजेस्टर के लिए ऋण

*१८—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड फतेहपुर मडाव, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों के किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया और कब-कब बोन डाइजेस्टर के लिये गत तीन साल में ऋण दिया गया और उक्त ऋण की वसूली हुई कि नहीं तथा उक्त धनराशि उक्त कार्यों में लगाई गई कि नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत फतेहपुर मड़ाव में बिगत तीन वर्षों में किसी व्यक्ति को भी बोन डाइजेस्टर के लिये ऋण नहीं दिया गया।

*१९-२०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

सुरक्षा समितियों में विरोधी पक्ष के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्थान

*२१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त अथवा सितम्बर, १९६५ में राज्य के जिलाधीशों को कोई इस आशय का निदेश भेजा गया कि विरोधी पक्ष के कुछ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुरक्षा कमेटियों में महत्वपूर्ण स्थान दिये जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

जी नहीं।

बहुधंधी विद्यालयों का शिक्षा माध्यम

*२२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या यह सत्य है कि राज्य की बहुधन्धी विद्यालयों में शिक्षण तथा परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखकर कि उक्त विद्यालयों में प्रवेश पाने की न्यूनतम योग्यता केवल हाई स्कूल है और इस स्तर के लोग अंग्रेजी बिल्कुल समझ नहीं पाते तो क्या सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को माध्यम बनाने की कृपा करेंगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में (Diploma courses) सोशल साइन्स लेबर रिलेशन, अर्थशास्त्र एवं वणिज्य, भूगोल तथा ह्यूमैनिटीज के कुछ भाग जैसे विषयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है तथा परीक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों है। अन्य विषयों

में, जो कि प्राविधिक है, शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। फिलहाल शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम सब विषयों में हिन्दी बनाना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें हाई स्कूल तक भर्ती करने का नियम है और हाई स्कूल तक का विद्यार्थी अंग्रेजी में कहां तक उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा या कर सकता है ? इसको देख कर हिन्दी को जल्द से जल्द उस में लाने का मंत्री जी प्रयास करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रयास करने की बात नहीं है। यह जो डिप्लोमा है तमाम भारतवर्ष के लिये है। हमारे यहां के डिप्लोमा प्राप्त दूसरी जगह जा सकते हैं और भारतवर्ष की एक काउन्सिल है जो इसको देखती है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को और जगह भी काम मिले इसलिये हम यह करते हैं कि प्रथम वर्ष में थोड़ी सी अंग्रेजी टेक्निकल सब्जेक्ट में सिखा देते हैं जिस में उन को सहुलियत मिल सके।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि छात्रों को विशेष कठिनाई परीक्षा देने में पड़ती है इस के कारण जो डिवीजन उन्हें प्राप्त होनी चाहिये वह नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन को प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना होता है जिससे उनके जो क्रमशः अंक आने चाहिये वह नहीं प्राप्त होते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी सूचना मेरे पास तो नहीं है।

पटेल कमीशन की सिफ़ारिशों के आधार पर पूर्वी जिलों में स्थापित उद्योग

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री दिनांक ३० जुलाई, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिलों में १५ नवम्बर, ६५ तक उक्त कामों में किनकी-किनकी पूर्ति हो चुकी है और चालू वित्तीय वर्ष में चीनी मिलों के खोलने का क्या-क्या आयोजन है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८७–२८८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री जी बतलायेंगे कि इन तीनों जिलों में कुटीर तथा लघु उद्योगों को वृहत् उद्योग बनाने के लिये कितना रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकार की तरफ से रुपया खर्च करने का सवाल नहीं है। यह तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से स्थापित किये जायेंगे और जितना रुपया वह लगायेंगे वह लगेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जो निश्चय गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया में इन कुटीर और लघु उद्योगों को खोलने के लिये किया गया था वह सब पूरे हो गये हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसका कारण यह है कि लोगों की इनमें दिलचस्पी कम है । बावजूद प्रयास करने के भी लोग वहां उद्योग कम खोल रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान कम है, पैसे की भी कमी है । सरकार जो सहायता कर सकती है वह कर रही है । अब तक आजमगढ़ में १९४ यूनिट खुले हैं १९६४ से नवम्बर, १९६५ तक । गाजीपुर में १३६ यूनिट खुले हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

गाजीपुर में जो चीनी मिल खुलने वाली थी, सरकार जिस के लिये विचार कर रही थी, वह कब तक खुलने वाली है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उत्तर में पहले ही लिखा है कि सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल खोलने के लिये कोई योजना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, इस में पहला सवाल ३० जुलाई का है । उस के सिलसिले में सरकार की ओर से एक तालिका मुझे मिली थी जिसमें कार्बन, कृषिजन, अल्मूनियम, साइकिल के पुरजे आदि के कारखाने वहां पर खोले गये थे इस की सूचना है । आजमगढ़ में २० यूनिट खुलने की योजना थी जिसमें से दस खुल गये हैं, दस अभी बाकी है । इस के अतिरिक्त रेशम की रंगाई, छपाई, कांच बनाने के कारखाने, कुम्हारी का काम, डिजिल मोटर बनाने के कारखाने आदि खुलने थे । इसी प्रकार गाजीपुर और दूसरी जगहों की बात है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो वृहत् उद्योग खोलने की वहां के लिये योजना है वह चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो अथवा पब्लिक सेक्टर में, उसके लिये सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

आजमगढ़ में दो कोआपरेटिव चीनी मिलें खोलने का प्राविधान है, लेकिन अभी हम निर्णय नहीं ले पाये हैं, इस के लिये सर्वे हो रहा है । लेकिन सरकार चाहती है कि दो चीनी मिलें अवश्य वहां खोली जांय । सूती मिल के लिये राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है और दस लाख रुपया प्राइवेट सेक्टर से पूंजी के लिये इकट्ठा होना है ।

श्री उग्रसेन—

देवरिया में भी बहुत से कारखाने खुलने थे, अभी तक वे नहीं खुले इस का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कोशिश नहीं करते होंगे ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह उद्योग सरकार की तरफ से नहीं खुल रहे हैं । यह प्राइवेट उद्योग हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और आशा है कि वे बड़ी शान्ति से जवाब देंगे कि आपके प्रदेश में एक मथुरा जिला है जिस में राधा कृष्ण की एक फैक्ट्री है और उस से वहां के काफी लोगों का काम रोजगार चल जाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मथुरा जिले में भी कभी कोई कारखाना चीनी का, जूते का, कपड़े का खोलने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिस जिले में राधाकृष्ण स्थापित हों उसमें कितने होशियार आदमी रहते हैं वह तो आप अन्दाजा कर सकते हैं और जो उद्योग खोलना चाहें वह खोल सकते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यह देखते हुए कि आजमगढ़, देवरिया और गाजीपुर में सरकार की तरफ से फैक्टरियां खोलने की योजना है, जौनपुर भी पटेल आयोग में आता है, बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, तो वहां भी कोई इस प्रकार की योजना है जिससे कोई फैक्टरी या कारखाना लगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, पहला प्रश्न ३ जिलों के बारे में था, इसलिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

हमको आश्वासन दिया गया था कि ये सभी योजनाएं तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पूरी कर ली जायंगी, तो कारण क्या है कि सरकार की ओर से प्रोत्साहन देने के बावजूद भी नहीं पूरी हुईं ? यह भी उत्तर नहीं मिला है कि इन बड़े-बड़े उद्योगों के खोलने केलिये क्या-क्या प्रोत्साहन सरकार की ओर से दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१० लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाया, यह कारण स्पष्ट है ।

*२४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया ।]

मंत्रियों के पहाड़ी स्थानों के दौरे पर व्यय

*२५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र ६५ के ५वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न १ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रियों के इस कुल प्रवास पर अलग-अलग मंत्री के अनुसार कुल कितना सरकारी धन का व्यय हुआ और इस प्रवास के सन्दर्भ में कर्मचारियों पर क्या व्यय हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

कर्मचारियों पर कुल ७३४१ रु० २४ पैसे व्यय हुआ ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८९ पर)

किच्छा चीनी मिल चलाने की प्रार्थना

*२६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री दिनांक २३ सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४, ८५ और ८६ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल वर्तमान वर्ष में गन्ना की पिराई करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रयत्न किया जा रहा है कि वर्तमान सीजन में किच्छा चीनी मिल जितनी जल्दी हो सके चल जाय ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, यह आश्वासन दिया गया था इसके बारे में २३-९-६५ को कि मिल अगले सीजन में जरूर खुल जायगी और सरकार का करीब ६० लाख रुपया दिया गया है और पब्लिक सेक्टर से करोड़ों रुपया दिया गया है चलाने के लिये और ३ साल से लगातार चल रही है और चल नहीं पाती है, तो सरकार स्पष्ट बतावे कि क्या इस सीजन में और कब यह मिल चालू हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सरकार को बताना मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट चीनी मिल है। उसमें आगे भी उनको रुपया फाइनेंस कारपोरेशन से मिलना है। अगर फारमैल्टी पूरी हो गयी और रुपया मिल गया तो चलेगी। दूसरे के बारे में हम क्या बतावेंगे ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जो कर्जा इस मिल पर चढ़ा हुआ है उसकी वसूली के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो तभी होगा जबकि मिल चले। इस बात की कोशिश की जा रही है कि मिल जल्दी से जल्दी चले। चीफ इन्जीनियर, और एक डिप्टी कलेक्टर जो मैनेजर हो कर वहां गये थे, वे भी कोशिश में हैं।

श्री नरसिंहनारायण पण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मिल मालिक स्वयं नहीं चाहते कि मिल चले क्योंकि अगर मिल चलेगी तो जो कर्जा इतना लदा है उन पर वह देना पड़ेगा। तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि वह स्वयं इस मिल को ले ले और स्वयं इसको चलावे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात बिलकुल सही नहीं है कि वे चलाना नहीं चाहते। वे लोग भी इसी कोशिश में हैं कि मिल जल्दी से चले।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि उसने जितना रुपाया दिया है वह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से वापस ले ले और इसकी जगह कोई दूसरा मिल सहकारिता के आधार पर चलावे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता, मिल का सामान वगैरह सब वहां आ गया है।

सुरक्षा कोष की वसूली

*२७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नेशनल डिफेंस फंड किस-किस सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल कराया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पुलिस, सैल्स टैक्स और रजिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर नेशनल डिफेन्स फंड के लिये केवल जिलाधिकारियों द्वारा अधिकृत गजटेड अधिकारी ही धन एकत्रित कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किस प्राइवेट एजेंसी को नेशनल डिफेंस फंड वसूल करने का अधिकार दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार ने जिलाधिकारियों को यह आदेश दिए हैं कि यदि किसी गैर सरकारी एजेन्सी द्वारा इस कार्य के लिये धन एकत्रित किया जाता है तो वह जिलाधिकारी की ओर से तथा उसकी जानकारी में हो। सरकार की ओर से सीधे किसी प्राइवेट ऐजेन्सी को धन वसूल करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि प्रदेश में जिलाधिकारियों की देखरेख में कुछ प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा भी रक्षा कोष इकट्ठा किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

साधारणतया ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कहीं कोई जिलाधीश ऐसा करता है तो उसके लिये उसको पूरी जिम्मेदारी होती है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी रक्षा कोष इकट्ठा किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली-मथुरा रोड पर, वहां के बार्डर पर, पुलिस के अधिकारियों यानी थानेदार द्वारा ५० रुपये फी ट्रक के हिसाब से रक्षा कोष के लिये चन्दा वसूल किया गया और २० रुपये की उनको रसीद दी जाती रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास सूचना नहीं है। अगर कोई शिकायत हो तो बता दें, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नेशनल डिफेन्स फंड से एक करोड़ रुपया पुलिस के लिये दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पुलिस के लिये देने की बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—

हमारा यह सवाल है कि १,६९,९९२ रु० पुलिस कोष मे क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

जवाब आने दीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप आज्ञा दें तो यहां सातवां–आठवां सवाल किया गया था उसका पूरा जवाब पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

आज्ञा का सवाल नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ दें।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़ते जाइये, वे पढ़ रहे हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गत चीनी आक्रमण के दौरान प्रदेश में कुल ६,९०,३५,०६०.९२ पै० सुरक्षा कोष के लिये एकत्रित हुए थे। इसमें से ५,३४,३५,२६८.७४ पै० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष केन्द्र को भेजा गया तथा १,५६,०९७९२ रु० १८ पै० प्रदेश में व्यय किये गये जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—

	रु० पै०
सीमान्त पर तैनात सैनिकों की वस्तुओं के उपहार के लिये ..	८१,५१३.६८
आई० जी० पुलिस को सीमा पर तैनात पुलिस फोर्स वैलफेयर फंड के लिये	एक लाख रुपया
यू० पी० नागरिक परिषद् को	४,२५,०००
यू० पी० पुलिस व आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान को ..	१,५०,०३,२७८.५०

जो नहीं। केवल एक करोड़ ५० लाख रुपया यू० पी० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान को दिया गया जिसमें श्री राज्यपाल जी तथा अन्य नौ सदस्य हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेढ़ करोड़ रुपया किस अधिकार से प्रान्तीय सरकार ने सुरक्षा कोष में से निकाल लिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मंत्रि परिषद् ने यह किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या उत्तर प्रदेश के मंत्रि–परिषद् को इस रुपये को, केवल केन्द्रीय सरकार के अलावा, किसी प्रकार से खर्चे करने का अधिकार था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अधिकार था तभी तो यह किया।

श्री उग्रसेन—

१ करोड़ ५० लाख रुपया जो हमारी मां–बहनों ने गहने बेचकर सुरक्षा कोष में बाहरी सुरक्षा के लिये, आन्तरिक सुरक्षा के लिये नहीं, दिया यह रकम बिना विधान सभा की स्वीकृति के सरकार को लेने का क्या अधिकार था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसके सभापति राज्यपाल जी हैं। उप सभापति मुख्य मंत्री जी हैं। सदस्य हैं, मुख्य सचिव, जी० ओ० सी० यू० पी० एरिया, वित्त सचिव, श्री सी० बी० गुप्त, श्री कैलाशप्रकाश, श्री मंगलाप्रसाद, अवकाश-प्राप्त आई० जी० पी० श्री टी० पी० भल्ला, ब्रिगेडियर एम० एस रावत मिलीटरी के अवकाश-प्राप्त। इसका हिसाब हमारे आडिटर्स देखते हैं। यह खर्च होता है सैनिकों के लिये, सुरक्षा के लिये, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पुनर्वास इत्यादि पर।

*२९—श्री रामचन्द्र विकल—

[पुनरावृत्ति होनेके कारण हटा दिया गया।]

*३०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण हटा दिया गया।]

इंसपेक्टर पुलिस की पदोन्नति

*३१—श्री वेदराम (जिला एटा)—

क्या यह सही है कि सरकार ने ४ सितम्बर, १९६५ को एडहाक बेसिस पर फार्म भरवाकर प्रोमोट करने के लिये (इंस्पेक्टर पुलिस से डी० एस० पी०) सात व्यक्तियों को अप्रूव किया परन्तु प्रमोशन केवल एक का ही किया, शेष का नहीं? यदि हां, तो क्यों? और कब तक प्रमोशन हो जायेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने ४-९-६५ को एडहाक बेसिस पर इन्सपेक्टर पुलिस से डिप्टी एस० पी० के पदोन्नित के लिये कोई व्यक्ति अप्रूव नहीं किया, शेष प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में हरिजन पुस्तकालय

*३२—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से किस-किस गांव में पुस्तकालय खुले हुये हैं तथा किस-किस गांव में उस विभाग से प्राइमरी पाठशालायें खुलीं? दोनों की अलग-अलग लिस्ट देते हुये बताया जाय कि हर पुस्तकालय को १९६२-६३ से लेकर १९६४-६५ तक हर साल कितना रुपया अनुदान तथा पुस्तकों के रूप में दिया गया?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९०-२९२ पर)

*३३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि ये सभी पुस्तकालय और प्राइमरी पाठशालायें मौके पर विद्यमान हैं? फर्जी पाठशालाओं के नाम पर रुपया लेने वालों को दंड दिया जायगा?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। केवल एक पुस्तकालय गरुलपार का नहीं चल रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सुरक्षा कोष की वसूली के नियम

*३४—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेश में जो, रक्षा कोष के संबंध में धन दिनांक १ अगस्त, १९६५ से आज तक तहसीलदारों, डिप्टी कलेक्टरों द्वारा वसूल किया जा रहा है उसमें सरकार की ओर से क्या आदेश है उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संबंधित सरकारी आदेशों की प्रतिलिपि प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९३–२९६ पर)

*३५—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रदेश में दिसम्बर मास में प्रत्येक जगह बन्दूकों के लाइसेन्सों के समय रक्षा कोष के नाम पर लोगों को रुपया देने को मजबूर किया जाता है ? क्या सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करेगी कि रिन्यूवल के लिये कोई चन्दा वसूल न किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । यदि कोई शिकायत आये तो इस पर विचार किया जायेगा ।

*३६—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कचहरियों व तहसीलों में होने वाले चन्दों को रोकने के लिये कोई ऐसा आदेश देगी कि रक्षा कोष या अन्य किसी नाम से कोई चन्दा न वसूल किया जाय तथा दफ्तरों से दान-पत्रों वाले बक्सों को सभी जगहों से हटा लिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कचहरियों व तहसीलों में अनुचित रूप से चन्दा वसूल करने की कोई शिकायत नहीं मिली है अतः कोई आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता । दानपात्रों के संबंध में भी यही बात लागू है ।

सुदर्शनसिंह, निवासी थाना अलीगंज से संबंधित शस्त्रास्त्र

*३७—श्री रामसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बतायेगी कि सुदर्शन सिंह, पुत्र फूल सिंह निवासी राजा का रामपुर, थाना अलीगंज, जिला एटा के पास किस प्रकार अस्त्र–शस्त्र के कितने लाइसेन्स हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री सुदर्शन सिंह के पास एक दुनाली कारतूसी बन्दूक तथा एक एकनाली कारतूसी बन्दूक के लाइसेंस थे ।

*३८—श्री रामसिंह (एटा)—

क्या सरकार को पता है कि सुदर्शन सिंह, पुत्र फूलसिंह, निवासी राजा का रामपुर, थाना अलीगंज, जिला एटा, दिनांक ९ सितम्बर, १९६५ को मौत हो चुकी है उसके लाइसेन्स व शस्त्र व अस्त्र अब तक पुलिस ने न कब्जे में ही लिये हैं और न उनको मालखाना सदर में जमा ही किया गया है हालांकि पुलिस तबसे अनेक बार कस्बा में जा चुकी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। मृतक के लाइसेंस व बन्दूक पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मालखाना सदर में जमा कर दी है।

*३९—श्रीरामसिंह (एटा)

क्या सरकार को पता है कि अब तक वह हथियार मुताबिक कानून क्यों जमा नहीं कराये गये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त हथियार जमा कराये जा चुके हैं।

थानेदार, श्री राममनोहरसिंह की सुप्रीम कोर्ट में अपील

*४०—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि फतेहपुर जिले के थाना किशुनपुर के थानेदार श्री राम मनोहर सिंह को अदालत की मानहानि करने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुज्ञा भी नहीं मिली है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह सही है कि थाना किशनपुर के थानेदार श्री राम मनोहर सिंह को अदालत की मानहानि के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की उच्च न्यायालय द्वारा अनुज्ञा नहीं मिली। सब इन्स्पेक्टर ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी है।

*४१—श्री शारदानन्द—

यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन लोगों ने उनके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया था उन्हें दरोगा जी परेशान कर रहे हैं, पुलिस ऐक्ट के नियम ७ के अधीन कोई कार्यवाही करने अथवा उन्हें स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही नहीं है कि मानहानि का दावा करने वाले व्यक्ति को सब इंस्पेक्टर द्वारा परेशान किया जा रहा है।

सब इन्स्पेक्टर श्री मनोहरसिंह का स्थानान्तरण थाना किशुनपुर से थाना धरियांव को हो गया है।

पालीटेक्नीक कर्मचारियों का वेतन

*४२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राज्य के गैर सरकारी मान्यता तथा सहायता प्राप्त पालीटेक्नीक के कर्मचारियों को जो एडहाक वे राज्य सरकार द्वारा १ अप्रैल, १९६४ से दिया जा रहा था, वह फरवरी, १९६५ से रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*४३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न (१) में उल्लिखित पोलीटेक्निक के कर्मचारियों को बराबर राजकीय कर्मचारियों के समान भत्ता मिलता रहा तथा बढ़ती महंगाई के कारण

उनकी आय कम करना किसी भी प्रकार हितकर न होगा, तो क्या सरकार उक्त एडहाक पे के जारी रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मथुरा नाथ चतुर्वेदी का पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्रार्थना-पत्र

*४४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक २९ सितम्बर, १९६५ को मथुरा में अपने पिता की शवयात्रा में जाते हुए श्री मथुरानाथ चतुर्वेदी नामक एक प्राध्यापक पर कुछ गुंडों नें संघातक हमला किया ? यदि हां, तो गुंडों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २९–९–६५ को जब श्री मथुरा नाथ चतुर्वेदी अपने पिता की शवयात्रा में जा रहे थे तो उनके कुछ स्वाजातीय तथा पड़ोसियों ने उन पर लात घुसों तथा बल्लम से प्रहार किया, घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३०७/३४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और जांच के उपरोन्त चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई ।

*४५—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर, १९६६ को पुलिस अधीक्षक, मथुरा को अनेक प्रार्थना-पत्र देकर तथा उनसे सम्भ्रांत नागरिकों ने मिलकर यह निवेदन किया है कि श्री मथुरानाथ चतुर्वेदी, नगरपालिका के सदस्य को कुछ गुंडे मार डालना चाहते हैं ? यदि हां, तो सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

केवल श्री मथुरा नाथ चतुर्वेदी तथा उनके भाई श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने अगस्त तथा अक्तूबर, १९६५ में ५ प्रार्थना पत्र तथा एक तार पुलिस अधीक्षक को भेजे जिनमें अपने जीवन को उपर्युक्त मुकदमे के अभियुक्तों आदि से खतरा होने के बारे में लिखा था । पुलिस ने आवश्यक जांच के उपरांत जनता की सुरक्षा व मुहल्ले में शांति बनाये रखने के लिये दोनों पक्षों के ५२–५२ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ ज० फौ० के अन्तर्गत रिपोर्टें सिटी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजी थी । लेकिन दोनों पक्षों ने न्यायालय में परस्पर राजीनामा कर लिया । इसके अतिरिक्त अगस्त १९६५ के प्रथम पक्ष में मुहल्ले में एक हेड कान्सटेबुल तथा दो कान्सटेबुल नियुक्त किये गये और महीने के अन्त में श्री मथुरा नाथ चतुर्वेदी को सुरक्षा के लिये प्रार्थी के घर पर पिकेट तथा मुहल्ले में सिविल पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा गश्त की व्यवस्था की गई थी । सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पुलिस कर्मचारी अब भी मुहल्ले में नियुक्त हैं ।

उक्त मामले में दोनों पार्टियों के लोग पुलिस अधीक्षक से अलग-अलग मिले थे, पर यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति, ने श्री चतुर्वेदी की हत्या की संभावना होने की सूचना दी थी ।

श्री केदारनाथ भार्गव द्वारा मथुरा संग्रहालय को भेंट

*४६—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या सरकर बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने जो ६६ वस्तुयें मथुरा संग्रहालय को भेंट की थीं, क्या उनका इन्दराज संग्रहालय के रजिस्टर में दर्ज है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

संग्रहालय में प्राप्त रिकार्ड स से यह ज्ञात नहीं हो सका कि प्रश्न कर्ता ने ५८ वस्तुओं जिनका इंदराज संग्रहालय के रजिस्टर में है, से अधिक वस्तुएं संग्रहालय को भेंट की थीं।

भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री रामेश्वरप्रसाद की नाक-कान काटने के संबंध में चालान

*४७—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के भूतपूर्व कांग्रेस एम० एल० ए० श्री रामेश्वर प्रसाद का नाक-कान जो स्थानीय कुछ लोगों ने लगभग एक साल पहले सन् १९६४ में काट लिया था, उस में कितने व्यक्तियों का चालान किन-किन धाराओं में किया गया था और वह कौन-कौन हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस घटना के संबंध में निम्नलिखित तीन व्यक्तियों का चालान धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३२३/३२५/३२६भा० दं० विधान में किया गया था।

१—राम प्रसाद पुत्र कल्लू,

२—जग प्रसाद पुत्र शिव दुलारे,

३—शिव सिंह पुत्र उमापति सिंह।

मथुरा जिले में मंदिर

*४८— श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या सरकार बतायेगी कि हिन्दू धार्मिक संस्थान अपव्यय निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दो हजार रुपये वार्षिक या उससे अधिक आय वाले कितने मंदिर मथुरा जिले में हैं ? क्या सरकार के पास उनकी कोई सूची है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। इस प्रकार के ६९ मंदिर हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्था 'ङ' आगे पृष्ठ २९७—२९८ पर)

*४९—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दो हजार रुपये वार्षिक से कम आय वाले जो मंदिर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते और मालिक विहीन होने से अवांछनीय व्यक्तियों ने उन पर अधिकार कर रखा है उनके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

अधिनियम के अन्तर्गत १,२००, रुपये वार्षिक या इससे अधिक आय के सभी मंदिर आते हैं। इससे कम आय वाले वाले मंदिरों के संबंध में भी, सरकार शिकायत मिलने पर अधिनियम की धारा २ के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है। ऐसी कोई शिकायत शासन को अभी नहीं मिली है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सैदपुर थानान्तर्गत कत्ल सहित डकैती

*५०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के थाना सैदपुर, ग्राम बारेवा में जो डाका २ अप्रैल, १९६५ को पड़ा था जिसमें एक आदमी जान से मार डाला गया था उसके संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

३-४-६५ को घटना की सूचना थाने पर प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष विवेचना के लिये घटनास्थल पर पहुंचे। जांच से उक्त घटना में ७ व्यक्तियों का हाथ पाया गया जिनमें से ५ गिरफ्तार हुए और दो फरार हैं। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में से चार कार्यवाही शिनाख्त में न पहचाने जाने के कारण छूट गये और एक का भा०दं० वि० की धारा ३९६ के अन्तर्गत चालान किया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है। फरार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ८७/८८ जा० फौ० की कार्यवाही की गई है।

*५१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाका गम्भीर है तथा स्थानीय पुलिस मामले में बिलम्ब कर रही है, क्या मंत्रीजी उक्त प्रश्न में उल्लिखित मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

बांदा जिले में कत्ल

*५२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में सन् १९६३ ई० से १९६५ तक प्रति वर्ष कितने कत्ल (कतल) हुये हैं ?

*५३—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन मुकद्दमों में कितने मुकद्दमें छूट गये हैं ? कितने मामलों में सजा हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २९९ पर)

*५४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में पैलानी थाने में कितने कत्ल १९६५ में हुये हैं ? कितने मामलों में सजा हुई है, कितने मामले छूट गये हैं, कितने मामलों पर सी० आई० डी० के द्वारा जांच हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६५ में पैलानी थाने के अन्तर्गत ९ कत्ल की घटनायें हुईं। इनमें से ८ मामलों में चालान हुआ जिनमें से एक न्यायालय से छूट गया तथा शेष ७ अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

इन मामलों में से किसी में भी सी० आई० डी० द्वारा जांच नहीं की गई। केवल एक मामले में सी० आई० डी० ने स्थानीय पुलिस द्वारा की गई तफतीश की जांच की थी कि वह ठीक ढंग से हो रही है अथवा नहीं।

गोरखपुर से प्रकाशित 'पूर्वी टाइम्स' में 'सुरक्षा कोष' के घुटाले का आरोप

*५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार का ध्यान गोरखपुर के साप्ताहिक पूर्वी टाइम्स के १४ अक्तूबर, १९६५ के अंक में पृष्ठ ६ पर यह मुख्य मंत्री सहायता कोष क्या है तथा ४ नवम्बर, १९६५ के अंक में पृष्ठ ६ पर राष्ट्रीय सुरक्षा निधि से करोड़ों का घुटाला लाखों की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन विषयों पर पूर्ण प्रकाश डालेगी कि सच्चाई क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। १४ अक्तूबर, १९६५ के अंक में वर्णित मुख्य मंत्री सहायता कोष का नाम मुख्य मंत्री का पीड़ित सहायता कोष है, और इसका कोई संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा अन्य किसी कोष से नहीं है। इस कोष द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता दी जाती है। समस्त प्राप्त तथा भुगतान की गई धनराशि का उचित हिसाब रखा जाता है तथा इसकी परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

४ नवम्बर, १९६५ के अंक में राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में करोड़ों का घुटाली नामक लेख में वर्णित गत चीनी आक्रमण के दौरान प्रदेश में कुल ६,९०,३५,०६०.९२ रु० सुरक्षा कोष से एकत्र हुआ था, जिससे केवल १,५०,०३,२७८.५० रु० से यू० पी० पुलिस एवं आर्म्ड फोरसेज सहायता संस्थान की स्थापना मंत्रि-परिषद् के आदेशानुसार की गई है। इस संस्थान के सभापति श्री राज्यपाल जी तथा ९ अन्य सदस्य हैं संस्थान के ट्रस्ट डीड के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के द्वारा हिसाब-किताब की जांच होती है।

*५६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बतायेगी कि १९६२ के चीन के हमले के समय से ३० जून, १९६५ तक जिलावार कितना-कितना धन सुरक्षा कोष तथा "राष्ट्रीय सुरक्षा निधि" के नाम से इकट्ठा हुआ और उसका किस प्रकार से प्रयोग किया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत चीनी आक्रमण के समय से ३०-६-६५ तक प्राप्त धनराशि का जिलेवार विवरण संलग्न है। इसमें से ५,३४,२५,२६८.७४ रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (केंद्रीय) को भेज गया तथा १,५६,०९,७९२.१८ रु० प्रदेश में व्यय किया गया जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

(१)	सीमा पर तैनात सैनिकों को वस्तुओं के रूप में उपहार के लिये	८१,५१३.६८
(२)	आई० जी० पुलिस को सीमा पर तैनात पुलिस फोर्स बैलफेयर फंड के लिये	१,००,०००.०० रु०
(३)	उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् को ..	४,२५,०००.०० रु०
(४)	उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान की स्थापना में	१,५०,०३,२७८.५० रु०
	कुल ..	१,५६,०९,७९२.१८ रु०

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३००-३०२ पर)

मथुरा जिले में विभागीय मीटिंगें

*५७—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में गत जनवरी, १९६५ से आज तक कितनी स्टाफ मीटिंग सरकारी जिलाधीश के द्वारा बुलाई गई तथा इसके अलावा कितनी बैठकें मैजिस्ट्रेटों की जिलाधीश ने किन-किन तारीखों में तथा किस-किस समय बुलाई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मथुरा जिले में गत जनवरी, १९६५ से आज तक १२ स्टाफ मीटिंग सरकारी जिलाधीश के द्वारा बुलाई गई। इसके अलावा कोई बैठक मैजिस्ट्रेटों की जिलाधीश ने नहीं बुलाई। यह अवश्य है कि विभागीय आवश्यक विषयों की ४३ मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त परगना अधिकारी भी भाग लेते हैं क्योंकि वह एक्जीक्यूटिव साइड के भी होते हैं। इन विभागीय मीटिंगों का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०३–३०४ पर।)

*५८—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार को पता है कि मथुरा के जिलाधीश महोदय मीटिंग मैजिस्ट्रेटों की कोर्ट समय में बुलाते हैं, जिससे मैजिस्ट्रेट मुकदमा का कार्य नहीं कर पाते और तारीख लगा देते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सत्य है कि स्टाफ मीटिंग कोर्ट समय में ही बुलाई जाती है। लेकिन इस मीटिंग के लिये एक तारीख निश्चित है जिसकी सूचना प्रत्येक मैजिस्ट्रेट को शुरू में ही दे दी जाती है। मीटिंग वाले दिन मैजिस्ट्रेट थोड़ा बहुत कार्य मुकदमों का लगाते हैं जिसको वह भली भांति पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसा नहीं होता कि मैजिस्ट्रेट उस दिन मुकदमों का कार्य न कर पायें और तारीख लगा दें।

सहारनपुर जिले में कत्ल

*५९—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला सहारनपुर की चारों तहसीलों में १९६३ से १९६५ तक कितने कत्ल हुये हैं और पुलिस ने उन पर क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में कुल ९५ कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और सभी मामलों में पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के पश्चात् ६२ अभियोग न्यायालय भेजे गये।

*६०—श्रीमतीशकुन्तलादेवी—

क्या सरकार बतायेगी कि कितने केसों में सजा हुई और कितने छूट गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

६२ अभियोग जो न्यायालय भेजे गये उनमें से २० में सजा हुई गौर २५ छूट गये। १७ अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं।

मड़ियाहूं क्षेत्र में जनसंघ कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी

*६१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा में नेता विरोधी दल माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी का दिनांक ४ नवम्बर, १९६५ का पत्र मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत है कि मंडियाहूं तहसील, जिला जौनपुर नेवाढ़िया क्षेत्र के जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ३–४ नवम्बर की रात्रि को सोते में पकड़ा और बर्बरतापूर्वक ८ मील पैदल चला कर हथकड़ी लगाकर जलालपुर थाने ले गई और हवालात में बन्द कर दिया ? पूरी घटना क्या है, सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी का पत्र दिनांक ४ नवम्बर, १९६५ प्राप्त हुआ था। जांच से पता चला है कि शोभानाथ तिवारी व अन्य ५ व्यक्तियों को ४-११-१९६५ को सुबह ७ बजे सी० आर० पी० सी० की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जलालपुर थाने ले जाया गया था। पुलिस ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और न उनको हथकड़ी ही पहनाई।

फर्रुखाबाद जिले के डाकुओं की हरदोई पुलिस से मठभेड़ में मृत्यु

*६२—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६५ में हरदोई जिले में फर्रुखाबाद जिले का कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा पकड़ा गया अथवा मारा गया जिस पर कि १ हजार रुपया इनाम घोषित किया गया था? यदि हां, तो क्या वह इनाम पुलिस अधिकारी को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मार्च, १९६५ में नहीं वरन् ४/५-३-१९६४ को फर्रुखाबाद जिले का एक डकैत हरदोई पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया था। इस विषय में कोई इनाम घोषित नहीं किया गया था।

केराकत विकास क्षेत्र में संग्राम हरिजन को कथित अनुदान

*६३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि ग्राम चौरा विकास क्षेत्र केराकत, जिला जौनपुर में हरिजन समाज कल्याण विभाग की ओर से ९ हजार रुपये का अनुदान उक्त ग्राम के संग्राम-हरिजन को मकान बनाने के लिये तृतीय योजना में स्वीकृत हुआ? यदि हां, तो उस रुपये से मकान बना या नहीं?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक स्कूल, लखनऊ

*६४—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० सैनिक स्कूल, लखनऊ में भर्ती हो जाने के बाद सन् १९६५-६६ में कितने कैडट विद्यार्थी स्कूल छोड़ कर चले गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आठ।

*६५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम्पटीटिव परीक्षा पास कर के इस स्कूल में भर्ती हो जाने के बाद स्कूल छोड़ कर जाने का क्या कारण था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके कई कारण हैं जैसे पढ़ाई में असंतोषजनक प्रगति, बीमार रहना, घर से लगाव (home sickness) तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना।

*६६—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४–६५ और १९६५–६६ में इस स्कूल के कितने विद्यार्थियों को नेशनल डिफेंस एकाडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६४–६५ में ४२ तथा १९६५–६६ में ५३ कैडेट्स को नेशनल डिफेन्स एकाडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गया।

सराय अकिल थाने में कथित डकैती

*६७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रयाग जिले के थाना सराय अकिल के ग्राम सादिकपुर सेमरहा, उर्फ पिपरी में दिनांक २८, २९ जुलाई, १९६५ की रात्रि को कोई भीषण डकैती पड़ी ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या थी तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२८/२९ जुलाई, १९६५ की रात्रि में ग्राम सादिकपुर से मरहा उर्फ पिपरी में कोई डकैती नहीं पड़ी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६८–६९—श्री नाथूराम शिक्षक—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६१–६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

किठलापुल में कथित बम विस्फोट

*७०—श्री बेदराम—

क्या सरकार बतायेगी कि किठलापुल, जो जिला बदायूं व एटा की सीमाओं पर है, वहां कोई बम विस्फोट अगस्त, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में हुआ था ? यदि हां, तो उसकी जांच का क्या परिणाम निकला और किस-किस अधिकारी द्वारा उसकी जांच कराई गई तथा पूरा विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, बम विस्फोट की कोई घटना नहीं घटी।

सुरक्षा कोष का वसूली का नियम

*७१—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के युद्ध-संकट के सहायतार्थ धन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के अतिरिक्त किन्हीं और नामों से एकत्र किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ने उसकी अनुमति प्रदान की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। आगे प्रश्न नहीं उठता।

*७२—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य को यह निदेश दिया है कि युद्ध प्रयासों के सहायतार्थ धन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के अतिरिक्त किसी दूसरी रसीद पर न वसूल किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह आदेश दिये थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये रसीद आदि का प्रबन्ध वे स्वयं कर लें, जिसके आधार पर रसीदों का फार्म निर्धारित कर दिया गया था। जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत इन्हीं रसीदों पर रुपया जमा किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए चन्दा

*७३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगी कि केन्द्रीय सरकार ने सुरक्षा फंड की वसूली हेतु राज्य सरकार को कोई आदेश भेजा है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ३०५–३०६ पर।)

अतारांकित प्रश्न

महाराजगंज थाने में चकबन्दी अहलकारों से झगड़ा

१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला रायबरेली में चकबन्दी सी० ओ० हल्का शाही ग्राम सभा मुराडीह, दुसौली के चकबन्दी अहलकारों और पब्लिक के बीच १९६५ तथा जनवरी तथा १९६५ दिसम्बर तक कितने झगड़े और चोरी की शिकायतें थाना महाराजगंज को दी गयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा इन झगड़ों का मुख्य कारण क्या है और किन-किन अधिकारियों ने इसकी जांच कर के सरकार को रिपोर्ट पेश की? तो क्या सरकार उन रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला रायबरेली में जनवरी, १९६४ से दिसम्बर, १९६५ तक चकबन्दी हल्का शाही ग्राम सभा मुराडीह, दुसौली के चकबन्दी अहलकारों और पब्लिक के बीच केवल, एक झगड़े की सूचना एवं एक डकैती की सूचना थाना महाराजगंज को दी गई। दोनों मामलों में तफसीश की गई। झगड़े का मुख्य कारण आपसी रंजिश पाया गया। सब-इंस्पेक्टर श्री जगमोहन सिंह मिश्र ने उक्त झगड़े की घटना की विवेचना की थी। जो धारा ३३२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई थी परन्तु जांच से यह मामला धारा ३२३ भा० द० वि० का पाया गया और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

कथित डकैती की घटना की तफसील एस० ओ० कर रहे थे जब विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कुछ शिकायतें सेटिलमेंट आफिसर चकबंदी एस० डी० एम० को प्राप्त हुई और उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच की। उनकी जांच के दौरान कथित डकैती की घटना की विवेचना रोक दी गई थी जिसे अब पूर्ण किया जा रहा है। सेटिलमेंट आफिसर चकबंदी की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है अतः इस समय उसकी प्रति सदन में रखना उपयुक्त नहीं होगा।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या सरकार बहस से अलग की बात है—सार्वजनिक राजस्व को बिना विधान सभा की स्वीकृति के, किसी प्रकार खर्च कर सकती है?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जब यह डिफेन्स फंड जमा किया गया तो आप ने भी सदन में घोषित किया और माननीय सदस्यों ने अपनी तनख्वाहें कटायीं और रुपया फंड में दिया। जब कमेटी बनी तो उसमें न आप और न कोई विरोधी दल का रखा गया। मन चाहे जैसे रुपया खर्च कर दिया गया। यह कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न व्यवस्था के रूप में नहीं आ सकता। मैं तो यह व्यवस्था दे सकता हूं कि ऐसा प्रश्न हो सकता है या नहीं। यह व्यवस्था तो आप (विरोध पक्ष) और आप (सरकारी पक्ष) के बीच में है। अगर आप इसके बारे में व्यवस्था चाहते हैं तो उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। यह तरीका नहीं है कि मैं आप से कहूं कि यह ऐसे हैं और आप ऐसे हैं। यह समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा ४ फरवरी, १९६६, को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनांक १६ फरवरी, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक) व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा ४ फरवरी, १९६६, को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, दिनांक १६ फरवरी, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया है।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा ८ फरवरी, १९६६, को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के, दिनांक १६ फरवरी, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है।

सैनिक परिवार से बढ़ा हुआ लगान वसूल किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामचन्द्र विकल की एक सूचना स्वीकृत हुई है, जो इस प्रकार है :—आपात स्थिति में किसानों पर जो सवाया लगान बढ़ाया गया था उसके नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि वह बढ़ा हुआ सैनिक परिवार से नहीं, वसूल किया जायगा, किन्तु दुर्भाग्यवश नियमों के विरुद्ध समस्त प्रदेश में सैनिक परिवारों में बढ़ा हुआ लगान वसूल किया जा रहा है। मैं इसके प्रमाण सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं। इस अविनियमित कार्यवाही से सैनिकों में क्षोभ व्याप्त हो रहा है।

माननीय रामचन्द्र विकल जी, अपना सबूत माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिये, आज।

मंत्री जी इसके ऊपर कब वक्तव्य देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

वह आ जायगा तो बहुत जल्द वक्तव्य दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, निश्चित तारीख होनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं अभी किसानों की कई मीटिंग्स में होकर आ रहा हूं, यह सवाल सैनिक परिवारों का है। इस पर मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

२५ को दे देंगे।

फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक मैंने और स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये, वह माननीय चन्द्रजीत यादव, बालोजी अग्रवाल वगैरह का है। वह इस प्रकार है—

"फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग में गत १४ फरवरी से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल चल रही है, जिससे ७५ हजार मजदूर बेकार हो रहे हैं।"

यह केवल वक्तव्य के लिये है। इस पर बयान कब दिया जायगा ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

सूचना मंगा कर जैसा आप आज्ञा देंगे बयान दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

२२ तारीख को दे दीजिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय यादवेन्द्र दत्त जी की एक सूचना इस प्रकार है—

"विश्वस्तरूप से ज्ञात हुआ कि नवम्बर, १९६५ और जनवरी, १९६६ के बीच कई बार चीनी उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस आये, इस तथ्य को राजकीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कि चीनी सीमा के भीतर अभी भी हैं अथवा नहीं, इससे राज्य में चिन्ता व्याप्त है।"

यह केन्द्र का विषय है लेकिन मैं उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

केन्द्र का विषय और है लेकिन बार्डर हमारा है। हमारा राज्य उसकी सुरक्षा कर रहा है और हमारी पी० ए० सी० वहां लगी हुई है। इसलिए इस सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं अगर चीनी घुस आये हैं तो वह देखें कि वे वहां से भागे हैं अथवा नहीं। इसकी सूचना भी उन को सदन को देनी चाहिये। इसको माननीय चौहान, रक्षामंत्री ने भी स्वीकार किया है। कृपया उस पर माननीय मुख्य मंत्री से वक्तव्य दिलवा दें। मुख्य मंत्री इसका उत्तर कब देंगे?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो नहीं लेकिन आप उनसे स्वयं मिल लें अथवा मुझे याद दिला दें, मैं पूछ लूंगा। इनके अलावा दो और हैं। एक माननीय जगन्नाथ राव जी का है, जिसको भी मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। दूसरा माननीय लखीसिंह, श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री कृष्णाराय, और श्री शिवचरनलाल जी का है। यह अस्पष्ट और अनिश्चित है इसलिये उसको अस्वीकार किया है और अगर उसके बारे में वे और विवरण देंगे तो विचार किया जा सकता है।

प्रदेश के कुछ जिलों में भीषण वर्षा के कारण फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने नियम ५२ के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि पिछले सप्ताह में पूर्वी जिलों—क्रमशः गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया तथा गाजीपुर—में भारी वर्षा, तूफान तथा ओलावृष्टि से रबी की खड़ी फसलों को अधिक क्षति पहुंची है तथा स्थिति चिन्ताजनक हो गई है।

वास्तविक स्थिति की जानकारी की गई और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ओला वृष्टि केवल वाराणसी जिले की सदर तहसील तथा आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में हुई है। प्रभावित क्षेत्रफल क्रमशः ३९९ तथा १६४९ एकड़ है। ओला वृष्टि से भी फसलों को सामान्यतः विशेष क्षति होने की सूचना नहीं मिली है। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई है, किन्तु इस वर्षा से भी कोई खास हानि नहीं हुई है। वर्षा के बाद मौसम साफ हो जाने से जहां कहीं यदि कोई थोड़ी-सी क्षति हुई भी है तो उसमें भी सुधार होने की आशा है। इस वर्षा तथा ओला वृष्टि से कोई चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो ऐसी किसी जिले से सूचना नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

वक्तव्य में श्रीमन्, मंत्री जी से बताया है कि रात को इस की भी सूचना है कि झांसी जिले में या झांसी डिवीजन में.....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

झांसी के बारे में तो पूछा ही नहीं गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

वह वहां से भी सूचना एकत्र कर लें कि अगर वहां ओला गिरा है तो उससे हानि हुई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

श्री झारखंडे राय जी ने भी ऐसा प्रश्न किया था, मैंने कहा कि जो जिले विचाराधीन हैं उनके बारे में पूछ लिया जाय, अगर आवश्यकता होगी तो और जिलों के बारे में प्रश्न हो सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आपने सदन में कहा था मंत्री जी से कि सब इकट्ठा कर लें और उस पर सूचना आ जाय....तो वह मंत्री जी ने एकत्र की होगी, वही वह दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वह अलग बात है।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वाराणसी जिले में ज्ञानपुर और सदर तहसील में अभी पाव-पाव भर के ओले गिरे हैं, ऐसी सूचना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पाव डेढ़ पाव की इत्तला तो नहीं है केवल बनौरा की है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन जिलों में अरहर की फसल जिसमें फूल भर गया था कोई असर हुआ है या नहीं और जो मटर कटने के वक्त पर आ गई थी, किसानों का कहना है कि बहुत बुरा असर उस पर पड़ता है इसकी जानकारी मंत्री जी को है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमने तो जो फौरी इत्तिला थी वह मंगाई है कोई डिटेल नहीं मंगाया है, हम फौरी सूचना के आधार पर ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जिला अधिकारियों के ऐसी रिपोर्ट देने के जो पिछले कारनामे हैं उनको ध्यान में रख कर क्या मंत्री जी अपने को आश्वस्त करेंगे क्योंकि उनकी एक बार जो रिपोर्ट आ जाती है उसी का समर्थन वह आखिर तक करते रहते हैं या वह कोई और तरीका निकालेंगे जिससे सही रिपोर्ट आ सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सही तरीका यह है कि हम उनको आदेश दें और वह सही रिपोर्ट दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस अवधि में गोरखपुर और देवरिया में जो भीषण वर्षा हुई उसमें कितना नुकसान हुआ और कितनी-कितनी वर्षा वहां हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

देवरिया को तो कोई हानि नहीं हुई, प्रश्न गोरखपुर का ही था, ६ जिलों में देवरिया नहीं है। गोरखपुर में सदर तहसील में १०.४ मिलीमीटर, बांसगांव में १९ मिलीमीटर, महाराजगंज में १० मिलीमीटर, फरेंदा में ११.२ मिलीमीटर, यह बारिश १२–१३ फरवरी के बीच में हुई है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अब की बार बलिया जिले में लगातार ४८ घंटे तक बारिश हुई जिससे सारे जिले की फसल ८ आने से ज्यादा नष्ट हो गयी है तथा इससे पहले भी पारसाल जो छूट मिली थी उसको आपके अमीन और अहलकार जा कर किसानों से वसूल कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस वसूली को स्थगित करायेगी और अब की बार जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा किसानों को दिलायेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, १२–१३ फरवरी, १९६६ के बीच बलिया जिले में कुल ७.२ मिलीमीटर औसत वर्षा हुई, सदर तहसील में १५.२ मिलीमीटर वर्षा हुई...

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का सवाल यह है कि पारसाल कुछ छूट दी गयी थी, बावजूद इसके उस छूट की वसूली हो रही है। दूसरी चीज वह यह कहते हैं कि इस समय वहां ८ आने से ज्यादा की क्षति हुई है, तो इसके लिये भी छूट दी जावे, यानी दोनों छूट मिलनी चाहियें।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

हमारी सूचना है कि ८ आने से ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अरहर और मटर की पूरी फसल नष्ट हो गयी है, क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इनकी सूचना है कि फसल नष्ट नहीं हुई है, आपकी दूसरी सूचना है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में ११ मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है और ३ रोज तक मुतवातिर वर्षा होती रही जिससे अरहर, चना और मटर की फसल को काफी क्षति पहुंची है और वह भी विशेषतया बाढ़ के इलाके में, जहां हर साल बाढ़ के बाद बम्पर क्राप होता है, उस फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इस तरह से बाढ़ से भी वहां की फसल नष्ट हुई और फिर यह फसल भी नष्ट हो गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी जांच करा के इसके लिये किसानों को छूट दिलाने की कृपा करेंगे या कोई विशेष रियायत देने की कृपा करेंगे जिससे उनको कुछ राहत मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जांच हो चुकी है और नुकसान नगण्य है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य पर गौर करेंगे जिसमें लिखा है कि पर्याप्त वर्षा हुई है ? मैं समझ नहीं पाया, कृपया माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि इससे उनका क्या मतलब है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

काफी वर्षा हुई है जिससे आप मुतमईन हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

हमारे मंत्रि परिषद् के वरिष्ठ मंत्री लोग भी यही समझते हैं कि वर्षा पर्याप्त हुई है और इससे वे मुतमईन मालूम पड़ते हैं । क्या यही कारण है जिससे हमारे प्रदेश में कृषि की पैदा-वार गिर गयी है ? साथ ही अभी जो वर्षा हुई है उससे फसल को कितनी हानि हुई है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो हमारी रिपोर्ट है वह करीब-करीब सही मालूम होती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारे जिले में जो कलक्टर है वह तो कहीं जाता ही नहीं है ।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि माघ और फाल्गुन में जो पानी पड़ता है उससे तीन चीज की क्षति होती है—गेहूं, गाय और बेवाय की ? यदि हां, तो क्या वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि देवरिया और गोरखपुर में इस बारिश से गेहूं की फसल को कितनी क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अब की बार ड्राट की बड़ी शिकायत थी । इसको देखते हुये बारिश काफी हुयी है ।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

इस इलाके में यदि अधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है और यदि कम वर्षा होती है तो सूखा पड़ जाता है । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे जो हमारे पूर्वी जिले हैं जहां पर ऐसा हो तो वहां पर जंगल लगाने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल तो बहुत अच्छा है लेकिन यहां पर तो जौ, मटर आदि फसलें नष्ट हुयी हैं, उनसे सम्बन्ध है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में वर्षा बहुत कम हुयी तो क्या सरकार आर्डिनेंस द्वारा इधर के जिलों के नाम उधर के जिलों के रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उसका प्रबन्ध होगा । (हंसी)

सदन की बैठक शनिवारों को करने के संबंध में संकल्प

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार विधान सभा का उपवेशन, जब तक सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार को नहीं होता है, परन्तु वित्तीय कार्य को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि विधान सभा का उपवेशन शनिवार, दिनांक २६ फरवरी, तथा दिनांक १२, १९ एवं २६ मार्च, १९६६ को भी निर्धारित समय पर हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारी विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में यह नियम है कि विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होनी चाहिये और अभी तक यही सिलसिला चला आ रहा है । श्रीमन्, यह नियम का प्रश्न है और किसी भी तरीके से नियमावली में परिवर्तन, एक साधारण प्रस्ताव लाकर नहीं किया जा सकता है । जब इस प्रकार के प्रस्ताव का आना हमारे नियमों के विरुद्ध है तो आप इस पर व्यवस्था दें कि क्या इस प्रकार का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ला सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि सरकार के संसदीय मंत्री जी को यह जानकारी है अथवा नहीं कि अपने प्रदेश में जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के चुनाव २६ फरवरी को हैं । अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं है तो कर लें और इसको सुधार कर लें और दूसरा प्रस्ताव लाकर इसको २८ या २९ मार्च को कर दें । श्रीमन्, यह बड़ी खराब बात है कि इस प्रकार इस तारीख को भी बैठक बुलायी जा रही है । एक संसदीय परम्परा है । लोकतंत्र का तकाजा भी है । बजटसेशन लगभग २ महीने का होता है और इसी बीच में सम्मानित सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में भी जाना पड़ता है । यह नहीं हो सकता कि लगातार हम यहां पर बैठे रहें और क्षेत्र के लोगों से सम्पर्क न रहे । हम लोग जनता से दूर हो जाते हैं, यह भी बड़ा मुश्किल होता है । हम लोग किसी दिन और बैठ सकते हैं लेकिन शनिवार कार्य के दिन न हों, यह मेरी भावना है । अतः यह प्रस्ताव माननीय मंत्री को वापिस लेना चाहिये और कोई दूसरी तारीख निकालें । आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट में किस तरह से बजट पास करने का नियम है, अपने प्रदेश में भी कई दफा हुआ है । तो वही परिपाटी अपनानी चाहिये और शनिवार लेने की प्रवृत्ति बदलनी चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, इस सदन में कई बार प्रश्न उठा, आपके सामने आया और आश्वासन दिया गया कि शनिवार नहीं लेंगे । माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, गुप्ता जी और श्रीमती सुचेता कृपालानी जी के समय में यह प्रश्न उठा और यह आश्वासन मिला कि हम शनिवार न लेने की कोशिश करेंगे । पहले से विधान सभा बुलाते नहीं । इसलिये, अध्यक्ष जी, अब आप के ही हाथ में है कि आप हमारी रक्षा करें । बारबार आश्वासन देने पर भी जो एक मनोवृत्ति बन गई है उसको समाप्त करें । इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यह जो शनिवार को लेने की परम्परा पड़ती जा रही है यह उचित नहीं है । प्रति वर्ष बजट बढ़ता जाता है, उतना ही समय उसके अध्ययन के लिये चाहिये । जिस दिन से बजट पेश हुआ है तब से एक दिन का समय भी पढ़ने के लिये नहीं मिला और तत्काल आपने कार्य शुरू कर दिया । इसलिये अगर आप चाहते हैं कि लोग समझ कर सुझाव दें तो आपको समय देना चाहिये । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री बनारसीदास—

माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने प्रश्न पैदा किया है २६ फरवरी का तो वह मुझे मालूम है। तो २६ तारीख के लिये निश्चय किया गया है कि उस रोज चुनाव नहीं होगा। किसी और तारीख पर होगा। जहां तक शनिवार का प्रश्न है, हमेशा लेते रहे हैं और १९६७ में नया चुनाव होगा, फिर माननीय नेकराम के सुझाव पर ज्यादा आसानी के साथ काम किया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इनके खिलाफ तो प्रिविलेज का प्रश्न पैदा हो जायगा क्योंकि यह तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया था····

श्री अध्यक्ष—

नियम १६ (२) में यह है कि जब तक सदन अन्यथा निश्चित न करे शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा। इसमें जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है, उसके विवेक का प्रश्न नहीं उठता। यह सदन के अधिकार की चीज है।

जहां तक माननीय सदस्यों का अनुभव होगा पिछले ९ वर्षों से तो हम बजट अधिवेशन में शनिवार प्रायः काम के लिये लेते रहे हैं, तो इस पर विरोध नहीं होना चाहिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

आपने कह तो दिया कि पिछले ९ वर्षों से प्रायः शनिवार लेते रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं दिया कि पिछले ९ वर्षों से विरोधी पक्ष से प्रायः यह विरोध होता रहा है। इसलिये यह परम्परा न बनाइये। क्यों नहीं पहले से अधिवेशन बुलाया गया? कांग्रेस का सेशन था तो क्यों ५ दिन के लिये विधान सभा बन्द कर दी गई?

श्री अध्यक्ष—

हम प्रायः लेते रहे हैं और आप लोग प्रायः उसका विरोध करते रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस साल सब से कम अधिवेशन हुआ है विधान सभा का।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार विधान सभा का उपवेशन, जब तक सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार को नहीं होता है, परन्तु वित्तीय कार्य को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि विधान सभा का उपवेशन शनिवार, दिनांक २६ फरवरी, तथा दिनांक १२, १९ एवं २६ मार्च, १९६६, को भी निर्धारित समय पर हो।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं लाबी की मांग करता हूं। नियमों में यह है कि कोई माननीय सदस्य लाबी मांगेंगे तो लाबी मिलेगी। इसमें शब्द 'शैल' आया है।

श्री अध्यक्ष—

परन्तु अध्यक्ष अगर समझे कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की जा रही. (कुछ रुक कर)

मैं विरोधी पक्ष की तरफ से जो विरोध हुआ है उसका आदर करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि सदन को बिलम्ब से बुलाने में किसी को कुछ गलती हो, लेकिन अध्यक्ष

के ऊपर यह दायित्व है कि वित्तीय काम समय के अन्दर होना चाहिये । ऐसी अवस्था में इस लाबी की मांग को मैं अनावश्यक समझता हूं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया, और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—९२

विपक्ष में—५४ ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने जो रूलिंग दी है मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से सर्कमस्टांसज होंगे जिनमें आप आवश्यक समझेंगे और कौन से सर्कमस्टांसेज होंगे जिनमें आप अनावश्यक समझेंगे, ताकि हम लोग जब मांगें तो हमें यह मालूम हो कि किस बात पर हम मांगें और किस पर न मांगें । आप यदि हमको इससे अवगत करा दें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष—

कल माननीय नेकराम शर्मा जी ने हमारे सामने रूल रखा था । जब कोई परिस्थिति या कोई तथ्य हो तो नियम या विधि का प्रवर्तन होता है—जब स्थिति हो तो आप पूछ लीजियेगा, मैं बता दूंगा कि यह लागू होता है या नहीं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, आप निर्धारित कर दें कि आपकी व्यवस्था बजट की बहस के बाबत क्या होगी ; किस को बोलने का हक होगा और वह हक कैसे प्राप्त होगा । आया हम लोगों को अपने नाम पार्टी के जरिये भेजना चाहिये या हमको खड़ा होना चाहिये या क्या करना चाहिये । दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अधिक समय की भीख मांगते हैं उनको आप समय बढ़ा देते हैं (व्यवधान) यह उचित नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह आक्षेप है कि "भीख मांगते हैं" ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, संसदीय मंत्री उनको परामर्श दे सकते हैं ।

१९६६-६७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट के संबंध में अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बजट सम्भवतः प्रदेश की भावी प्रगति और विकास संबंधी नीति के संबंध में होता है । हमारी जितनी समस्यायें होती हैं उन्हें हल करने का बजट संकेत करता है । इसके पहले कि मैं बजट पर कुछ कहूं मैं एक बात कहूंगा, श्रीमन्, कि इस समय हमारे प्रदेश के सामने बहुत सी समस्यायें हैं और उनसे हम इस बजट को तौलेंगे । प्रदेश के सामने खाद्य समस्या है, उद्योग की समस्या है, शान्ति और सुरक्षा की समस्या है, शिक्षा का प्रश्न है, दवा का प्रश्न है और ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने मुंह बाये खड़े हैं ।

श्रीमन्, हमें यह देखना है कि हमारी सरकार ने इन समस्याओं को कहां तक हल किया है । जहां तक किफायत की बात है, यह दूसरा पहलू है । लेकिन इसके पहले कि हम बजट के बारे अपने विचार प्रकट करें, एक बात कहे बिना हृदय नहीं मानता है । कांग्रेस सरकार का कुछ दिनों से ऐसा रवैया होता चला जा रहा है कि विरोधी पक्ष के किसी विचार का उसके

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हृदय में कोई आदर नहीं है। मन में दुख होता है कि बजट के बारे में हम अपने विचार क्यों प्रकट करें? क्या मुझे जन समाज में प्रोपेगेंडा करना है कि अमुक विषय पर हमने ये विचार प्रकट किये हैं या सच्ची परिस्थिति का ज्ञान सरकार को करा कर उस दिशा में बजट को मोड़ देना है? इस पर जब हम सोचते हैं तो हमें निराशा होती है। हर चीज को किसी प्रमाण से सिद्ध करना होता है। एक प्रमाण रखता हूं कि विरोधी लोगों की भावनाओं का कहां तक सरकार के मन में आदर है।

अभी कारपोरेशन्स का प्रश्न हमारे सामने आया था। हम लोगों ने अपने विचार सरकार के सामने रखे। हमने ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने भी वही बात कही जो हमने कही थी। हमारे मन में यह भावना थी और यह ऐसा पहलू है कि जिस पर सरकारी लोग और विरोधी दल एक मत के हैं। हमारी यह भावना किसी स्वार्थ से या दलगत विचारों से प्रेरित नहीं है। तो हमें ऐसा विश्वास था कि वह इस पर विचार करेगी और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लेकिन जैसी हमें सूचना मिली है वह यह है कि उस चीज का यहां निर्णय न होकर अपने दल की बैठक में सरकार ने निर्णय कर लिया कि दो वर्ष के बाद कारपोरेशन का चुनाव होगा। कारपोरेशन का चुनाव दो वर्ष के बाद हो या १९७२ के चुनाव के बाद हो, यह उनके हाथ में है। लेकिन केवल इतना कहता हूं: सहसबाहु लंकेश निशंकू, केहि न राजमद दीन्ह कलंकू। इसमें राजनीति का भाव निहित है। जब मनुष्य के मन में अहम का भाव आ जाता है, उसी तरह से दल में जब अहम भाव आ जाता है कि आज हमारी इतनी सामर्थ्य है कि वह हर दल के विचारों की उपेक्षा कर सकता है तो वह दल ऐसी ही करता है जैसा कि आज यह कांग्रेस सरकार असेम्बली में करती है। जब कोई बजट पर विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा होता है तो उत्साहहीन होता है। मुझे आशा है कि सरकार विरोधी पक्ष के लोग जो विचार व्यक्त करेंगे उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेगी और उन पर विचार करेगी।

इसके पहले कि मैं इस पहलू पर आऊं कि आज तक सरकार ने क्या किया, हमें उसकी दृष्टि में रुपया देना चाहिये या नहीं, मैं बजट की रचना पर आना चाहता हूं। एक बात आप देखेंगे कि १४ वर्षों का यह अनुभव है कि जो बजट का एस्टीमेट बना वह सदैव गलत था। हर बजट घाटे का बना लेकिन अन्त में उसमें सरप्लस आया। आंकड़ों के अन्दर मैं फंसना नहीं चाहता। मैं केवल सैद्धांतिक बात करूंगा। इन के हृदय में कभी यह बात नहीं आयी कि घाटा पूरा करने के लिये वह टैक्स लगायेंगे और बाद में खर्च कर पायें या न खर्च कर पायें या उसका अपव्यय हो, इससे कोई मतलब नहीं। इनको टैक्स लगाना चाहिये। एस्टीमेट इन का सदैव गलत रहा। इस वर्ष प्रयास किया है कि जितनी आमदनी हो उतना खर्चा हो। इस वर्ष इसलिये टैक्स नहीं लगाया क्यों कि पिछले वर्षों में इतना टैक्स लगाया है कि उसने इस वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। कदाचित यह बात पहले सोची थी कि एलेक्शन के निकट आने वाले वर्ष में टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि स्टेट की फाइनेंशल पोजीशन देखिये। १९६५ में इसके ऊपर पब्लिक डेट ५९८ करोड़ था, १९६६ में ६८७ करोड़ और १९६७ में ६८४ करोड़ हो जायगा। १०० करोड़ का कर्जा हर वर्ष बढ़ता है। १९६३-६४ में पब्लिक डेट ३९.१६ करोड़ बढ़ गया। २७.३८ करोड़ अदा करने के बाद बढ़ा। लेकिन यह उन्होंने कर्ज ले कर अदा किया। तो फाइनेंस की पोजीशन यह है कि रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड सब घटता जाता है और कर्जे पर कर्जा यह लादते चले जाते हैं, प्रदेश के ऊपर। यह प्रदेश दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा है लेकिन इनका ध्यान उधर है नहीं और चार वर्षों से बराबर बजट बनाते आते हैं और इस वर्ष भी यही होता है। अपनी आमदनी और धन को ध्यान में बिना लिये ही ये कर्ज लेते जा रहे हैं। इस वजह से भी यह बजट दोषपूर्ण है।

दूसरी बात यह भी देखनी चाहिये कि एरियर्स की वसूली कितनी है, वह हुई या नहीं। मेरे पास 'एकानामिक वीकली" का २ अक्तूबर, १९६५ का अंक है और इसमें कुछ आंकड़े बताये गये हैं। ६४–६५ में लैंड रेवेन्यू का ३९६ लाख बाकी था, सेल्स टैक्स का ११७२ लाख बाकी था। तो क्या सरकार अपने ही पैसे को अपने हाथ में ले सकी? वह भी नहीं हुआ। इस से पता चलता है कि इनकी फाइनेंशल पोजीशन ठीक नहीं थी और न इन्होंने उसको ठीक करने का प्रयास ही किया।

इसके अलावा, इन्हें जो रुपये पिछले वर्ष में मिले थे उनमें कितने ही ऐसे मद हैं आवश्यक जिन पर यह खर्च ही नहीं कर पाये। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में डेढ़ करोड़ रुपये, कृषि में ४३ लाख रुपये, पशु पालन में १९ लाख, सहकारिता में ३१ लाख उद्योग में ३३ लाख, सामुदायिक विकास में ८५ लाख और हरिजन समाज और सार्वजनिक निर्माण विभागों में भी इसी तरह से जो रुपया इनको मिला था वह नहीं खर्च कर पाये। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इनके पास यह बुद्धि नहीं है कि बजट किस तरह से बनाया जाय, हम क्या कर पायेंगे, क्या हमको करना है इसका ज्ञान नहीं है। कितना रुपया लेना चाहिये, इसका इनको अन्दाज नहीं है। पुराना पैटर्न चला आ रहा है उसी पर, चाहे इनके सचिव हों और चाहे मंत्री जी, उसी पर चलते हैं। अपनी बुद्धि से तुलना करके नहीं देखेंगे कि क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि रुपये का दुरुपयोग होता है। जो टैक्स देता है वह जानना चाहता है कि उसके रुपये का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इनका ऐडमिनिस्ट्रेशन इस मामले और सारे ही मामलों में कितना असफल रहा है, वह अयोग्य, अकुशल और असफल है। इस चीज की ओर इनका ध्यान ही नहीं है जिस पर प्रतिनिधिगण यहां इतना चिल्लाते रहते हैं। टैक्स पर टैक्स लगायेंगे, हम कहते हैं कि गरीब प्रदेश की गरीब जनता पर टैक्स न लगाये जायं जब तक यह न देख लिया जाय कि आपको जो धन मिलता है उसका आप अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर लेते हैं। दुरुपयोग की बात मैं आगे कहूंगा, एक बात अभी इनएफीशियेंसी की कह दूं। अभी आपके सामने एक बात आयी थी। श्रीमती तारा अग्रवाल एक प्रश्न का जवाब दे रही थी और उन्होंने कहा कि कुछ धन जो लैप्स होने जा रहा था इसलिये उसको लैप्स से बचाने के लिये उसको परसनल लेजर एकाउन्ट में रख दिया गया। हरिजन कल्याण विभाग का मामला था। आपने पूछने पर यह भी कह दिया कि हमने अपने कानूनी विशेषज्ञ से जानकारी कर ली है। मैं उनके उस विशेषज्ञ से पूछना चाहता हूं कि जब स्कूल्स के मैनेजर या दूसरे व्यक्ति किसी एकाउन्ट से रुपया निकाल कर परसनल लेजर में रख लेते हैं तो उसको गबन की संज्ञा दी जाती है लेकिन अगर वही काम सरकार करती है तो वह फिर केवल उसी नाते करती है जैसा मैंने कहा कि "केहि न राजमद दीन्ह कलंकू"।

कौन सी इनमें बुद्धि है और कौन सी इनमें शक्ति है जो वह यह समझ लेते हैं कि जो वह करते हैं वह ठीक ही करते हैं? मेरे पास ६५ की आडिट रिपोर्ट है। इसमें बहुत भरा है। मैं सब नहीं कहूंगा, जब भिन्न भिन्न मद आवेंगे तब उनपर विस्तार से कहा जायगा लेकिन एक बात इसमें है और वह यह है कि पर्सनल लेजर में रुपया रखा गया और वह इसलिये रखा गया कि वह लैप्स न हो। ३१ मार्च आ रहा है तो उसके डर से अगर ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं यह पोलिटिकल चोरी है। इसके अलावा और क्या इसको कहा जाय। इस तरह से यह हमारी सरकार पोलिटिकल चोरी करके इस प्रदेश में अपने बहुमत दल के आधार पर नंगा नाच कर रही है। इसका एक प्रमाण मैं यहां पर श्रीमान् जी की सेवा में उपस्थित करता हूं। इसके पृष्ठ १७ पर यह दिया है कि :

"Apart from resulting in drawal of excessive grants-in-aid from the Government of India, the procedure adopted in these cases defeats Parliamentary financial control as it enables expenditure to be incurred in subsequent years from funds lying in personal ledger accounts or deposits without approval of legislature."

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हमारी सरकार कहती है कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये ऐसा करती है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह से करना किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। श्रीमन्, अगर हमारी यू०पी० सरकार के, जब से इस कांग्रेस सरकार ने अपने प्रदेश के अन्दर काम करना शुरू किया है, प्रशासन को देखा जाय या इसकी राजनैतिक स्थिति को देखा जाय तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जायेंगे। समझदार आदमी सुनकर यह कहेंगे कि यहां पर प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। इनको राज्य अधिकार का मद है और पोलिटिकल कंट्रोल यहां पर देखकर लोग यह कहते हैं कि इनको प्रजातंत्र पर कंट्रोल रखने का ज्ञान नहीं है।

एक दूसरी चीज देखें। इसी किताब के १०२ पेज पर यह दिया है। गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश की आडिट रिपोर्ट १९६५ के १०२ पेज पर यह है—

"At the end of August, 1964, 908 cases of mis-appropriations and defalcations involving a total amount of Rs. 47.37 lakhs were outstanding. Of these 74 cases involving Rs. 4.69 lakhs have been outstanding for over 10 years, 188 cases involving Rs. 10.36 lakhs have been outstanding for more than five years and 519 cases involving Rs. 18.44 lakhs have been outstanding for more than a year. The bulk of the cases relate to Agriculture, Revetnue, Industries, Community Development and Animal Husbandry Department."

आज तक कुछ पता नहीं चला। इस प्रकार के केसेज हैं जिनके बारे में इतने दिनों से अकाउन्ट साफ नहीं हुये हैं। तो यह वही सरकार है जो हमारे सामने आज बजट लेकर प्रस्तुत हुई है और रुपया हमसे मांगने के लिये खड़ी है। इस कारण हमने इस स्थिति को २,३ उदाहरण देकर आपके सामने रखा।

अब मैं, श्रीमन्, यहां पर ऐसे प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और जो आज हर एक नियम तोड़कर अपने मन की भावना के अनुसार यह बजट लाया गया है उसमें हमसे रुपया मांगा जा रहा है। उसी परपज को पूरा करने के लिये आज यह बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे मंत्री जी ने एक बात कही। मैं किसी विशेष मद के बारे में बात नहीं करूंगा। मंत्री जी ने जो बजट स्पीच में बातें कही हैं उनके आधार पर ही निवेदन करना चाहता हूं। जो एक प्रकार से विशेष बात कही गई है उसी पर निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट स्पीच के पृष्ठ १६ पर यह दिया है कि "ऐसी अस्थायी मुसीबतों का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ हो सकता है। हमने जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा करने और आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था का निर्माण तीव्र गति से करने का कठिन भार अपने ऊपर लिया है। हम लोकतांत्रिक प्रणाली से योजनानुसार यह कार्य कर रहे हैं जिसमें सब का सहयोग वांछनीय है।" अब, श्रीमन्, इस बजट का तात्पर्य यह कहा गया है कि सुव्यवस्थित अर्थ व्यवस्था कायम करेंगे, लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार कार्य कर रहे हैं और जनता के जीवन स्तर को ऊंचा इसी प्रकार करेंगे। यह तीन बातें इस बजट का हृदय है और यही तीन बातें इस बजट के इर्दगिर्द घूमती हैं और इसी में इनका प्लान और पैसा घूमता है। अब देखना यह है कि इन्होंने जन जीवन स्तर कितना बढ़ाया है? इस कांग्रेस राज्य को यहां पर कायम हुए १८ वर्ष हो गये हैं और यह १९वां वर्ष चल रहा है। जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से इन्होंने क्या किया? मैं इस को इस बात पर नहीं तौलता हूं कि इतने दिनों में इस सरकार ने कितना खर्च किया। हम तो लेंगे एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर के जो जनता को रेप्रेजेंट करता है और उस पर लागू कर के देखेंगे कि उस के जीवन स्तर में कितना अन्तर आया। हम देखते हैं कि सन् १९४७–१९४८ के पहले जो उसका जीवन स्तर था उससे उसका जीवन स्तर घटा है।

जीवन स्तर नापने के कई पहलू हैं। इसका वास्तव उत्थान हुआ है अथवा नहीं, यही हम को देखना है। पहली जो सीढ़ी है जीवन स्तर नापने की वह यह है कि जीवन को ऊपर उठाने की, जो जीवन के लिये प्राथमिक आवश्यकतायें हैं, जो आवश्यक वस्तुयें हैं, जिन में भोजन वस्त्र, और मकान हैं, उनके बारे में हम देखें। भोजन के बारे में बराबर यहां बहस होती

रही है और आप के सामने जो स्थिति है उस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में जहां की ८५ फीसदी जनता कृषि पर निर्भर करती है, उस प्रदेश में भी आत्म-निर्भरता नहीं है। सब के सामने उदाहरण के रूप में जर्मनी, जापान के देश हैं। वे देश जो बिलकुल बरबाद हो गये थे, जिनके पास कुछ नहीं बचा था, आज उन्होंने वह स्थिति प्राप्ति कर ली है कि वे दूसरे देशों को कर्ज देते हैं। लेकिन हमारे देश ने १८ वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी, एक भोजन की समस्या को हल नहीं किया है। हम भोजन के लिये आज भी दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे हैं। यह हमारी तीन योजनाओं का फल है। एक बात हम सुना करते हैं कि हम ने इतनी सिंचाई की, हम ने इतनी जमीन तोड़ी, हमने इतनी खाद बांटी। मैं समझता हूं कि ये सब कागजी आंकड़े हैं इसलिये कि इनके बाद भी इनका कोई लाभ हमें दीखता नहीं। हमारी आंख में धूल झोंकने के लिये ये कार्यक्रम हमारे सामने रखते हैं, लेकिन उन में कुशलता नहीं है, असलियत नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि जब आप ने इतनी अधिक जमीन तोड़ी, जब आपने इतने अधिक सिंचाई के साधन बढ़ाये, जब आप ने इतनी अधिक खाद दी, तो क्या कारण है कि अनाज की पैदावार घटती गयी, क्या कारण है कि अनाज महंगा होता गया और हम सूखे की स्थिति में पहुंच गये। इसका कारण यही है कि या तो यह सारी रिपोर्ट, सारी बात गलत है या फिर आप की नीति दोषपूर्ण है जिसके चलते हमारा उद्धार नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर की डिटेल में जाने के पहले मैं एक बात आपको बतलाता हूं। उन्होंने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस सरकार ने यह निश्चय किया था कि ३२.६९ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा खेती पर और उसमें खर्च हो गया ३१.३३ करोड़ रुपया। कहने का तात्पर्य यह है कि करीब करीब जितना रुपया रखा गया था वह खर्च हो गया। पैदावार का टारगेट था १८२.८६ लाख टन, लेकिन पैदावार हुई टारगेट १५२ लाख टन, यानी ३०.८६ लाख टन का शार्टफाल हुआ। यह टारगेट उस समय मंजूर किया गया था जब कि आप ३२ करोड़ रुपया खर्च करने वाले थे। अब चौथी योजना में आपने जो एडीशनल प्राप्ति के लिये लक्ष्य रखा है वह ४५.५० लाख टन का रखा है। इतना आप बढायेंगे, लेकिन आप देखें कि इसके लिये आपने खर्च कितना किया है। आप देखें कि ३२ करोड़ पर आपने अपना टारगेट रखा था ४७ लाख टन और यहां ५८.५४ करोड़ पर आपने ४५ लाख टन का टारगेट रखा है। कहां गया रुपया? केवल इससे एकही निष्कर्ष निकलता है और मैं यहां फिर अपनी बात दोहराता हूं, हालांकि दोहराना नहीं चाहिये, कि या तो आप में कुशलता नहीं है, आपके महकमें में कुशलता नहीं है और आप ८५ फीसदी केवल अपने प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च कर देते हैं और इस प्रकार आप सब को एक तरह के भ्रम में डालते हैं, अखबारों में तरह तरह की बातें निकालते हैं, और भाषणों में तरह तरह की बातें लोगों को खुश करने के लिये कह देते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थ व्यवस्था आप की खराब है।

६६–६७ में जो आप ने फोर्थ प्लान रखा उसका विवरण आप देखें कि उत्पादक व्यय में आप ने कितना खर्च किया। उसमें ६६–६७ के लिये ७३१.५३ लाख रुपया रखा है खर्च करने के लिये एक वर्ष के लिये, लेकिन इस ७३१.५३ लाख में कितना रुपया किस काम पर खर्च कर रहे हैं इसका खयाल करें। इसके बाद यही कह कर आगे बढ़ा जायगा। सीड फार्म में ३०.६२। यह भी विचार लें खर्चा करते वक्त कि यह किसकी पाकेट में जायगा। आखिर ईमानदारी भी कोई चीज है। जो गरीब शरीर में १७ छेद लिये घूमते हैं उनकी स्थिति यह है जिससे रुपया लेंगे। फार्टिलाइजर में ३९.७१ इसको मान लें। लेकिन डेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चर पर २२५.८५ लाख यह सबसे बड़ा आइटम है और कहां तक यह उचित और जस्टिफाइड है। घर पर तो काश्तकारों को दाल नहीं मिलती और यहां बागबानी का डेवलपमेंट हो रहा है। यह सबसे बड़ा आइटम हैं, फल बड़े पसन्द हैं। मारकेटिंग स्टैटिस्टिक्स में १०६.६९। एजूकेशन और ट्रेनिंग में ४१.९७। रिसर्च में २६.७३ और लैंड डेवलपमेंट में २९९.९६। यह आंकड़े हैं। एक मर्तबा मैं पी०ए०सी० का मेम्बर था। वहां यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि न तो खयाल करते हैं आफिसर्स और न मंत्री खयाल करते हैं।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

८५,८६ रुपया एक एक मन चना पैदा करने में लग गया । लेकिन लाभ का पता नहीं है । तो उत्पादन की मद में कितना लग रहा है ? जिस किसी विषय में भी बजट रखा है उसमें ७० फीसदी तो प्रशासन खा जाते हैं । ३० फीसदी में १२ फीसदी उत्पादक पर और १८ फीसदी कहीं भत्ते में, कहीं बिल्डिंग में। यह आज बजट की स्थिति है और यह खेती की दशा सुधारने जा रहे हैं । सवाल यह है कि अब तक पैदावार क्यों नहीं बढ़ी जब कि इतनी उन्नति हर चीज में है । कहा गया कि १९६४ में बम्पर क्राप आ गयी । लेकिन कैसी बम्पर क्राप थी उसका पता नहीं चला । तो यह सब झोल है । ऐग्रीकल्चर के लिये तीन चीजों की जरूरत है । पहले तो अच्छा बीज देना चाहिये और फिर खाद दें, तीसरे सिंचाई की व्यवस्था करें ।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये)

बीज और खाद के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं कि खाद की स्थिति आज ऐसी पैदा कर दी कि केवल फर्टिलाइजर हर जगह इस्तेमाल हो । कहा जाता है कि आत्मनिर्भर इकोनामी हमारी हो । लेकिन यह नहीं सोचा गया कि हम इतना फर्टिलाइजर और कैमिकल्स नहीं दे पायेंगे । हमको कोई ऐसी चीज निकालनी चाहिये थी कि हम अपनी मदद आप कर सकते । कम्पोस्ट जो सन् ४८ में चली उसको छोड़ दिया, गोबर की खाद खत्म हो गयी । फर्टिलाइजर की तरफ लोगों को दौड़ा दिया, लेकिन दे नहीं पाये । बीज देने के लिये भी कहा था, लेकिन आज स्थिति यह है कि ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में जाइये, कोआपरेटिव में जाइये, अनुदान तब देते हैं जब समय निकल जाता है । समय पर बीज बाट नहीं पाते और बाद में जबरदस्ती दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए मानें कि बीज और खाद आपने दे भी दिये लेकिन रुपया उनके पास कहां से उधर आयेगा ? कभी सूखा कभी बाढ़ के शिकार बने रहते हैं । इंडस्ट्री है नहीं, खाने का कोई और साधन नहीं है और फिर टैक्स आपने बढ़ाये तो उन्हीं पर । आपातिक कर भार आपने किसानों पर बढ़ा दिया जिनकी स्थिति यह है कि बीज और खाद खरीदने के लिये उनके पास पैसा नहीं है । फिर वह आपातिक भार कहां से देंगे ? इसलिये इसको तुरन्त हटा देना चाहिये । ऐसी स्थिति जब तक नहीं हो पायेगी कि वह बीज और खाद खरीद सकें तब तक उन्नति करने में पैदावार की तरफ वह सफल नहीं हो सकते ।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं ईरीगेशन के लिये कहना चाहूंगा। इतना दुख होता है इस चीज को देख कर कि मैं कह नहीं सकता उसको। जितना रुपया इस पर खर्च हमारी सरकार ने किया उसका क्या नतीजा निकला, इसको आप देखें श्रीमन्। कितनी ही नहर बनायी गयीं, कितने ही नलकूप बनाये गये, मगर पानी की समस्या यह सरकार हल नहीं कर पायी। नहरों से पानी नहीं मिल सका नलकूप अधिकांश संख्या में बेकार पड़े रहे। पता नहीं पालिटिकल प्रेशर के कारण जहां चाहा नलकूप बना दिये गये, या क्या कारण रहा, मगर यह सही है कि इनके अधिकांश नलकूप बेकार पड़े हुये हैं। मैंने जब एक इंजीनियर से पूछा कि बेकार क्यों पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको लगाते वक्त यदि अधिक सावधानी बरती गयी होती तो यह चीज सामने आज न आती। इसी तरह की और भी बातें हैं। ट्यूबवेल्स बना दिये, मगर गूल बनाने पर ध्यान नहीं दिया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पानी पहुंच भी सकेगा या नहीं। बहुत से नलकूप तो इस कारण बेकार पड़े हैं कि पानी पहुंच नहीं सकता, गूलों की स्थिति खराब है। इस सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि हम किसानों को उसी तरह सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली दें जिस प्रकार हम उद्योगों के लिये देते हैं । इस सब का नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारी स्थिति नहीं सुधर सकी ।

ऐग्रीकल्चरल विभाग की स्थिति, श्रीमन्, यह है कि अधिकारी तो बहुत बढ़ गये, लेकिन उनके द्वारा कोई रचनात्मक कार्य गांव में जाकर नहीं किया गया। यह लोग नयी-नयी विधियां तो बनाते हैं मगर किसान को उससे लाभ नहीं होता। उनको यह लोग जाकर नहीं समझाते। जो भी नये तरीके निकलते हैं वे किसान को नहीं बताये जाते। यह लोग ब्लाक लेविल कर्म-

चारियों पर ही निर्भर करते हैं। जो बी० एल० डब्लू० होता है वह पूरी तरह इन चीजों को समझा नहीं पाता। तो यह सब ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण हम ज्यादा अनाज पैदा कर नहीं पाते।

श्रीमन्, जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात कही जाती है, लेकिन स्थिति यह है कि लोगों को दो वक्त भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कपड़े की स्थिति भी बड़ी अजीब है। सरकार की कोई नेशनल पालिसी कपड़े के संबंध में नहीं है। कौन कपड़ा पहनेगा ? एक कपड़ा खादी का है, एक मिल का है, इसमें से कौनसा कपड़ा साधारण व्यक्ति को मिल सकता है, कौन सा कपड़ा वह पहन सकने की स्थिति में है, इस पर विचार करना होगा।

श्रीमन्, टैक्सपेयर का पैसा लेकर सरकार जो खादी के लिये ग्रान्ट देती है और वह जो कपड़ा तैयार होता है वह कौन इस्तेमाल कर पाता है ? बड़े-बड़े आदमी ही उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। वह इतना महंगा होता है कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं कि वह उसको इस्तेमाल कर सके। जो सब्सीडी दी जाती है वह गरीबों से पैसा लेकर दी जाती है। इसके अलावा जो कपडा मिल से निकलता है वह भी काफी महंगा होता है। उसका कारण यह है कि जो मशीनें वहां होती हैं वे बहुत पुरानी होती है और कपड़े की जो कास्ट बैठती है वह बहुत ज्यादा बैठती है। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं कि वह उस कपडे को खरीद कर पहन सके। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को सिन्थेटिक प्लान्ट लगाना चाहिये। इससे साधारण आदमी भी कपडा पहन सकेगा।

हाउसिंग प्राब्लम भी यह सरकार साल्व नहीं कर पायी है। अर्बन और रूरल दोनों जगह इसकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सीमेन्ट की कमी के कारण देहात में लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं। शहरों में स्लम्स की हालत आपको मालूम ही है क्या है। इस तरह से आप देखेंगे कि जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं भोजन, वस्त्र और मकान, सरकार इन तीन को पूरा करने में असमर्थ रही है। तो किस पहलू पर उसने जीवन स्तर उठाया ? यह जो खाकर अपने शरीर को जीवित रखना चाहते हैं इसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। यह मैं पहिली बात कहना चाहता था।

इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं सरकार को इतना सुझाव दूंगा कि अगर सरकार इस समय कुछ और नहीं करना चाहती तो आपातिक करभार को तुरन्त वापिस ले। दूसरी बात, यह सरकार जो सूखा, बाढ़ आदि से फसल नष्ट हो जाती है उसके लिये क्राप्स इन्श्योरन्स की जो स्कीम है, उसको लागू करे। दूसरी बात इर्रीगेशन के लिये जो बिजली दी जाती है, वैसे ही दे या जितनी कम कर सके जैसे औद्योगिक कामों के लिये देती है वैसे ही दे। अब श्रीमन्, इतना कहने के बाद मैं यह और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार इसका जवाब देती है कि जो खाने की समस्या पूरी नहीं हो पाई उसका एक कारण है और वह है कि लोगों को चाहिये कि अन्न उत्पादन के साथ साथ फेमिली प्लानिंग भी करें। अन्न उत्पादन के साथ खीरा बोईये, तरकारी बोईये। मैं पूछता हूं कि तरकारी कितनी हुई अगर बोई थी। क्या सीरियल वाली जमीन ले ली ? सीरियल वाली जमीन तो वैसे ही कम होती जा रही है। कोई इनकी फिक्स्ड पालिसी ऐग्री-कल्चर के बारे में नहीं है, श्रीमन्।

फेमिली प्लानिंग का दूसरा सुझाव देते हैं। जब एक आदमी एक तरफ से हारता दिखाई देता है तो वह दूसरी तरफ ध्यान आकृष्ट करता है। यह एक विवादग्रस्त विषय है। क्या कोई नेशनल प्लान हमारी सरकार का है। आज की स्थिति क्या है। देश का हर व्यक्ति आज करप्ट होता जा रहा है ? घर बैठे-बैठे, बिठाये-बिठाये करप्ट होता जा रहा है। जो विवाहित होगा उसको दस रुपये देकर नसबन्दी कर दो, जो विधुर होगा उसकी नसबन्दी कर दो, जो ५५ वर्ष से ज्यादा होगा उसकी नसबन्दी कर देंगे। यह कम्पाउन्डर को रुपये देंगे, दलाल को देंगे, और जो नसबन्दी करायेगा उसको भी देंगे। मुझे शंका है कि नसबन्दी होती भी है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत तरीके निकाले और हमको शिक्षा देते हैं कि आप सब साथ दीजिये। मैं कहता हूं कि इसकी कोई एक नेशनल पालिसी होनी चाहिये।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

आप सबके लिये एक पालिसी कर दीजिये, एक सिद्धान्त बना दीजिये कि जिसको अमुक बीमारी होगी वह स्टैरीलाईज हो जावेगा, उसको करानी पड़ेगी नसबन्दी। लेकिन हमारी सरकार को हिम्मत नहीं कि कदम उठाये। क्योंकि हमारी सरकार को भ्रम रहता है कि वोट मिलना चाहिये, समाज का उद्धार हो या न हो। एक और फेमिली प्लानिंग का पहलू है। यह भी बड़ा विवादग्रस्त विषय है। आज वह लोग हैं जो इसका प्रयोग नहीं करना चाहते जिनकी संख्या बढ़ रही है और दूसरों की संख्या घट रही है। गरीब जो है वह तो फेमिली प्लानिंग करता नहीं, अमीर फेमिली प्लानिंग करता है, या पढ़े लिखे करते हैं जिनके पास पैसा है। जो गरीब हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और वह समस्या सुलझती नहीं। इस पहलू पर मैं क्या ज्यादा जाऊं, सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। जो तरीके सरकार ने अख्तियार किये हैं वे बिल्कुल गलत हैं और मैं समझता हूं कि इससे एक तरह भ्रष्टाचार ही फैलेगा। इतनी तो, श्रीमन्, खाने से संबंधित बात है।

एक बात और, श्रीमन्, कहना चाहता था। आप एजुकेशन की ओर देखें। १९ वर्ष इनको राज्य करते श्रीमन्, हो गये। इन्होंने क्या उत्थान किया? आंकड़े तो श्रीमन्, बहुत से देंगे। आज तक इस सरकार ने मनुष्य का राष्ट्रीय चरित्र बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया। शिक्षा में १९ वर्ष के अन्दर कोई परिवर्त्तन नहीं लाये। जो इन्होंने बजट भाषण में संख्याएं दी हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आज यही कायदा है कि अगर डेमोक्रेसी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये था और उसमें आमूल भूल परिवर्तन करना चाहिये था। आज शिक्षा दुर्लक्ष्य पर है। आपको इस शिक्षा का परिणाम क्या हो रहा है? विद्यार्थियों में इनडिसिप्लिन फैल रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, चरित्र गिर रहा है, इम्तहानों में नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह उन लोगों का है जो हमारे देश के भविष्य के निर्माता होंगे। आज उन्हीं को हम अन्धकार में ले जा रहे हैं। पुस्तकों का नेशनेलाईजेशन किया जा रहा है। एक सीढ़ी आप और नीचे चले गये। अभी तक जो फ्री कम्पीटीशन था वह भी खत्म हो गया। कुछ किताबें अच्छी आ जाती थीं, अब जैसी भी आप चाहेंगे अच्छी या बुरी आप छाप देंगे और उससे शिक्षा का स्तर और भी नीचे गिर जायगा। शिक्षा पर जो खर्च होता है वह सब राज्यों से यू० पी० में कम है। यहां १३.४७ प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति ५.० है। अपने कांस्टीट्यूशन में एक चीज दी हुई है कि ६-१४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी लेकिन वह भी यह सरकार नहीं कर पायी है। केवल बालिकाओं के लिये किया है लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। आज शिक्षा गरीबों के लिये कठिन हो रही है। फीस इतनी बढ़ गयी है कि गरीब शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकता। आपके यहां साक्षरता १७.६ है जबकि दूसरे प्रदेशों में कहीं अधिक है।

दूसरी बात हिन्दी के बारे में है। हिन्दी की इस सरकार ने बहुत ज्यादा उपेक्षा की है। हम चाहते थे कि हिन्दी की प्रगति होती लेकिन वह नहीं हो पायी। राजकीय कार्यालयों में अंग्रेजी का खुल कर प्रयोग हो रहा है। शिक्षा में भी अब अंग्रेजी तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाने लगी है। इस प्रकार से शिक्षा के प्रति आपका बड़ा भारी दुर्लक्ष्य रहा है। उस शिक्षा के प्रति जो जनतंत्र के लिये अत्यावश्यक है।

अब मेडिकल और पब्लिक हेल्थ की ओर आता हूं। आपने दो कालेज खोले हैं लेकिन आपकी डिस्पेंसरीज डाक्टरों के बिना पड़ी हुई हैं क्योंकि डाक्टरों को आप उचित रेम्युनरेशन नहीं देते, वे देहात में नहीं जाते। न इस प्रकार का उन पर कोई प्रतिबन्ध ही लगाया गया है। उनके बारे में आपकी कोई फिक्स्ड पालिसी नहीं है। यही कारण है कि आयुर्वेद के विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं और उसको आप सुलझा नहीं पाये हैं। ऐलोपैथी और आयुर्वेद में आप कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाये। आपके अस्पतालों का समय ९-१ बजे तक का है: ९ बजे डाक्टर आकर राउन्ड पर चले जाते हैं। इस कारण से साधारण

लोगों को न तो प्रातःकाल ही दवा मिलपाती है और न सायंकाल को ही। आपकी दवायें केवल बड़े आदमियों के लिये हैं, गरीब आपकी दवा नहीं ले पाता है। रूरल एरिया जो आपका सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उसको दवा मिल ही नहीं पाती। आपको मूविंग हास्पिटल्स की स्थापना करनी चाहिये जो यह पता लगाये कि कौन भीषण बीमारी से बीमार है और उसकी बीमारी का प्रबन्ध सरकार करे। मेडिकल विभाग के बारे में तीन कमेटीज बैठीं। लेकिन तीनों कमेटीज की रिपोर्ट्स को आपने इगनोर किया है। लाखों रुपये की ड्रग्स आपकी रखी हुई थीं लेकिन उनको आप समय से गरीबों के पास तक नहीं पहुंचा सके और वे सारी कीमती दवाइयां बेकार हो गयीं। जो लाखों रुपया इस में लगा वह बेकार गया, इस तरह से दवाओं और जन-स्वास्थ्य में भी सरकार एक खिलवाड़ कर रही है

जीवन की एक तीसरी आवश्यकता है एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस। इस संबंध में कहूंगा कि ला कमीशन बैठा। इस ला कमीशन ने बार बार रिपोर्ट दी, उसने खास तौर से सरकार का ध्यान दो पहलुओं पर दिलाया, एक तो यह कि एगजिक्यूटिव और जूडीशियरी अलग होने चाहिये और दूसरे यह कहा कि न्याय जनता को सस्ता मिलना चाहिये। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने इन दोनों के विपरीत ही काम किया। इस विषय में एक चीफ जस्टिस, राजस्थान का एक वक्तव्य जो मैं हाथ में लिये हूं, वह मैं पढ़ रहा हूं। श्री डी० एस० दवे कहते हैं कि—

"Mr. D.S. Dave, Chief Justice of the Rajasthan High Court, yesterday stressed the necessity of providing quick, speedy and cheap justice to the common man. This was the fundamental obligation of the State, he said.

Inaugurating the first conference of the Bar Councils of India, he said that it was a serious matter to be considered whether, according to the spirit of the Constitution, the administration of justice should be made subject of the payment of tax. Court fee though called fee was in reality a kind of tax, as it went to the general revenue of the Government, he asserted. Also, litigants had to pay fee for obtaining copies of the documents."

नतीजा यह हुआ कि १२ आने कोर्टफीस थी वह बढ़कर १ रुपया हुई, फिर सवा रुपया हुई और डेढ़ रुपया हुई। यह फीस ओरिजिनल मुकदमे में भी लगती है और अपील में फिर दोबारा वह गलती है, यद्यपि सारा मुकदमे का काम ओरिजनल कोर्ट में ही समाप्त हो जाता है। इस तरह से सस्ते न्याय की बात ही खत्म हो जाती है और सस्ता न्याय देने में भी सरकार असफल रही है। मुझे आदत थी कि मैं इस सरकार को अपनी सरकार कहता आया हूं। लेकिन अब इस कांग्रेस सरकार को अपनी सरकार कहने की मेरी हिम्मत नहीं रह गई है। यह सरकार अपने को किसी चीज के लिये जिम्मेदार ही नहीं समझती, दूसरी स्थिति यह है कि आज कोर्टस् की हालत यह है कि ६० हजार मुकदमे बकाया पड़े हैं और न्याय प्रशासन का खर्च बराबर बढ़ रहा है और सरकार ने इस मद को भी अपनी आय का जरिया बना रखा है। गरीब जनता को न्याय सस्ता देने का कोई विचार नहीं है। हालत यह है कि अगर आज कोई गरीब है तो उसको धनी तबाह कर सकता है और पैसा न होने के कारण वह गरीब इंसाफ से वंचित रह सकता है। हमारा स्तर यह उठा है कि गरीब जीवन की आवश्यकता खाना, वस्त्र, मकान और सस्ता न्याय व दवा भी नहीं पा सकता। हाईकोर्ट के फैसलों की उपेक्षा यह है कि अगर हाई कोर्ट से कोई फैसला होता है तो अध्यादेश निकाल कर उस जस्टिस को खत्म कर दिया जाता है। कहने को कल्याणकारी राज है लेकिन किसी को आज सस्ता न्याय नहीं मिल सकता।

एक खास बात मुझे यह भी कहनी है कि जब यहां लड़ाई चल रही थी तो उत्तर प्रदेश से ही ब्राडकास्टिंग होता था लेकिन सरकार पता नहीं लगा सकी कि ट्रान्समीटर कहां हैं, इनके प्रशासन में बोर्डर की सुरक्षा नहीं है। अभी हाल में श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे ने प्रश्न किया था कि यू० पी० की सीमा में चीनी घुसे लेकिन यहां की पुलिस को कोई पता नहीं लगा। ऋषि-केश में चीनी आये लेकिन इनको पता नहीं लगा, १०० चीनी आते हैं तो इनको कहीं एक का पता

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लगता है। चीन से सामान यहां स्मगिल होकर बिकता है लेकिन इनको बाजार में पता नहीं चलता कि कहां बिकता है और यह कोई रोकथाम नहीं कर सकते।

इसके अलावा हमें इस बात का बड़ा दुख है कि ला एन्ड आर्डर ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके बारे में मैं क्या कहूं! बहुत छोटी बात है कि वह जन प्रतिनिधि भी नहीं है, वह कौंसिल से आया है। वह पहलू मैं पेश नहीं करता लेकिन वह भी एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू यह जरूर है कि उनकी इतने दिन की रिजीम में पुलिस की क्या दशा हुई है और ला एन्ड आर्डर कहां रह गया है। आज की पुलिस ४७ से पहले की पुलिस से भी खराब हो गई है और दमन करना, जनता को त्रसित करना उसका काम हो गया है। वह इस कुर्सी पर बैठ कर जनता की क्या रक्षा करेंगे? वही प्रवृत्ति इनकी आज चली आ रही है। यही कारण है कि इनकी पब्लिक के प्रति जो हमदर्दी होनी चाहिये, जो कर्त्तव्य की भावना होनी चाहिये, जो कर्टसी की भावना होनी चाहिये, उसका बिलकुल अभाव है। इसके दो-तीन उदाहरण मैं बतलाना चाहता हूं। आप यह देखें कि आज की पुलिस ऐसी भ्रष्ट है कि उसमें पब्लिक का बिलकुल विश्वास नहीं रह गया है। रुपये पैसे के करप्शन की ओर मैं नहीं जाता, कर्त्तव्य की ओर मैं जाता हूं। आप देखें कि तीन मिसालें आपके सामने आयीं, और मेरा खयाल है कि कदाचित ऐसे उदाहरण सारे संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। सीतापुर का जो आदमी मर गया वह दूसरा था, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि उसको छिपाने के लिये एक नाले में फेंक दिया और दूसरे को फंसाने के लिये एक आदमी को उसके घर से गायब कर दिया और उसके घर वालों से रिपोर्ट करवा दिया कि उसको लोगों ने मार डाला। इस तरह से पुलिस ने दो कल्पित अभियुक्त पैदा करके उन पर मुकदमा कायम कर दिया और वह मुकदमा चलने लगा। यह स्वाभाविक है कि जब किसी पर मर्डर का मुकदमा चलता है तो उसके ऊपर दूसरा मुकदमा नहीं चलता। पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिये दो निरपराध व्यक्तियों को फंसा दिया। यदि साबित हो जाता कि इनकी वजह से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वे फांसी पर लटक जाते। सोचने की बात है कि एक आदमी जिन्दा है और उसके मर्डर के नाम पर दूसरे निरपराध आदमी को पुलिस ने फंसा दिया। इसी पुलिस के लिये कहा जाता है कि उसका सारे प्रदेश में बड़ा नाम है। जौनपुर का ही एक दूसरा उदाहरण है जहां डाकुओं ने दो आदमियों को मार डाला पर इस पर कुछ लोगों को मुकदमा चला। इस सिलसिले में जब जांच की गयी तो मालूम हुआ कि जिस दिन डाका पड़ा था उस तारीख में वे व्यक्ति जेल में थे, तब जाकर वे छूट पाये। मैं पूछता हूं कि आखिर इनवेस्टिगेशन आफिसर कौन था, किसने इनक्वायरी की थी? ये दो उदाहरण काफी हैं जिनमें एक व्यक्ति की जान खतरे में पड़ी और दूसरा व्यक्ति जो बिलकुल निरपराध था उसे भी खतरे में डाल दिया गया था। इस पर तो माननीय गृह मंत्री को स्वयं रिजाइन कर देना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है, अगर आज उनके प्रशासन में ऐसी स्थिति है।

मैं आपको बतलाऊं कि बांसी में एक दरोगा जी हैं। मैं कभी किसी की व्यक्तिगत शिकायत करने का आदी नहीं हूं लेकिन मैं कप्तान साहब के यहां बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि पुलिस के संबंध में आपका क्या खयाल है। मैंने उनसे कहा कि वैसे तो मैं कभी यहां आता नहीं हूं, आपके बुलाने से आ गया था, वैसे मुझे इस संबंध में कुछ कहना नहीं है। बांसी के दरोगा की तीन वर्ष से चारों तरफ जो ख्याति है उसके बारेमें कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट की तरफ से ईमानदारी के लिये पुलिस को ५०० रु० का इनाम दिया जाता है। कप्तान साहब ने कहा कि सरकार इन दरोगा जी को ५०० रु० इनाम दे रही है। मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह कलियुग है और कलियुग में यह कलियुगी सरकार ही कांग्रेसी सरकार है। तो ५०० रु० अगर दिया जाता है इनको तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी तरह से 'उसका' के दरोगा जी का भी किस्सा है। एक नहीं, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि जो ईमानदार आदमी है उसकी इस प्रशासन में गणना नहीं है। जो मिनिस्टर को खुश कर

सके, जो अधिकारियों को खुश कर सके, उसी की तरक्की होती है। आज ऊपर से नीचे तक यही स्थिति है। आज थाने भी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के होते हैं और वहां पर ट्रांसफर के लिये अधिकारियों को सामान आदि पहुंचा कर उनको खुश किया जाता है ताकि उन्हें फर्स्ट क्लास का थाना मिल जाय। इसमें रुपये पैसे का ही करप्शन नहीं चलता बल्कि नाना प्रकार के करप्शन चलते हैं। किसी न किसी तरह का करप्शन अवश्य चलता है। अगर विरोधी दल किसी के लिये कुछ कहे तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वे तो सोचते हैं कि अगर कहीं उसके कहने पर किसी का ट्रांसफर वगैरह कर दिया तो सभी यही समझने लगेंगे कि विरोधी दल की बात मान ली गयी। विरोधी दल की वह सत्य बात भी नहीं मानती और न वह सदन में उसके पथप्रदर्शन को ही मानती है। तो आज पुलिस की स्थिति यही है।

सरकार यहां सदन में खड़े होकर कहा करती है कि हमारी पी० ए० सी० ने यह कमाल किया, वह कमाल किया। यह सही है कि पी० ए० सी० ने पश्चिमी साइड में काम किया और पूर्वी साइड में भी काम किया और उसके लिये आप उनको जो उपहार, इनाम देना चाहें दें, लेकिन जब वह पी० ए० सी० इस सिविल पुलिस के सम्पर्क में आती है तो वह भी बिगड़ जाती है। उन्हीं के आदेश से वाराणसी विश्वविद्यालय में लाठी का प्रहार हुआ। हमारे मंत्री जी ने सदन में कह दिया कि विदेशी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० द्वारा नहीं पीटे गये और न वे (पी० ए० सी० के जवान) विश्वविद्यालय के प्रांगण में बिना वाइस चांन्सलर की आज्ञा के घुसे। हम लोग, श्रीमन्, स्वयं वहां पर गये थे और विद्यार्थियों से बात की थी परन्तु ये लोग अपने मन से दूसरी बात कहने लगे। यदि आज हमारे विरोधी पक्ष के लोगों का यह आदर है तो फिर कैसे यह प्रशासन सुधर सकता है। आज अपराध बढ़ रहे हैं और जब इसका कारण पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि अपराधों की संख्या इसलिये बढ़ी है कि रिपोर्ट ज्यादा लिखायी जाती हैं। मैं जानता हूं कि पुलिस में एक आफिसर है, जिसे कम्पलेंट अफसर कहते हैं, नियुक्त कर दिया गया है। उसका काम क्या है, श्रीमन्, जरा आप सुनें। वे यह कहते हैं कि अगर तुम पुलिस वालों के खिलाफ कुछ कहोगे तो पुलिस वाले तुम्हें किसी मुकदमें में फंसा देंगे। जब ऐसी स्थिति है तो यह डिपार्टमेंट सुधर नहीं सकता है। एक मर्तबा, मुझे ध्यान आता है, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि इंगलैन्ड और अमरीका की पुलिस में एक किमेजां अफसर होता है। वह देहातों में घूम-घूम कर या और दूसरी जगहों पर घूमकर यह सूचना देता रहता है कि फलां पुलिस अधिकारी ऐसा है और उसके बारे में जनता की राय ऐसी है, खराब है या अच्छी है। यहां पर यह होता है कि पुलिस के अधिकारी के विरुद्ध यदि शिकायत की जाती है तो उसको सुनने वाला भी पुलिस का आदमी ही होगा इसको सुधारने के लिए अगर भावना बदली होती तो संभव था सुधार हो जाता लेकिन इस तरह से कोई सुधार होने वाला नहीं है।

करप्शन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। करप्शन की बात तो ला इलाज हो गयी है। इस प्रदेश में करप्शन तो तभी दूर हो सकता है जबकि ऊपर के स्तर वाले स्वच्छ हों और समाज यह समझने लगे कि ऊपर के स्तर वाले सच्चे तरीके से रहते भी हैं। इसके लिये मैं २-१ उदाहरण देना चाहता हूं। अब मैं अपने मिनिस्टीरियल साथियों की ओर आता हूं। एक विजिलेन्स कमीशन की उन्होंने स्थापना की। उसने आज तक कौनसा कार्य किया, वह कहीं भी सुनने को हमारे कान में नहीं आता है।

एक सदस्य---

कुछ पटवारियों को पकड़ा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

छोटे आदमियों को ही पकड़ते हैं। किसी बड़े आदमी या हाकिम को नहीं पकड़ा जाता है। मैं तो सदन के सम्मुख खिचड़ी के कुछ चावल रखना चाहता हूं। यहां पर ४ मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाये गये, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या हुआ? इनमें से एक

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

माननीय मुजफ्फर हसन हैं, एक डाक्टर सीताराम हैं और दो और मंत्री हैं, उन सबके नाम मालूम हीं होंगे। माननीय मुजफ्फर साहब के विरुद्ध आरोप लगाये ३ वर्ष हो गये हैं। ये आरोप चल रहे हैं। उधर से यही जवाब आयेगा कि ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था उनमें एक श्री एम० लाल हैं और दूसरे टंडन जी हैं। मेरी सूचना है कि उसके बाद श्री टंडन को एक फिएट कार दे दी गयी और उनके लड़के को पैट्रोल पंप दे दिया। मुझे दुःख है व्यक्तिगत बातें कहने पर लेकिन जब यह काम हो जाता है तो कहना ही पड़ जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि या तो आप जुडिशियल डेसिजन ले लें या लीगल डेसिजन ले लें, पोलिटिकल डिसीजन में कुछ नहीं देखता। आप सामने विराजमान हैं इसलिये कि आपका गुट मजबूत हो और आपका प्रशासन चले। हमारे सामने आदर्श तो यह है कि राम ने सीता को यह जानते हुए भी कि निर्दोष है जंगल में भेज दिया लेकिन अमल यह हो रहा है कि कुर्सी से चिपके रहेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे क्योंकि पोलिटिकल शक्ति आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आज पार्टी प्रमुख हो गयी है, जनहित गौण हो गया है। लीगल ऐक्शन की बात यह है कि हरएक समझता है कि मुकदमा करने जायगा तो १० वर्ष तक लटक जायगा। हाई कोर्ट तक मामला जायगा पता नहीं आदमी खत्म ही हो जाय और फैसला न हो सके। लिहाजा लीगल ऐक्शन में फैसला नहीं हो सकता। डिपार्टमेन्टल ऐक्शन हो। विजिलेंस कमीशन हटा दिया जाय। उसी डिपार्टमेंट के ईमानदार आदमी के सुपुर्द करिये या हाउस के सदस्य हों जो ऐसे केसेज को डील करें। आप घर का व्यक्तिगत मामला घर में ही फैसला कराते हैं और ऐसे आदमी को नियुक्त करते हैं जो आप के मन की बात कहें। चाहे कितना भी जवाद दे दीजिये, न जनता को संतोष होगा, न इधर संतोष होगा। आंख में धूल झोंकने वाला जवाब होगा।

यह जो करप्शन है एक तरह का नहीं है, नाना प्रकार का है और करप्शन चारों तरफ घुस गया है। यही कारण है कि जितनी नीतियां, जितने प्लान्स हैं, जितनी चीजें हैं सब असफल हैं। चाहे आप किसी को कमेटी में नियुक्त कर दें, चाहे आप किसी को कोई सामान दे दें, चाहे तरफदारी कर दें और किसी जुर्म से छोड़ दें, ये सारी चीजें हैं जो इस समाज को भ्रष्ट करती हैं। लेकिन सरकार ने कोई भी नीति स्पष्ट नहीं अपनाई और न समाज और सर्विसेज को स्वच्छ बनाया।

सर्विसेज में हर एक आदमी बेईमान नहीं है, कुछ ईमानदार भी हैं लेकिन वे हतोत्साहित हैं। वह कहते हैं कि ईमानदार रह कर क्या करें। हमारे बच्चे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। दूसरे जो रुपया कमाते हैं उनकी स्थिति देखिये। वे अपने सुपीरियर को खुश रखते हैं। उनको पैसा देते है, चापलूसी करते हैं इसलिये उनको तरक्की मिलती हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन हम को तरक्की नहीं मिलती। आज मेरिट पर नहीं, चापलूसी पर तरक्की मिलती है और यही तरक्की का आधार है, मेरिट का कोई स्थान नहीं है। यही प्रशासन में सब से बड़ा करप्शन का कारण है।

दूसरे इस सरकार ने अपनी शक्ति का बड़ा दुरुपयोग किया है जिससे डेमोक्रेसी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। डी० आई० आर० का उपयोग सरकार अपने विरोधियों पर करती है, और प्रेस को काबू में रखना चाहती हैं। सच बात यह दी तो जो सुविधा होती है वह सरकार द्वारा उन को नहीं मिलती। प्रेस को भी उनकी मर्जी के माफिक करना है। इससे जनतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। यह सरकार द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग है। कारपोरेशन, जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव को ले लीजिये, उनके साथ उसके व्यवहार को लीजिये, जहां कहीं सरकार का अधिकार होगा वहां निश्चय ही उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए भी यह प्रशासन साफ नहीं हो सकता।

अब इकोनामी की बात आई, और आई० सी० एस० और आई० ए० एस० को सुरक्षित रखने की बात आई। मैं बहुत गहराई तक नहीं जाऊंगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, बोर्ड आफ रेवेन्यू की मोटी बात कहूंगा। आज जो इकोनोमी की बात की गई है, दुर्भाग्य की बात है। इकोनोमी सरकार नीचे से शुरू करती है, चपरासी को हटाना चाहिए, क्लर्क को हटाना चाहिये लेकिन ३ हजार रु० तनख्वाह पाने वाले की ३,५०० रु० तनख्वाह हो जानी चाहिये। अगर जगह नहीं है तो उसकी रक्षा के लिए जगह क्रीएट होनी चाहिए। बोर्ड का जब ओरिजिन हुआ तो पहले सरकिट कोर्ट्स होते थे उसके बाद जुडशियल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर्स दोनों अलग-अलग हो गये। १९५५ मे लैंड रिफार्म कमिश्नर की पोस्ट क्रीएट हुई और कमिश्नर का काम उनको दे दिया गया और कमिश्नर की पोस्ट तोड़ दी गई। श्री ए० एन० झा १९५५ में फिर से हुए और लैंड रिफार्म कमिश्नर जो थे जिन को कमिश्नर की पोस्ट पहले मिली थी, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना था, उन को बोर्ड का मेम्बर बना दिया गया। अब ३ हजार से ३५ सौ उन की तनख्वाह हो गई। लेकिन किस बहाने से किया गया ? बहुत से महकमे उन के अन्डर कर दिए गये और जो बाकी बचे थे आई० सी० एस० और आई० ए० एस० उन को ऐकोमोडेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ऐन्टरटेनमेंट कमिश्नर, ऐक्साइज कमिश्नर की पोस्ट कर दी गई। इन कामों को क्या कम तनख्वाह पाने वाले नहीं कर सकते थे? लेकिन यह बोर्ड के मातहत कर दिये गये। यह कार्य बोर्ड को सौंप दिया गया। इसके लिए तीन मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू तैनात हो गये। लेकिन सब कागज पर रह गया। इस तरह बोर्ड के मेम्बर की जो पोस्ट क्रीएट हुई वह भी रह गई और कमिश्नर भी अपनी जगह पर रह गये। आज बोर्ड की हालत क्या है? जो वकालत करते हैं वह देखें कि १२ बजे बैठेंगे और १ बजे उठ जायंगे, अगर १ बजे बैठेंगे तो २ बजे उठ जायंगे। जितने मेम्बर बोर्ड के हैं उनके पास कोई काम नहीं है।

ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में है। अब मैं सेक्रेटेरियट पर आता हूं। मैं केवल दास साहब को नहीं कहता, जो भी इस सेक्रेटेरियट में आता है वह समझता है कि मिनिस्टर तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, हमारे दास साहब तो जैसा मैंने कहा कैबिनेट इन मिनिएचर हैं। मुझे आई० ए० एस० लोगों से नफरत नहीं है लेकिन दुख है कि समान व्यवहार क्यों नहीं होता। मैं नहीं कहता कि सब बेईमान हैं, लेकिन इस तरह के काम अगर न किये जायं तो अच्छा रहे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कमिश्नर बनाना था, जिनकी तनख्वाह बढ़ानी थी तो कमिश्नर की पोस्ट्स जो अबालिश हुई थीं उन को फिर से रिवाइव कर दिया गया ताकि लोगों को ऐबसार्ब कर सकें। हालांकि काम कुछ नहीं करते कमिश्नर लोग, उन को डेवलपमेंट का काम दे दिया जाता तो भी मेरी समझ में आता। जुडिशियल काम जुडिशियल कमिश्नर करता है। सेक्रेटेरियट में बहुत सी कमिश्नर्स की पोस्ट क्रीएट की गयीं और जैसा मैंने पहले कहा, कंसालीडेशन कमिश्नर, एल० एस० जी० कमिश्नर, होम कमिश्नर, फूड कमिश्नर आदि की पोस्ट्स सिर्फ इसलिए क्रीएट की गयीं क्योंकि उनके इनकमबेंट्स की तनख्वाह बढ़ा देनी थी। चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब तक बी० बी० लाल और श्री जे० एस० लाल रहे तो उन को चूंकि कमिश्नर बनाना था इसलिए उन को कमिश्नर कहा जाने लगा। लेकिन जब वह हट गए तो कमिश्नर की पोस्ट खतम हो गई। मैं पूछता हूं कि पहले इसी तरह से काम नहीं हो सकता था ? लेकिन नहीं। क्योंकि इन दोनों आदमियों को ऐकोमोडेड करना था इसलिए कमिश्नर की पोस्ट बनायी गई। मंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि कितने फर्स्ट ग्रेड के अफसर हैं और कब-कब तरक्की हुई और क्या दूसरों से उस के बाद वह काम हो सकता था या नहीं। अब जो आपका सेक्रेटरी होता है वह तीन हजार रुपये वेतन पाता है। मैं चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी से नीचे का कोई लिंक न रहे। अब कितनी ही नई पोस्ट्स क्रिएट कर दी जाती हैं और हाल यह है कि जो लोग इन पोस्ट्स को क्रिएट करते हैं वही फैसला भी लेते हैं। जो सब से ऊपर हैं वह विचार नहीं करेंगे कि हम जो कहते हैं वह सही है या गलत है। लेकिन यह बहुत बड़ी गम्भीर बात है। आपने हर विभाग में बहुत सी नई पोस्ट्स क्रिएट कर दी हैं जैसे सेक्रेटरी, डिप्टी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडीशनल सेक्रेटरी आदि की। इन पोस्ट्स के क्रियेट करने की क्या जरूरत थी? दूसरी पोस्ट्स क्रियेट की जानी चाहिये थीं जिससे उनको इतनी तनख्वाह न देनी पड़ती। लेकिन आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कायम रहे और उन को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती रहें। इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कह रहा हूं कि वह अपने विभाग में देखें कि उन के यहां फर्स्ट ग्रेड के कितने आफिसर्स हैं और बहुत से सीनियर आफिसर्स उनके नीचे पड़े हुये हैं। माननीय गेंदा सिंह जी विचार करें कि कितने उनके आफिसर्स देहात में जाते हैं और कितने आफिसर्स के ज्ञान का लाभ जनता उठा पाती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आफिसर्स के आधार पर सब से ज्यादा रुपये खाता है। हेड क्वार्टर पर बहुत से आफिसर्स पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरे विभाग भी हैं। आप के सेक्रेटेरियट की यह हालत है। अगर माननीया मुख्य मंत्री इसको सुधारना चाहती हैं तो वे एक बाडी कायम करें जिसमें सदन के माननीय सदस्य हों और एक बड़ा सीनियर आफिसर भी हो। वह बाडी इसको देखें कि यह चीज गलत है या नहीं और इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिये। इसका कर्त्तव्य हो कि वह इन सब बातों पर डिटेल में विचार करे।

श्रीमन्, यह बड़ी हिम्मत की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय मिश्रा जी ने बी० डी० ओ० की पोस्ट को अबालिश कर दिया है। पी० डब्लू० डी० में भी बड़ी गड़बड़ी है। ५ असिस्टेंट इंजीनियरों के ऊपर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। इसलिये किसी काम के ऊपर ५ असिस्टेंट इंजीनियर लिये जाते हैं जिससे एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मिल जाय। इस चीज का भी निरीक्षण होना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक समिति हो जो इन सब चीजों पर विचार करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक और तरीका विभागों ने अपना रखा है। उस पर सरकार को विचार करना चाहिये। सरकार कुछ अधिकारियों को बाहर भेजती है किसी ट्रेनिंग के लिये तो उनके लौट कर आने पर उनको दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं एक श्री रत्नप्रकाश थे जो ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजे गये परन्तु वहां से लौटने पर उनको दूसरे विभाग में भेज दिया गया। अगर उनको दूसरे विभाग में ही भेजना था तो उन की ट्रेनिंग पर इतना रुपया क्यों खर्च किया गया? इसी प्रकार से एक श्री पी० एन० कपूर थे, उनको भी बाहर भेजा गया और उनके वापस लौटने पर उनको इनाम मिल गया। उनको म्योर मिल का मैनेजर बना दिया गया। इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। आप इंजीनियरों को सरकारी खर्चे से बाहर भेजते हैं लेकिन उनके लौटने पर उन को दूसरे काम पर रख देते हैं मेरा सुझाव यह है कि एक कमेटी बनाई जाय। इसको चाहे इकोनोमी कमेटी कहा जाये या हाई पावर कमेटी कहा जाये। वह सब चीजों की छानबीन करे और सारी चीजों को देखे।

इसके पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं दो चीजें और कहना चाहता हूं। एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में पहले काफी कह चुका हूं। उसके लिये सहायक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है। लेकिन वह बड़ा भ्रष्ट है। उसका बेसिस यह होना चाहिये जिससे किसानों की हालत संभले। इसको न करके अलग-अलग सोसाइटियों के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है जिससे उसके ऊपर काफी बोझ पड़ता है। एक सोसाइटी के द्वारा ही उस को सहायता दी जानी चाहिये और आफिसर्स को देखना चाहिये कि वह गांवों में जाते हैं या नहीं। जो इनके सुपुर्द काम किया गया, ठिकाने से काम चल रहा है या नहीं, इस पर विचार करें। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को डाइरेक्शन देना चाहिए कि वे खाद पर सूद न लें और लोन लांग टर्म दें। शार्ट टर्म लोन से लोन लेने वालों की स्थिति सुधर नहीं पाती। मेरा एक और सुझाव है कि विभागों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये जैसा कि एक मंत्री के अन्दर वेटरिनरी डिपार्टमेंट है, पावर हो, इर्रीगेशन हो, और इन सब को कोआर्डिनेट करे। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर, प्लानिंग आफिसर न हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जो सब विभागों को अपने अन्दर रखे, वह लिंक करे और जब मौका पड़े तो सबका तारतम्य बांधे और प्रोडक्शन में गड़बड़ न हो।

जो बजट बना इसमें एक चीज पर और ध्यान नहीं दिया गया। इसमें इम्बैलेंस है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टस हैं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस को डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जा स ता है। पूर्वी जिलों में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, व्यापार और सड़कें नहीं हैं। पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। बस्ती की १८९, जौनपुर की १९८, और सुल्तानपुर की १९८। पहाड़ी जिलों की स्थिति बहुत पहले से खराब है। पहले वहां सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था। इस बजट में पूर्वी जिलों और पहाड़ी जिलों के लिए कोई विशेष प्राविधान नहीं दिखायी देता है। इंडस्ट्री के बारे में आवश्यकता यह है कि प्रदेश में छोटी इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल, काटेज और विलेज इंडस्ट्रीज का जाल फैलाया जाय। यहां के लोग ऐग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। ऐग्रीकल्चर धोखा देता है। उसका सब्स्टीट्यूट इंडस्ट्री है। विकेन्द्रीकरण का सिद्धांत आपने स्वीकार किया। तो असमानता दूर करने का उपाय यह है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कम हों और काटेज इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज ज्यादा हों। सरकार ने पश्चिम के नौ जिलों में सारी इंडस्ट्रीज को भर दिया।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

सारी पूर्व में हैं। कानपुर में भरी पड़ी हैं। पश्चिमी जिले तो भूखे मर रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह कहना चाहता था कि ९ जिलों में, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर आदि में एक जगह एकत्र कर दिया है। मुझे पश्चिमी जिलों से दुर्भावना नहीं है। लेकिन उनसे खराब हालत पूर्वी जिलों की है। प्रदेश में, विलेज इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाय और पूर्वी जिलों में ज्यादा प्राविधान किया जाय। इंडस्ट्री के बारे में यू० पी० की क्या स्थिति है, मैं यह बता देना चाहता हूं। श्रीमन्, यहां इस प्रदेश की औद्योगिक स्थिति बहुत ही कुंठित है। इस राज्य में २.८ प्रतिशत लोग ही औद्योगिक कार्यों में रोजगार पा रहे हैं जब कि समस्त देश में लगभग ४.२ प्रतिशत रोजगार पा रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि छोटी यंत्र चालित योजनायें ही देश के औद्योगीकरण का आधार बननी चाहिये। इसके लिये कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है। बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये ४ सौ करोड़ रुपये का प्राविजन है और लघु उद्योगों पर २ सौ करोड़ रुपये का लेकिन इसमें पूर्वी जिलों के लिये नहीं लिखा है कि कौन-कौन से उद्योग वहां चलाये जायेंगे। इसी प्रकार से हिल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वहां के यातायात के बारे में भी कुछ नहीं। उद्योग से सम्बन्धित, डिफेन्स के बारे में कुछ सड़कें बन रही हैं लेकिन उद्योग से सम्बन्धित नहीं हैं। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में लगान भी ज्यादा है।

अब श्रीमन्, आप देखें कि यू० पी० में लगान क्या है। पर एकड़ लैंड रेवेन्यू यहां ४ रुपये ९८ पैसा है जब कि आन्ध्र प्रदेश में ३ रुपये ५० पैसा, आसाम में ४ रुपये ५१ पैसे, बिहार में ३ रुपये ६१ पैसे हैं। हर प्रदेश में लगान यहां की अपेक्षा बहुत कम है, यहां बहुत अधिक है। यहां जब खेती की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो उनके लिये ऐसे उद्योग धंधे पैदा करना चाहिये जिसमें लगकर वे अपना पेट भर सकें।

अब हरिजन वेलफेयर के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि १.१४ करोड़ रुपया उसका परसनल लेजर एकाउन्ट में पड़ा है। उसके बारे में कहा जाता है कि हम हरिजनों के लिये सीमेंट नहीं दे पाते, मकान बनाने के लिये और सामग्री नहीं दे पाते, इसलिये इनको रिहैबिलिटेट करने के लिये जो रुपया हम रखते हैं वह पड़ा रह जाता है। रुपया हम उनको इसलिये भी नहीं दे पाते क्योंकि उनके लिये श्योरिटीज नहीं मिल पातीं। यह श्रीमन्, हरिजन कल्याण के बारे में है।

श्री हरीसिंह—]

बस हरिजन कल्याण के बारे में इतना ही है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जब अलग-अलग विभागों पर विचार होगा तो विस्तार से आयेगा। लेकिन यह सही है कि हरिजनों के लिये पुस्तकें नहीं हैं, अन्य सुविधायें नहीं हैं जिससे उनके बच्चों को आसानी से एजूकेशन मिल सके। लेकिन यह सारी बातें तो जब विभिन्न मदें आयेंगी तो उनके बारे में कहा जायेगा। हमने जो आपसे सारी बात कहीं वह एक ही आधार पर कहीं। यह सब कहने के बाद हमने यह देख लिया है कि जीवन स्तर इन्होंने नहीं बढ़ाया। न भोजन की, न कपड़े की, न मकान की, न एजूकेशन की कोई व्यवस्था हुई। ये लोग ला ऐन्ड आर्डर भी नहीं सम्भाल पाये। जितने भी जीवन के अंग हैं और जिनके बारे में मैंने यहां पर चर्चा की, उनमें किसी विषय में भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता। इस कारण हमारे दल ने यह निश्चय किया है और माना है कि यह सरकार टैक्सों की सरकार है। हमने जो भी यहां पर अपनी भावना व्यक्त की है वह हमने तभी प्रकट की है जब हमने देख लिया है कि आप शुरू से अन्त तक इस पहलू पर चल रहे हैं कि आप समाज को कोई राहत नहीं दे सके। इन सब बातों को देखते हुये हमारे दल ने यह निश्चय किया है कि अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा दल अगले महीनों में एक आन्दोलन छेड़ेगा। हमारा सरकार से इसलिये नम्रता के साथ यह निवेदन है कि सरकार को मालगुजारी से यह सर चार्ज हटा लेना चाहिये, मालगुजारी को आधा कर देना चाहिये। खेती के बारे में सिंचाई रेट को बहुत कम कर देना चाहिये। मैन्योर सरकार को मुफ्त देना चाहिये या बहुत कम दाम पर देना चाहिये। भूमि भवन कर को हटा देना चाहिये। एक हाई पावर कमेटी सरकार को मुकर्रर करनी चाहिये जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि कौन-कौन सी सर्विसेज बेकार हैं और कहां कहां क्या-क्या इकोनामी हो सकती है। ला ऐन्ड आर्डर के सिलसिले में एक अलग कमीशन बिठाया जाय जो पुलिस के बारे में और सर्विसेज के बारे में नई विचारधारा प्रदान करे और नई दिशा उसको दे ताकि आज जो प्रदेश की स्थिति है वह सुधर सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आय व्ययक पर चर्चा करते समय हमारे मित्रों को त्रुटियों की चर्चा तो करनी चाहिये लेकिन जो गुण हैं उन पर चर्चा किये बगैर वह चर्चा अधूरी रह जाती है। इसके बावजूद भी अगर मैं अपने भाषण में केवल त्रुटियों की चर्चा करूं तो समयाभाव के कारण उसके गुण बताने से रह जायंगे। सरकार से मेरा गहरा सम्बन्ध है, और सरकारी कुर्सियों पर बैठने वालों से मेरा सम्बन्ध है। और इधर बैठने वालों में काफी लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपिता गांधी जी के अनुयायी हैं। बापू जी ने एक बार बाइबिल कथन की चर्चा की जिसका सारांश यह था कि मनुष्य अपनी आंख का शहतीर नहीं देखता और दूसरे आंख का तिल भी देखता फिरता है। और पूज्य बापू ने उसको बदल कर यह कहा कि मनुष्य को अपनी आंख के तिल को ही पहाड़ में बदल देना चाहिये ताकि उसको औरों की त्रुटि देखने का मौका न मिले। इस दृष्टि से मैं सरकारी पक्ष में होते हुए गलत न होऊंगा अगर केवल त्रुटियों की ही चर्चा करूं।

मुझे खेद है कि वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह भाषण इस सिद्धान्त पर पूरा नहीं उतरता। उस भाषण में और महामहिम राज्यपाल के भाषण में एक बात की बड़ी चर्चा है और वह यह है कि बजट में जो रुपया खर्च होना था, प्लान की जो रकम थी उससे हमने ज्यादा खर्च कर दिया और वित्त मंत्री जी ने तो यह भी कहा कि पिछले साल का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश का वह १४९ लाख टन था वह हमेशा का रेकार्ड है। मान्यवर, बात तो सही है, लेकिन पूरी बात सच नहीं है। हाफ ट्रुथ है। जिस साल का उत्पादन १४९

लाख टन है, उस साल का टार्गेट १६९ लाख टन है, २० लाख टन कम हुआ और सन् १९५९–६०, ६०–६१ का उत्पादन १४२ लाख टन था, फिर १३८ लाख टन हुआ, फिर १३२ लाख टन हुआ, फिर ११६ लाख टन हुआ और इस बार इसफाक से १४९ लाख टन हो गया तो इस की चर्चा इन शब्दों में करना सत्य से परे है। ५ साल में ५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी ऐसी बढ़ोत्तरी नहीं है कि जिसके लिये उसकी बड़े फख्र से चर्चा की जाय।

एक और चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ६ से ११ साल के बच्चों के संबंध में और ११ से १४ साल के बच्चों के संबंध में शिक्षा के जो टार्गेट थे उनसे हम आगे बढ़ गये हैं। मैं जानता नहीं कि माननीय वित्त मंत्री जी, जो सौभाग्य से हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं इस बात को नहीं जानते होंगे कि सन् १९६३ में ही एक नेशनल सेमिनार हुआ था कंपल्सरी प्राइमरी एजूकेशन पर और उस सेमिनार में दो बातों की चर्चा खास तौर से हुई कि अगर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों को दो हिस्सों में बांटा जाय, कि एक वह जो स्टेट्स अग्रगामी हैं और दूसरे वे कि जो पिछड़े हुये हैं तो उत्तर प्रदेश पिछड़ी हुई स्टेट्स में आता है और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इन पिछड़ी ६ स्टेट्स में भी उत्तर प्रदेश का दर्जा सब से नीचे है और उन्होंने एक और बात कही कि तीसरी योजना के अन्दर भारतवर्ष में जितने अशिक्षित बच्चे ६ से ११ वर्ष की आयु वर्ग में और ११ से १४ वर्ष की आयु वर्ग में रहेंगे उनके ६० फीसदी बच्चे इन ६ प्रदेशों में होंगे और उत्तर प्रदेश में इनमें से केवल २८ प्रतिशत होंगे। तो यह चर्चा करना कि हमने बहुत जल्दी कर लिया है और इन बातों को ध्यान में न रखना कोई अच्छी बात नहीं है।

बजट तो इसलिये है कि हम बैठ कर अपनी कमियों की चर्चा करें। किन किन चीजों में कामयाबी हासिल हुई है, किन किन में हम नाकामयाब रहे हैं, लेकिन मुख्यतः हम को अपनी नाकामयाबियों की चर्चा करनी चाहिये। डाक्टर के यहां अगर कोई मरीज जाता है और वह डाक्टर से जाकर कहता है कि डाक्टर साहब, मेरा हाथ बिलकुल ठीक है, मेरे पांव बिलकुल ठीक है, मेरा दिमाग भी बिलकुल ठीक है, काम भी बिलकुल ठीक है, और इस सबके बाद वह कहे कि केवल ऊंगली में थोड़ा दर्द है तो डाक्टर कहेगा कि यह पागल है, इसको बाहर निकाल दो। तो इन सब चीजों की चर्चा करना इर्रेलेवेन्ट है, अव्यावहारिक है। चर्चा यह करो कि जो हमारा मकसद था उसको पूरा करने में क्या कठिनाई रही और अब आगे हमको क्या करना चाहिये। इस दृष्टि से बजट को ३ हिस्सों में तकसीम होना चाहिये। वस्तु स्थिति क्या है? बहुत लोग बहुत बातें कहते हैं, पर मैं, सरकार जो कहती है वही चर्चा करता हूं। चौथी पांचसाला योजना जो सरकार की छपी उसका आरम्भ सरकार ने इस तरह से किया कि नेशनल कमीशन आफ इकोनामिक रिसर्च ने यह निश्चय किया है कि भारतवर्ष के २८९ जिलों में से २९ जिले ऐसे हैं जिनकी आमदनी फी कस १४७ रुपये सालाना से कम है और उन २९ में से ११ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। १४७ रुपये सालाना से १७३ रुपये सालाना वाली रदीफ में जो २९ जिले आते हैं उनमें से फिर ११ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो भारतवर्ष के सबसे पिछड़े हुये ५८ जिलों में से २२ जिले इस प्रदेश में हैं और दूसरी स्टेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा जिले हैं पिछड़े, वह बिहार है जहां की संख्या केवल पांच है। इन २२ जिलों की आबादी कुल उत्तर प्रदेश की आबादी का ३५ प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसकी ३५ फीसदी आबादी सबसे पिछड़ी हुई भारतवर्ष में है।

एक और किताब की चर्चा करता हूं? टंडनो इकोनामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश। इसमें लिखा है कि आजादी से पहले और आजादी से बाद भी उत्तर प्रदेश का स्थान भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रहा है और भारतवर्ष की सभी हलचलों में उत्तर प्रदेश आगे आगे रहा है। पर यह खेद की बात है कि आज भारतवर्ष के सूबों में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ सूबा है और जितनी पिछड़े हुए मुल्कों की समस्याएं होती हैं वह इस सूबे में बहुत उग्ररूप में मौजूद है। उन्होंने बताया कि ७५ फीसदी आबादी तो खेती में लगी है और खेती की समस्या यह है कि कहते तो एक परमानेन्ट फीचर हो गया है। उद्योगों की चर्चा

[श्री फूलसिंह]

भी उन्होंने की। उद्योगों से भारतवर्ष में १४ फीसदी आमदनी होती है और यहां ८ फीसदी होती है। उद्योगों में ७० प्रतिशत वह लोग हैं जो गांव में धन्धा करते हैं और २३ फीसदी उद्योग से आमदनी है। इससे आप अन्दाजा कर सकते हैं कि क्या दशा मुल्क की है।

एक और किताब की चर्चा करता हूं, रूरल क्रेडिट सर्वे जो सन ५१-५२ में हुआ था। उसमें एक सिफारिश की गयी थी कि हर तीसरे साल फाजी अप सर्वे हुआ करे। आखिरी फाजी अप सर्वे सन् ६१-६२ में हुआ। उसकी रेखों से पता चलता है कि उस वक्त भारतवर्ष के किसानों के सर पर २८७ करोड़ रुपया कर्जा था। जिसमें से २४८० करोड़ रुपया किसान के सर था। इसमें से उत्तर प्रदेश के किसान के सर पर २८५ करोड़ रुपया था। एक साल में उत्तर प्रदेश के किसानों ने १६२ करोड़ का कर्ज लिया। जो हमारी सहकारी समितियां है---चाहे वह छोटे कर्ज की हों, चाहे मध्यम कर्ज वाली हों, या लांग टर्म वाली हों, तीनों ने जो कर्ज दिया वह ४९ करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सारे प्रान्तों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में आज भी साहूकार का जोर सबसे ज्यादा है। इस साल का जिक्र मैं इसलिये नहीं करता क्योंकि यह साल तो सबसे ज्यादा खराब साल रहा है। इतना बड़ा कहत कभी नहीं पड़ा है।

अब इसका कारण क्या है? जो टेक्निकल सर्वे एकोनामिक रिपोर्ट में है उसमें उसके कुछ कारण दिये गये हैं। जो कारण उसमें दिये गये हैं उसमें एक कारण तो किताब के छापने के संबंध में है जो उससे जाहिर होता है। जब सारे भारतवर्ष में सर्वे हो चुका तब इस प्रदेश को खयाल हुआ कि हमारे यहां भी यह सर्वे होना चाहिये। उसका सर्वे हुआ और उसकी रिपोर्ट मई, १९६३ में सरकार को भेजी गयी। हमें बड़ा खेद है कि १९६५ तक किताब नहीं छप सकी क्योंकि सरकार को इस किताब का प्रूफ देखने का अवसर नहीं मिला। तो किताब के छापने की जो हिस्ट्री है वह स्वयं ऐसी है कि उसकी जितनी आलोचना की जाय उतनी और किसी की की नहीं जा सकती। इस किताब में जो तीन कारण बताये गये हैं उनमें एक कारण ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन एफिशियेन्सी और डिले का है। उसमें बार बार यह कहा गया है कि स्टेट का कल्याण तब तक हो नहीं सकता जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, आडिटर्स की जो यह रिपोर्ट है, उसमें इस चीज पर कुछ प्रकाश डाला गया है। उसमें लिखा है कि सन् १९६३-६४ की जो ग्रान्ट थी ३४ करोड़ रुपये की, उसका ४० प्रतिशत मार्च के महीने में बांटा गया। जिस बात पर माननीय वित मंत्री को बड़ा फख्र है कि हमने प्लान के पहले ३ सालों में २४५ करोड़ रुपया खर्च किया, चौथे साल में १७० खर्च किया पांचवे साल में ३१२ करोड़ खर्च किया, यह भी उसी बात की दलील है कि हम लोग शुरू में सोते रहते हैं और जब आंख खुलती है तो आखिर में सब खर्च करने की कोशिश करते हैं यह तरीका कि कभी कम, कभी ज्यादा, यह ठीक नहीं है। इससे रुपये का अपव्यय होता है। इससे पूरा फायदा नहीं होता। पिछले तीन सालों में ४८ प्रतिशत खर्चा कम हुआ, यानी पहिले तीन सालों में २४५ करोड़ का खर्चा और पिछले तीन सालों में २१२ करोड़ खर्चा हुआ। और उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी है। उन्होंने लिखा है कि माईनर इर्रीगेशन्स में पिछले पांच सालों में तादाद १,४४ हजार हैं जिनमें से ३५ हजार माईनर इर्रीगेशन प्राजेक्टस अबन्डन हो गये हैं और १६ हजार इन कम्प्लीट है।

एक और चीज उस किताब में है। पी० डब्ल्यू० डी० के जो वर्क्स कम्प्लीट हो जाते हैं उनका उन्होंने टेक्निकल सर्वे किया। पांच साल में १८ सौ कुछ प्राजेक्टस एग्जामिन किये और उनमें से १३०० डिफेक्टिव पाये गये जिनमें प्रोवरवेरेन्ट्स या यूजलेस पेनेन्ट्स बनाये गये हैं। तो इसलिये ये सब जो पाईन्टस हैं वे इस बात को स्पष्ट दलील है कि हमारी

हमारी मशीनरी ठीक नहीं है। मगर मैं अपने फर्ज से गिर जाऊंगा अगर मैं इस बात की भी चर्चा न करूं। जो थोड़ी बहुत कोशिश ठीक करने की उधर नजर आ रही है। मैंने अपनी पिछले दिनों एक महकमे फाइनेन्स डिपार्टमेंट से पूछा और यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वहां कागज रेंज पर जमा नहीं रहते हैं, जिस प्रकार से होने लगते हैं। मेरा सुझाव यह है कि एक सेम्पल सर्वे होना चाहिये कि कितनी देर लगती है, किस फाईल के चलने में, कहां फाईल अटकती है। जब तक यह नहीं कर लेंगे तब तक यह बीमारी बनी रहेगी और तब तक यह बीमारी रहेगी। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन एफीशियेन्सी सब से बड़ी बीमारी है इसको हमें डील करना चाहिये।

दो रिपोर्टों की चर्चा और है। प्लानिंग की चर्चा की और कहा कि इस सूबे में सारा जोर कर्ज पर है। यह कहीं नहीं कहा कि यह रुपया खर्च किया तो क्या इनसे मिला। जरूरत इस बात की है कि इस सूबे में फाइनेन्शियल टार्गेट्स के पूरा करने पर जोर न देकर कि फिजिकल टार्गेट्स के पूरा करने पर दोर दिया जाय। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वह कही है कि प्लानिंग का इन्टीग्रेशन नहीं है और डिटेल्ड प्लानिंग नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूं कि एक चीज में तो उत्पादन बढ़ गया। आलू का इस साल में इतना कहत होते हुए भी सब्जियों में वह काफी सस्ता हो गया है। जहां यह सरकारी मशीन इसके लिये धन्यवाद की पात्र है वहां थोड़ी आलोचना की भी बात है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग के माने यह हैं कि आप पहिले अन्दाजा लगाइये कि क्या आवश्यकता होगी और फिर उसका बन्दोबस्त करें। उत्पादन का करें और खर्चे का करें। जब सब्जी की स्कीम शुरू हुई मैंने स्वयं सरकार को लिखा कि इसका नतीजा यह होने वाला है कि इन चीजों के दाम गिर जावेंगे। कौन नहीं जानता कि सब्जी ऐसी कमोडीडिटी है जो पैरिशेबुल है जिसको रोक नहीं सकता कोई आदमी, अगर वह जरा भी फालतू हो जाय तो उसके भाव गिर जाते हैं। अनाज की वह दुर्दशा नहीं होती है जो आलू की हो गई चूंकि अनाज इतना पैरिशेबिल नहीं है। चुनांचे सब्जी बोने वालों को अपनी पैदावार का ५०, ६० फीसदी के बीच में ही दाम मिलता है और बाकी मिडिलमैन ले जाता है। कुछ हालात में तो उतना भी नहीं मिलता। एक बात और हो गई कि सांप निकल गया तो निकल गया मगर तो देख लिया। अगर आलू के बारे में किसानों की सहायता के लिये सरकार ने पूरा प्रयत्न नहीं किया तो आगे सब्जी की फसल का बहुत नुकसान होगा। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिये ताकि सब्जी पैदा करने वालों की सहायता हो सके।

हमारे विरोधी दल के नेता मजाक कर रहे थे कि सब्जी और फलों के उत्पादन का...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

वह मजाक नहीं कर रहे थे। वह यह कह रहे थे कि अगर टार्गेट हार्टीकल्चर का हो तो उससे सब्जी कैसे पैदा हो जायगी।

श्री फूलसिंह—

ठीक है। बैलेंस्ड डाइट का जो नक्शा बना है कई तरह से, इंटर नेशनल बेसिस पर या दूसरे बेसिस पर, उससे यह सिद्ध हुआ है कि हमारा मुल्क अन्न ज्यादा खाता है, सब्जी और फल कम खाता है। सब्जी, फल, दूध, मक्खन, गोश्त कई गुना बढ़ाने का स्कोप है। मुल्क को संतुलित खुराक मिलनी चाहिये और इसलिये फलों के उत्पादन का स्थान है।

नेता विरोधी दल ने पहले तो यह कहा कि चर्खे का काता सूत बेकार है, मिलों का कपड़ा होना चाहिये, और बाद में कहा कि छोटे घरेलू धंधे चलाइये। बड़े-बड़े कारखाने मत चलाओ यह बात स्पष्ट है कि चर्खा इसीलिये बनाया गया था कि खादी भंडार से आप कपड़ा खरीद लाया करें। एक बार मैं ट्रेन में चलते हुए कात रहा था, तो एक कोई डी० एम० या जज साहब

[श्री फूलसिंह]

कहने लगे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने उत्तर दिया कि हां, फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं कुछ तो कर रहा हूं। छोटे धंधे के लिये फी व्यक्ति ११ रुपये की आवश्यकता है जबकि बड़े कारखाने के लिये फी व्यक्ति ८०० रुपये की आवश्यकता है। हमारा मुल्क गरीब है और हमें ऐसा काम करना चाहिये जिसमें पैसा कम लगे और आदमी ज्यादा खप जावे चूंकि हमारी आबादी भी बेकार ज्यादा है।

हमारे देश की इकोनामी में पब्लिक सेक्टर का बड़ा भारी स्थान है और जो व्यक्ति कोई काम करता है वह मुनाफे के लिये ही करता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि बहुत सारे काम ऐसे हों जिनमें मुनाफा करने वाले लोग लगें। लेकिन जैसे अब पब्लिक सेक्टर चल रहा है अगर वैसे ही चलेगा तो कुछ काम नहीं होगा। हमारे प्रदेश में जितने कारखाने हैं मुझे उनमें से काफी को देखने का मौका मिला है। उन पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। जितने सेन्टर के हैं उनका तो पता भी सरकार को नहीं है कि उनमें हो क्या रहा है ड्राइवर तक भी बाहर से मंगाये जाते हैं। एम्प्लायमेंट का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। इसलिये जरूरी है कि सरकार का कड़ा नियंत्रण इन कारखानों पर होना चाहिये। पब्लिक सेक्टर में दो खामियां आ सकती हैं। सरकारी कारखाने के मैनेजर को बहुत बड़े अधिकार होते हैं। वह लिटिल डेस्पाट बहुत खतरनाक हो सकता है बनिस्बत और लोगों के। उसके सामने वे लापटी मोटिव्ज रहने चाहिये जिन्हें लेकर ये कारखाने कायम किये गये हैं। इन सारे पब्लिक अन्डरटेकिंग्स का चैकिंग कामर्शल लाइन्स पर होना चाहिये। आज इनका कोई कामर्शल आडिट नहीं होता है। ६५ की रिपोर्ट में पढ़कर आप हैरान हो जावेंगे। आडिट ने लिखा है। जो डिविडेंट दिया है वह कारखाने के पैसे से नहीं दिया, सरकार के पैसे से दिया है। कुछ तो शेयर सरकार के हैं और कुछ रिजर्व बैंक के हैं। उन पर जो डिविडेंड मिला उससे एक और फंड बना दिया। यह धोखाधड़ी है। हमारे प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सन् ५९ में कायम हुआ। अभी तक उसके एकाउन्ट्स तक नहीं छपे हैं। १०० करोड़ से ज्यादा रुपया गवर्नमेंट का उसमें लगा है अगर इस सदन में समय काफी नहीं मिल सकता है पब्लिक सेक्टर को जज करने के लिये, तो एक कमेटी बनानी चाहिये जो पब्लिक सेक्टर पर कड़ी निगाह रखे और देखे कि क्या हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि परस्पैक्टिव प्लानिंग होना चाहिये ताकि सरप्लस प्रोड्यूस का झगड़ा न पैदा हो। ऐडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेंसी के लिए सेन्ट्रल सर्वे की जरूरत है मगर ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो कर्णधार हैं वह एफीशियेंसी की मिसाल पेश करें। मुझे खेद है। एक विदेशी महाशय आये हुये थे। किसी साथी ने श्रमदान की चर्चा कर दी। यह केवल इसलिये हुआ कि लोग गले में हार डलवाने और फोटो खिंचवाने के लिये जाने लगे। इसलिये सरकारी मशीनरी को एक मिसाल पेश करनी चाहिये डिसपोजल आफ वर्क की। मुझे याद है कि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सेशन हुआ ए० आई० सी० सी० का। मुझे कुछ आंकड़ों पर जो उसमें पेश थे, आपत्ति हुई और मैंने एक १० पेज का नोट लिखकर भेजा, जो शायद २० पेज का हो। मैंने आलोचना की थी कि यह गलत हुआ। शाम को ५ बजे मैंने उनके पास कागज भेजा और सुबह जब मैं अपने कमरे पर आया तो मेरी मेज पर पंडित जी का जवाब रखा हुआ था। तो यह रास्ता अपनाना पड़ेगा। पहले तो यह होता था कि अगर मंत्री जी कोई बात कहें तो हो जायगी। आज यह भी नहीं रहा है कि अगर सेक्रेटरी चाहे तो हो जायगी। एक केस मेरे नोटिस में आया। एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने आर्डर दिया किसी के ट्रांसफर का और यह भी कि कोई अधिकारी चार्ज नहीं छोड़ेगा जब तक उसका रिलीफ न जाय। जब तक एक कहीं से चार्ज न छोड़े तब तक गाड़ी आगे कैसे चले? तो आर्डर भी कायम रहा और रिलीफ भी नहीं आया। इस बात को आप समझें कि अगर यही रास्ता चलता रहा तो कोई काम नहीं हो सकता है। मैंने अभी देखा। एक ऊंची जगह फाइल पड़ी थी, जब मैंने कहा तब आगे चली। आज तो

कागज के साथ आदमी को चलना चाहिये, तब कागज चलता है, कोई आदमी उसको चलाने वाला नहीं है। बजट का समय है, और काम भी चलेंगे लेकिन देश, पार्टी और व्यक्ति से बड़ा है। आप भले ही इलेक्शन में हार जायं लेकिन इस काम को पूरा कर दीजिये। मैं यह चन्द शब्द आपके विचारार्थ रखता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)––

उपाध्यक्ष जी, इस बजट पर मैंने माननीय नेता विरोधीदल और माननीय फूल सिंह जी का भाषण बड़े गौर से सुना और बहुत बारीक बातें दोनों ने बतायीं। मैं आंकड़े वांकड़े तो कुछ जानता नहीं हूं लेकिन एक बात मैं पुराने अनुभव के नाते बताना चाहता हूं। श्रीमन्, मेरे बोलने में लाल बत्ती न कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

आप १५ मिनट बोलिये।

श्री लखीसिंह––

हम जब कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के चपरासी थे, तब से हम इस बजट को देख रहे हैं। सन् ४७–४८ में ४२ करोड़ था, ४८–४९ में ४५ करोड़, ४९–५० में ५६ करोड़, ५०–५१ में ५२ करोड़, ५१–५२ में ६१.२६ करोड़, ५२–५३ में ६१ करोड़, ५३–५४ में ७४.३८ करोड़, ५४–५५ में ७७.१६ करोड़, ५५–५६ में ८४.५६ करोड़, ५६–५७ में ८५.३६ करोड़ ५७–५८ में ९६.६६ करोड़, ५८–५९ में १०८.२३ करोड़, ५९–६० में ११९.६१ करोड़, ६०–६१ में १३०.९० करोड़, ६१–६२ में १४५.६३ करोड़, ६२–६३ में १७८.०६ करोड़, ६३–६४ में २०१.८२ करोड़ ६४–६५ में २२३.८४ करोड़, ६५–६६ में २४७.७४ करोड़, और वर्तमान ६६–६७ में २९१.७४ करोड़।

इस बजट को देखते देखते, इस बीमारी को देखते देखते, हम परेशान हो गये। बजट बढ़ता ही गया। बजट तो सुरसा के बदन की तरह से बढ़ता ही गया लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में तो हम कुछ कहने लायक ही नहीं है। चूंकि अब इलेक्शन नजदीक हैं, आप टिकट के लालच में हैं। टिकट के लालच में बस कुछ कहो मत, आप कुछ करते ही नहीं। इसलिये कि अब उसके लिये सिर्फ ८–९ महीने तो रह गये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट को हम चार साल से देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो रुपया हम यहां पास करते हैं उस से हमारे सारे काम पूरे होंगे और कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता यह भी हम जानते हैं।

इस किताब में माननीय वित्त मंत्री जी एक जगह कह गये कि हमने जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा करने, और आत्मनिर्भर आर्थिक अवस्था का निर्माण तीव्र गति से करने का कठिन भार अपने ऊपर लिया है। वाह महाराज, कहते हैं कि जनता के स्तर को ऊंचा करने का हमने ठेका लिया है लेकिन करनी इनकी दूसरी ही हैं। श्री कन्हैया लाल हमारे यहां के उधर बैठे हैं, वह एम०एल०ए० हैं वह समझते सब हैं लेकिन कहते कुछ नहीं, टिकट का मामला है, मौका देख रहे हैं। गांधी जी के आगे सबने हरिजनों को मदद दिया लेकिन अब वह चमर हड्डी बने हैं। जो बड़े बड़े आदमी हैं कांग्रेस के वह ऊपर हर जगह डटे रहते हैं उन्होंने सारी जमीन बचत की अपने कब्जे में कर ली है। आबादी की जमीन गांव में जाकर देखें तो वह पुलिस के दलाल जो प्रधान बने हैं वह बेचारे छोटे-छोटे चमार जाटवों को रहने की जगह नहीं देते और सब जमीन अपने कब्जे में रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमने रहन-सहन का स्तर ऊंचा कर दिया है। माननीय फूलसिंह जी कह रहे थे कि अच्छी बात को अच्छा भी कहो लेकिन श्रीमन् कोई अच्छी बात हो तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

कहूं। आप भी इस को जानते हैं, यह शेखी बघारते हैं, क्या अच्छा कहूं? हम कहा करते थे कि जमींदारी खत्म होने के बाद किसान जमीन का मालिक बनेगा। किसान अगर मालिक होता तो यह ए० सी० ओ० महोदय क्यों मालिक बने होते। मोटी सी बात है कि अगर यह बात सोची जाती कि जमीन का मालिक किसान होगा तो फिर ए० सी० ओ० जमीन की कीमत क्यों लगाते? वह नायब तहसीलदार होते हैं चकबन्दी वाले नहीं इसने। हमारा सत्यानाश कर दिया।

किसान को सी०ओ०, ए० सी० ओ०, एस० ओ० सी० तीन सनीचर लगे हैं। पहले हमारे क्षेत्र में लगे थे और अब राधेश्याम के क्षेत्र में लगे हैं और कहते हैं कि किसान का स्तर ऊंचा करेंगे। इन बातों का वित्त मंत्री जी को क्या पता, वह क्या जानें कि वहां क्या होता है। यह हम मानते हैं कि हमारे वर्तमान कृषि मंत्री जी कुछ किसानों की तकलीफों को जानते हैं लेकिन वह आलू पर चल दिये, उधर की कुर्सी पर छूत लग जाती है, वह आलू की तरफ, चुकन्दर की तरफ चल दिये। जरूरत इस बात की है कि इनके इस बजट का हम विरोध करें हांलाकि वह संख्यासुर के नाम पर हाथ उठाकर पास तो करा ही लेंगे, यहां की घंटी बजते ही सब चले आवेंगे और एक दम हाथ उठाकर पास करा ही देंगे लेकिन हमें फिर भी अपनी बात कहना है।

अब हमारे जिले की तरफ चलिये। मैंने सुबह एक प्रश्न के उत्तर में, जब आप नहीं थे, अध्यक्ष महोदय थे, कहा था कि मैं उस जिले का रहने वाला हूं जिसे मथुरा कहते हैं। वैसे तो वह सारी दुनिया में प्रसिद्ध है लेकिन श्रीमन्, १८ साल के स्वराज्य में न तो वहां कोई चीनी मिल खुली, न वहां कोई पटेल कमीशन चला और न वहां मैनपावर स्कीम चली। न वहां कोई शक्कर मिल है और न कोई कपड़ा मिल है। हां, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जब चन्द दिनों के लिये इस कुर्सी पर बैठे थे तब उनके मन में आया कि खाद बनाने का एक कारखाना मथुरा–आगरा सड़क पर खोल दें। लेकिन इधर से पूरब और पश्चिम का सवाल चला। श्रीमन्, यह तपेदिक की बीमारी है विरोधी दल के नेता भी अब पूरब की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी तरफ से सिफारिश करें और मैं तो पश्चिमी जिलों के सभी विधायकों से कहूंगा कि मैं तो ४ साल से इस नाटक को देखते देखते ऊब गया हूं, इसलिये पश्चिमी जिले के विधायकों का एक संघ बना कर अपना अलग सूबा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये पार नहीं पड़ने देंगे। मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे पश्चिमी जिले ६० फी सदी टैक्स देते हैं और ४० फी सदी मुनाफा पूरब वाले लेते हैं। फिर यह पटेल कमीशन, मैन पावर, स्कीम, चीनी मिल आदि सारी इधर ही चल रही हैं और फिर भी पूर्वी जिले वाले हल्ला मचाते हैं। वैसे मैं पूर्वी–पश्चिमी जिलों की बात नहीं कहना चाहता था लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और उसे आज सुबह भी मैंने कहा था कि मथुरा जिले में राधा कृष्ण जैसे मन्दिर न हों। वृन्दावन, बरसाने, नन्दगांव के चन्द लोगों के ही उद्योग उससे चलते हैं। १८ साल के स्वराज्य में वहां एक भी कारखाना नहीं है जिसमें गरीब मजदूर लोग अपनी रोटी कमा सकें।

मेरे क्षेत्र में कुछ दिन पहले तीन मंत्री महोदय गये थे। वहां विकास मेला हुआ था। ४ से ८ तारीख के बीच में वहां तीन मंत्री गये। पहले तो श्री राममूर्ति जी गये, फिर बनारसी दास जी गये और तीसरे चौधरी चरण सिंह जी गये। उनका जनता ने स्वागत किया और उनको मानपत्र भी दिया। श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी यहां मौजूद नहीं हैं, मुझे बतलाया है कि उनके हाथ से बिजली का अधिकार भी छीन लिया गया है, पता नहीं वह कहां तक ठीक है। मैं क्या कहूं, चाहे माननीया सुचेता जी हों, चाहे कोई हों सब एक से हैं, लेकिन श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी में इतनी उदारता जरूर थी कि वे सबकी बात सुनते थे और कुछ न कुछ जो वह कहते थे उसे कर देते थे। अब मुझे पता नहीं किस महात्मा के हाथ में यह बिजली का अधिकार जा रहा है। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र छाता में, कृपा हुई और मैं तो साफ कहूंगा कि माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने, जब हम सदन में चिल्लाये, गोवरधन से बरसाना तक लट्ठे गड़वा दिये। आज उस काम को हुये ९ महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक तार नहीं लगा पाये हैं। यही दशा वृन्दावन से कोसी तक की है। वहां पर भी लट्ठे तो गड़ गये हैं लेकिन तार अभी तक भी नहीं खिंच पाये हैं। वहां पर जंगल में ही पहियों

पर तार लिपटे पड़े हैं लेकिन विभाग वाले लोग उन्हें खंभों पर खींच नहीं रहे हैं। अब कहा जाता है कि धनाभाव के कारण यह काम नहीं हो पाया है। श्रीमन्, मेरे जिले में छाता पंजाब की सीमा पर स्थित है। पंजाब के गांवों के रहने वाले हमारी ओर के किसानों से कहते हैं कि आप अंग्रेजों से बड़े लड़ते थे, हम तो अंग्रेजों से लड़े भी नहीं पर फिर भी हमारे गांव गांव में बिजली लगी है और क्या कहें इस समय, हमारे माननीय मंत्री, सार्वजनकि निर्माण विभाग, जो सदन में मौजूद नहीं है। इन किताबों को हमने पढ़ा। आगरे में हम ने यह सड़क देखी, वह सड़क देखी। यह भी देखा यह सड़क बन रही है और वह सड़क बन रही है लेकिन मथुरा में एक सड़क का भी नाम नहीं है। वृन्दाबन से राधाकुन्ड के बीच एक सड़क है लेकिन वह भी नहीं बन रही है। तो श्रीमन्, कैसे हम इस बजट को पास करें, और कैसे कहें कि यह बजट, जो हमारी सरकार ने पेश किया है, ठीक है। मंत्रियों के उद्घाटन के लिये यह ठीक है, फिजूल खर्ची के लिये यह ठीक है। कलेक्टर. कनिश्नर और गवर्नर की ऐयाशी के लिये यह बजट है। बड़े बड़े आदमियों और अधिकारियों के गुलछर्रे के लिये यह बजट है। यह हमारी कृषि बढ़ाने के लिये नहीं है। हमारी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये अगर और ज्यादा रुपया मांगा जाता तो हम देते लेकिन फिजूलखर्ची के काम के लिये हम कैसे रुपया दें। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री नौरंगलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि जो साहब बोलें आप उनके नाम नोट कर लें ताकि सबको बोलने का मौका मिल जाय।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष जी, अभी अभी सदन के सामने हमारे माननीय मित्रों ने यह कहा था कि यू० पी० स्टेट का बजट हर साल बढ़ता जाता है और बजट की धनराशि के बढ़ने को उन्होंने एक त्रुटि के रूप में बतलाया है। मेरा निवेदन है कि जितना हम समाजवाद की ओर अग्रसर होते हैं वहां पर यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि आपने बजट में धनराशि को बढ़ाया है। शिकायत इस बात की होती है कि वह रुपया, जो बजट में बढ़ाया गया है,जायज तरीके से इस्तेमाल हुआ है अथवा नहीं। इसलिये यह त्रुटि कि चूंकि स्टेट में हर साल बजट की धनराशि बढ़ायी जाती है तो यह कोई बात नहीं है। मुझे तो इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती है। देखना तो हमें यह है कि हमारे सामने क्या लक्ष्य थे और उनकी प्राप्ति कहां तक हुई। अगर नहीं हुई तो कहां तक सरकार उसके लिये जिम्मेदार है। लेकिन जिस वक्त हम सरकार की जिम्मेदारी को बतलायेंगे, उपाध्यक्ष जी, हमारा एटीट्यूड एक डाक्टर और मरीज का होना चाहिये, जैसा कि ठाकुर साहब ने बतलाया, लेकिन थोड़े से अमेंन्डमेंट के साथ। यह सही है कि मरीज को अपनी कमियों को डाक्टर को बतलाना चाहिये तभी डाक्टर इलाज कर सकता है। लेकिन कमियों के साथ-साथ मरीज का यह भी फर्ज है कि वह यह भी बतलाये कि डाक्टर की दवा से उस मरीज को कितना लाभ हुआ। अगर वह लाभ को बताये नहीं और कमियों को कहे जाय तो डाक्टर अच्छी तरह से इलाज नहीं कर सकता। इसलिये प्रत्येक को चाहिये कि जब हम सरकार को त्रुटियां बतलाये तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर सरकार ने कोई स्कीम चलाई तो उस स्कीम में कहा तक कामयाबी हुई और कहा तक वह फेल हुई। हमारी हालत एक सर्जन की सी होनी चाहिये न कि डकैत की सी। हमें कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं बजट को और स्टेट की हालत को, तो यह सही है कि जो टार्गेट हम लेकर चले थे उतना हम पूरा नहीं कर सके। इस के तीन कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि सेक्टर ने हमको मदद नहीं दी जैसे कि देनी चाहिये। सेन्टर जो रुपया हमें देता है उसके साथ-साथ वह पैटर्न भी देता है, नतीजा इसका क्या होता है। जब पैटर्न दे देते हैं तो जिस पैटर्न को हमने नहीं बनाया उस की जिम्मेदारी भी स्टेट पर पड़ती है दूसरा कौन पैटर्न लागू होगा स्टेट में यह स्टेट गवर्नमेंट अच्छा समझ सकती है न कि सेन्टर। इस डिफीकल्टी की बजह से जो टार्गेट हम बनाते हैं वह पूरा नहीं होता। तो पहली डिफीकल्टी

[श्री नौरंगलाल]

स्टेट के सामने हमारा सेक्टर है। इसको हम दूर नहीं कर सकते। इसलिये स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

दूसरी डिफीकल्टी जो स्टेट के सामने है वह सूखा है। कभी वर्षा हुई और कभी नहीं हुई दोनों ही तरह से फसल को नुकसान होता है। बरसे तो मुसीबत और न बरसे तो मुसीबत गवर्नमेंट की बड़ी परेशानी इसमें हो जाती है।

तीसरी डिफिकल्टी है ब्यूरोक्रेसी जो हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। यहां तक कि इंगलैंड में रेमजे मेयोर ने जो किताब लिखी है "हाऊ ब्रिटेन इज गवर्न्ड" उसमें लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो है वह यह कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे वश में किया जाय। रेमजे मेयोर ने कहा था कि ब्रिटेन में जो रूल किया जाता है वह नाट बाई डेमोक्रेसी बट बाई ब्यूरोक्रेसी। जब इंगलैंड में जो डेमोक्रेसी की मदर है, यह दिक्कत है तो भारत में तो नई डेमोक्रेसी है, इसको जरा हमदर्दी से देखना चाहिये कि अगर कोई स्टेट या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को कर्ब नहीं कर पा रही है तो कहां तक उसकी खता है। क्या हमारी स्टेट ने कोई कदम नहीं उठाये ?

सबसे पहली ब्यूरोक्रेसी की जो गलती है वह बिलकुल ओपेन है, इसको कहने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि जहां ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर भ्रष्टाचार रेम्पेंट होता है। अब इस भ्रष्टाचार को जब तक स्टेट गवर्नमेंट दूर न करे तब तक बड़ा मुश्किल हो जायगा कि रुपया गलत चैनल्स में जाने से कैसे बचाया जावे। हमें देखना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस संबंध में कुछ किया है या नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया।

स्टेट गवर्नमेंट ने इस संबंध में तीन कदम उठाये हैं, आप सब जानते हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि उन कदमों को किस तरह से चलाया जाय। वह तीन कदम क्या हैं।

एक तो यह कि स्टेट विजिलेंस कमीशन कायम किया। दूसरे डिवीजनल ऐन्टी-करप्शन कमेटी कायम की जिसका प्रेसीडेंट कमिश्नर है। फिर डिस्ट्रक्ट एंटी करप्शन कमेटी कायम की। इन तीनों लेविल पर जिस मामले की चाहो इन्क्वायरी करा सकते हैं और स्टेट इसमें बाधक नहीं है। इसके साथ ही साथ एक ऐक्शन और लिया गया है। जो मेम्बर चाहे सजेश्चन दे सकता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है और वह अपने सुझाव किसी भी लेविल पर भेज दे और उस लेविल का अधिकारी बाध्य हो उस पर विचार करने के लिये। अगर इन कमेटियों की पब्लिसिटी नहीं हो पाई है और न जनता ने इनसे फायदा उठाया है। सरकार ने यह स्टेप्स उठाये हैं यह बहुत से लोग नहीं जानते। बड़ी से बड़ी चीज सरकार बना दे लेकिन काम करने वालों पर सब निर्भर करता है। कोई तलवार है बुजदिल के हाथ में दे दो कुछ नहीं हो सकेगा और अगर बहादुर के हाथ में दे दो तो वह काम दिखायेगी। गवर्नमेंट चाहे या न चाहे हमें उस तलवार को इस्तेमाल करना चाहिये और अगर हम उस तलवार को इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपनी स्टेट की और प्रदेश की जनता की कुछ सर्विस हम कर सकेंगे।

भ्रष्टाचार के उपरान्त दूसरा अंग ब्यूरोक्रेसी का आता है जिससे परेशानी हो जाती है। वह है ढिलाई, यह बड़ा अवगुण है। लाल फीते का जहां तक ताल्लुक है आप आयेंगे तो आप इसको देखेंगे और जो गवर्नमेंट आयेगी उसको इस सवाल को टेकिल करना होगा। लाल फीते के कारण डिले होना बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। एक स्कीम आज रखी गई जो एक करोड़ कास्ट की थी। उसमें मेटीरियल का भी अन्दाजा थी लेकिन एक साल की डिले हो गयी। प्रोजेक्ट बना और प्राइसेज राइज हो गयीं अब उसका डेढ़ करोड़ का एस्टीमेट हो गया। फिर क्या होता है ? फिर से सर्वे होता है। रिवाइज्ड बजट बनता है। तब तक ६ महीने लग गये। ६ महीने में दूनी प्राइसेज हो गयीं। इस तरह से वह प्रोजेक्ट एक करोड़ से दो करोड़ का हो गया। आये दिन डिले की वजह से खर्चा बढ़ता चला जाता है। इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट की एक

स्कीम मुझे पसन्द आई। इन तमाम बातों के होते हुये उन्होंने एक सिस्टम रायज किया और वह सिविल डिफेन्स इकोनामी से शुरू किया। इस विभाग से लाल फीते के डिफेक्ट को निकालने के लिये सिंगिल फाइल सिस्टम शुरू किया और अगर इसको सरकार सारे विभागों पर लागू कर दे तो बड़े टाइम की बचत हो सकती है। सिविल डिफेन्स में यह सिस्टम रायज हुआ है उसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं और आशा है कि इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी हर विभाग में लागू करेगी जिससे यह लाल फीते का डिफेक्ट किसी तरह से दूर हो सकेगा। दूसरी भी तरकीबें हैं जैसे माननीय ठाकुर फूल सिंह जी ने बताया है कि कोई कमीशन बैठ जाय और तरीका सोचे और इस लाल फीतेशाही को दूर कर दे। हर एक सरकार को यह परेशान करेगा चाहे हम हों या उधर के माननीय सदस्य हों, उसे दूर करना चाहिये क्योंकि इसको दूर करने से ही डेमोक्रेसी पनप सकेगी।

फिजूलियात के मामले भी सामने हैं। जब मार्च का महीना आता है और अनुदान लैप्स होने लगती हैं तो आफिसर्स अंधाधुंध खर्च करते हैं। मैंने बातचीत की क्यों ऐसा करते हो, यूनिफार्मिटी क्यों नहीं है? इस पर जवाब दिया गया कि हमसे जवाब तलब किया जाता है। हम नहीं खर्च करते हैं तो निकम्मे समझ कर निकाल दिये जायेंगे। मेरा सुझाव है कि यह देखना चाहिये कि जिस आफिसर ने ऐसा किया है, उसे सजा मिलनी चाहिये क्योंकि वह उसके लिये जिम्मेदार है। इस संबंध में यह है कि सरकार ने जो इकोनोमी कमीशन बनाया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसमें चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन हैं और इसके ३-४ मेम्बर और हैं। उसने कुछ प्रपोजल्स दिये हैं और इस तरह से एक साल में ४ करोड़ रुपये की इकोनोमी हो सकती है। यह इकोनोमी स्टेट के लिये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर इतना रुपया बच सकता है तो इसके माने यह हैं कि हम बहुत हैवी टैक्स बचा सकते हैं और इससे हम कहीं भी रिलीफ जनता को दे सकते हैं। इसलिये जो इकोनोमी कमीशन की रिपोर्ट ४ करोड़ रुपये की बजत की है उसको शीघ्र से शीघ्र हमारी सरकार को लागू कर देना चाहिये। इस संबंध में जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रयत्न अवश्य किये हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने में, लाल फीताशाही को दूर करने में और फिजूलखर्ची को दूर करने में हमारी सरकार ने काफी प्रयत्न किये हैं। मैंने दो तीन उदाहरण भी सदन के सामने दिये हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें बहुत से उदाहरण दिये हुये हैं। मैं उनका जिक्र यदि करने लगूं तो मैं अपने थोड़े से समय में कुछ नहीं कह सकूंगा। इसलिये मैं इशारे के तौर पर ही कहता हूं।

इसके बाद जहां तक सरकार का ताल्लुक है, इसके सामने सब से इम्पार्टेन्ट समस्या फूड की है। इसको देखना है कि सरकार इसको कहां तक हल कर पाई है। हर एक देश इसको कसौटी पर तोलेगा कि भूख का सवाल किस तरह से हल हो। यह बड़ा मुश्किल सवाल है और जहां तक यह सवाल है, यह कोई हमारे प्रदेश में ही नहीं है बल्कि दुनिया के सारे देशों को परेशान कर रहा है। इंडोनेशिया में आफत मची हुई है। वहां के प्रेसीडेंट ने कहा है कि अगर कोई इस मसले को हल करदेगा तो मैं उसको महान् पद देने के लिये तैयार हूं। यह हमारे प्रदेश या देश में ही नहीं है बल्कि दुनिया के पूर्वी देशों में यह समस्या है। अब चाहे यह क्रियेटेड हो या किसी भी वजह से क्यों न हो, यह समस्या है और इसको हल करना पड़ेगा और कोई भी सरकार इसको नजर दाज नहीं कर सकती है।

इसके लिये श्रीमन् तीन तरीके हो सकते हैं जिससे हम अन्न की पैदावार बढ़ा सकते हैं अब देखना यह है कि इस दिशा में सरकार ने कुछ किया है या नहीं। पहला तरीका यह है कि जितनी एकड़ जमीन में इस समय पैदावार होती है उससे ज्यादा एकड़ जमीन में खेती की जाय और पैदावार बढ़ाई जाय। अगर हम इस समय १० एकड़ में बोते हैं तो अब १५ एकड़ में बोना चाहिये। दूसरा तरीका यह है कि एडीशनल कल्टीवेशन के अलावा दुगनी तिगनी और चार गुनी फसलें ली जांय, जैसा कि जापान में होता है। तीसरा तरीका यह है कि इंटेसिव कल्टीवेशन होना चाहिये। इस संबंध में मैं समझता हूं कि सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। अब यह पर्याप्त है या नहीं, यह बात दूसरी है। लेकिन इस तरफ सरकार ने कदम उठाये हैं। मिसाल

[श्री नौरंगलाल]

के तौर पर जहां तक एडीशनल कल्टीवेशनल का सवाल है, यह पता चला है कि ३० लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बोते है और डबल कल्टीवेशन में भी कुछ काम हुआ है। इंटेसिव कल्टीवेशन का ७८ ब्लाक्स में काम किया है और इसके अलावा दो जिलों में है। इससे मालूम होता है कि तीनों दिशाओं में सरकार ने कुछ न कुछ काम अवश्य किया है। लेकिन यह काम बहुत कम हुआ है। इस स्कीम को और तेज करना चाहिए। वैसे हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुये यह काम बहुत कम है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो किया है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने कुछ तो किया। समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। लेकिन अभी बहुत काम करने को बाकी है।

इसके अलावा जहां तक कैनाल्स का संबंध है, सरकार ने गंडक और रामगंगा के प्रोजेक्ट्स चलाये हैं। तीन हजार प्राइवेट ट्यूबवेल का इरादा किया है और ५ हजार पम्पिंग सैट्स का इरादा किया है और उनमें से कुछ बन भी गये हैं। पंपिंग सेट्स और टयूबवेल्स के लिये जो सरकार ने किया है उसके लिये धन्यवाद, लेकिन यह काफी नहीं है। इसी तरीके से सरकार फूड समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है। मैंने अखबार में पढ़ा, डाइरेक्टरेट ने ऐलान किया है, कि यू० पी० की पर कैपिटा इनकम ८ परसेंट बढ़ गयी है जब कि इंडिया की ५ परसेंट बढ़ी है। यह बड़े मिरैकिल की बात है। यू० पी० सब से आगे हो गया। लोगों ने कहा कि गलत है। बहरहाल अख्बार में है। अगर यह सही है कि यू० पी० की इनकम ८ परसेंट बढ़ गयी तो गवर्नमेंट को जरूर मुबारकबाद देना चाहिये। जहां तक बजट का ताल्लुक है कोई सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता जो हमने पेश किया है। प्रत्येक सदस्य को दिल खोल कर बुराई भी करनी चाहिये और प्रोपोजल भी देने चाहिये। केवल एक बात का ख्याल रखना चाहिये कि कोई भी सरकार जिन परिस्थितियों में यह सरकार है कितने कदम चल सकती थी। इतना विचार करके तब आलोचना करें। यह सोच कर विचार करें कि अगर हम होते तो क्या करते। जो कुछ सरकार ने किया है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसके लिये हम को सरकार को धन्यबाद देना चाहिये। लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहिये कि सरकार को बहुत कुछ करना चाहिये था। अपोजीशन के कहने से सरकारी की जिम्मेदारी नहीं चली जाती। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक को खाना दे, कपड़ा दे तब तो समाजवाद हुआ इस ध्येय को पूरा करना चाहिये, नहीं पूरा कर सकते तो हम यहां बैठने के योग्य नहीं हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को बड़े ध्यान से सुना और पढ़ा भी। अभी माननीय नौरंगलाल जी बोल रहे थे फूड समस्या के बारे में, हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में खाद्य समस्या के हल के लिये जो हमेशा से नुस्खा पेश किया जाता था उसमें थोड़ा सा इजाफा माइनर इर्रीगेशन और बड़ी सिंचाई की योजनाओं के संबंध में बड़ा गुणगान माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में किया और वित्त मंत्री जी ने उसको दोहराया। यह गुणागान हमेशा से हो रहा है। १८ वर्ष से यही रोना रोया जा रहा है। १९४९ में पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि १९५१ के बाद हम को बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह १९६६ है। अब हमारे खाद्य मंत्री श्री सुब्रमनियम हैं। जब उनकी स्पीच अखबार में निकलती है और माननीय गेंदा सिंह भी आशा करते हैं। कि हम खाद्य के मामले में दो चार वर्षों में आत्म निर्भर हो जायेंगे। मैं कहता हूं

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं।)

कि यह आत्मप्रवंचना है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान कुछ आपके द्वारा इधर से उनकी कही गयी पुरानी बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं । आपके विचार आज बदल चुके हैं क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठे हुये हैं वहां पर आप बदल चुके हैं, दिल में भले ही वह विचार हों लेकिन विचार आपके बदल चुके हैं । पूरे देश के और सूबे के पैमाने पर भी खाद्य समस्या को हल करने के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता भूमि सुधार की है । उसको ताक पर रख कर और उसको न हल करके अगर खाद्य समस्या हल करने की बात कही जाती है तो वह हवाई नारा है, हवाई बात है । बजट भाषणों से अगर कोई इस बात का दावा करे कि खाद्य समस्या हल हो जायगी तो वह कोरी कल्पना कागजी और अखबारी प्रचार मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है । पहले यह देखना चाहिये कि आपने जो भूमि सुधार किया है उससे खाद्योत्पादन पर कोई असर हुआ है या नहीं । जमींदारी उन्मूलन हुआ उसके पीछे जो भावना थी वह यही थी कि ६ एकड़ से कम के किसानों की जोत अलाभकर है । कांग्रेस हमेशा यह घोषणा करती रही लेकिन आज १८ वर्ष के बाद आप अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि किसानों के छप्परों में नोटों के बंडल हैं और इसलिये लगान बढ़ना चाहिये और माननीय हुकुमसिंह तो कहन लगे हैं कि किसान के लड़के साइकिल पर चढ़ने लगे हैं तो मैं इसको आपकी बुद्धि की बलिहारी ही मानता हूं ।

दूसरे सुधार में अधिवासियों और सीरदारों के लिये कानून बनाये गये । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत कितने किसानों के हल खूंटी पर टंग गये, क्या आपके पास उसके लिये कोई आंकड़े हैं । कागज पर बहुत अच्छे-अच्छे उपदेश दिये गये लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ ? हमारे सूबे में २२ लाख शिकमी किसान उसके चलते बेदखल हुये । ५१ लाख खाते थे । इसका नतीजा यह हुआ कि लाखों किसानों के हल खूंटी पर टंग गये और आज उनके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है । गांवों में चल कर देखें, पूरे प्रदेश में २२ प्रतिशत ऐसे देहाती लोग हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है । अभी पिछली ६ तारीख को मैं प्रतापगढ़ गया था । वहां मैंने ऐसे हरिजनों को देखा जिनके छप्पर तक दूसरों के नाम दर्ज हैं । मेरे साथ चलिये, अगर यह बात साबित न हो जाय तो मैं असेम्बली की सदस्याता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । (बहुत सी आवाजें ऐसा न करिये) क्या आपके सुधारों का कोई असर हुआ ।

लगान के बारे में इधर के माननीय सदस्य कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश ही है जहां सबसे ज्यादा लगान है । यहां से माननीय गेंदा सिंह जी भाषण दिया करते थे । इस लड़ाई के जमाने में पंजाब में किसानों को ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी, हजारों गांव नष्ट हुये और सारी फसलें उनकी चौपट हो गयीं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री ऊदल—

वहां की सरकार ने लगान नहीं बढ़ाया लेकिन इस सरकार ने आपत्कालीन व्यवस्था के नाम पर लगान चौथाई बढ़ा दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप बैठ जाइये सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री ऊदल—

मान्यवर, कांग्रेस ने किसानों को इतना धोखा दिया कि जिसको किसान समझता है, गेंदा सिंह जी इससे सहमत हैं । ६ एकड़ तक जोत अलाभकर बताई । जमींदार ८ करोड़ लगान सरकार को देते हैं और बाकी अपनी जेब में रखते हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं

[श्री ऊदल]

कि इस ८ करोड़ की जगह अब सरकार २५ करोड़ रुपया वसूल करती है। इस चार आने के बढाने से ६। करोड़ और हो गया यानी ३१। करोड़ हो गया तो यह किसकी जेब भरता है? यह उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया।

अब मैं माननीय गेंदा सिंह जी का हदबन्दी कानून की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले यह घोषणा हुई कि १२।। एकड़ से ऊपर कोई जमीन नहीं रखेगा। माननीय चरण सिंह जी ने भूमि व्यवस्था में अभूतपूर्व क्रांति के नाम से एक किताब लिख दी। उन्होंने कहा कि ३० एकड़ से ज्यादा कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस ने अवाडी और नागपुर में सीलिंग का प्रस्ताव पास किया और कहा कि सीलिंग सब जगह हो जानी चाहिये। तो ३० एकड़ हो गया और १२।। एकड़ चरण सिंह जी का था। फिर हुआ ४० एकड़ और ८० एकड़। कहा कि २९ लाख एकड़ जमीन हदबन्दी से निकलेगी। वास्तव में निकली कितनी? एक लाख से कम निकली और वह भी परती पड़ी हुई है। ९० हजार एकड़ जमीन कुल निकली। इस वजह से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस का भूमि सुधार करने का यह एक धोखा है। यह किसानों के साथ सब से बड़ा विश्वासघात किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं।

अब दूसरी बात आती है सिंचाई की सिंचाई से कितनी पैदावार बढ़ाई गई? सिंचाई के लिये यह सरकार किसानों को अपनी नहरों से पानी नहीं दे सकती। प्रान्त के अन्दर कुल २८ फीसदी जमीन सींची जाती है। हमारी तरफ बाराबंकी, जौनपुर और बनारस में शारदा सागर की एक ब्रांच गई है। इस साल उसमें पानी नहीं गया। उस पर लाखों रुपया खर्च किया गया पर सब बेकार गया। माननीय गेंदा सिंह जी जानते हैं कि एक प्रतिबन्ध लगाया हुआ है कि ४ फर्लांग तक सरकारी ट्यूब वैल और नहर के एरिया में हम प्राइवेट ट्यूबवैल को बिजली कनेक्शन नहीं देंगे। यह विचार करने की बात है कि आप पानी दे नहीं सकते, आप उनके लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते और अगर हमारे सूबे में कुछ किसान इस लायक हैं कि वह अपना ट्यूबवैल लगा लें और आपसे बिजली की मांग करें तो आप कहते हैं कि कानूनन हम आपको बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि ४ फर्लांग के अन्दर आप मांगते हैं नो आबजेक्शन सरटिफिकेट, तो वह कहां से लायें? अभी कुछ दिन पहले एक मिलिटरी के जवान ने सिंचाई के लिये बिजली कनेक्शन मांगा। माननीय चन्दनसिंह जी उसको लेकर माननीय मुख्य मंत्री के पास गये और उन्होंने लिख दिया कि इनको दे दिया जाय लेकिन वहां पर इंजीनियर साहब कहते हैं कि मुख्य मंत्री क्या जानते हैं। जब उनका दिमाग इस तरह से है तो किस प्रकार से प्रगति होगी। अभी फूलसिंह जी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर में चेकिंग होनी चाहिये। विद्युत् परिषद् के अधिकारी कहते हैं कि अब विद्युत परिषद् बन गई है सरकार और मंत्री से क्या मतलब है? जब पब्लिक सेक्टर के बारे में सरकारी अफसरों के दिमाग में यह भावना पैदा हो जाय तो कैसे देश का उत्पादन बढ़ सकता है? हम तो कहते हैं कि अगर कानून भी इजाजत न दे तब भी प्रायोरिटी उसको देनी चाहिये। आपने घोषणा की है कि जय जवान और जय किसान तो कहां इन अफसरों ने उन की इज्जत की और हमारे दो तीन सदस्य रोज चक्कर लगाया करते हैं। आज भी चीफ मिनिस्टर के यहां मैंने उस जवान को देखा जो कि इजाजत लेने आया था।

अब बिजली के रेट को ही ले लीजिये। एग्रीकल्चर के लिये बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है और आज किसान उस के लिये तरस रहा है। उसे ट्यूब वैल के लिये बिजली की बहुत जरूरत है, लेकिन आप ने अपने कानून के हिसाब से बिजली के प्रदेश में बीस तरह के रेट बांध रखे हैं। उद्योग के लिये अलग रेट है, कारखाने के लिये अलग रेट हैं, खेती के लिये अलग रेट हैं, पंखे और बिजली (लाइट) के लिये अलग रेट हैं और इस के अलावा आप उस का रेट बढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन इस के बावजूद आपने बिरला को दो नये पैसे से कम पर बिजली दे रखी है और उस के लिये उससे एग्रीमेंट भी कर लिया है जिस से लाखों रुपये

सालाना प्रवेश का नुक्सान होता है। तो यह आप की जहनियत है और इसीलिये आप का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाता।

लगान भी उत्तर प्रदेश में ५० किस्म की है। कभी सरकार ने उस पर विचार नहीं किया। अगर पुराना जमींदार है और उस का १ रुपया एकड़ का सीर का लगान था तो वह आज भूमिधर बनने के बाद भी उतना ही लगान दे रहा है और उसी स्तर की जमीन का किसान आज दस रुपया, बारह रुपया एकड़ लगान देता है और अगर वह सीरदार हो गया है तो २५ और ३० रुपया फी एकड़ लगान देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि १८ सालों में आप ने लगान में एकरूपता लाने में कौन सा कदम उठाया ? आप दुनिया भर में दावा करेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे, यह आप की नीति है ?

फूल सिंह जी को मैंने बीच में ही टोका था कि आप बड़ी-बड़ी रिपोर्टों की चर्चा कर रहे हैं, उनको क्या कोई पढ़ता भी है ? सेक्रेटरी लिख कर ले आते हैं और आप दस्तखत कर देते हैं। मैं आप को बतलाऊं कि फर्जी हस्ताक्षर कर के रुपया दिया जा रहा है। हमारे यहां एक कोआपरेटिव है बसनी, वहां काफी खाद पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है। तो यह हालत है।

श्री राव आप के योजना आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने अभी समाजवाद के बारे में एक भाषण दिया है। पहले आप ने पंचायतराज का नाम ले कर जनता को धोखा दिया और आज आप समाजवाद का नाम लेकर जनता को धोखे में डालना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप समाजवाद के पवित्र शब्द को बदनाम मत कीजिये। अगर कुछ करना है तो कीजिये। राव साहब ने कहा कि भारत में आर्थिक विकास समाजवाद की अपेक्षा पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। और यह योजना आयोग क्या है ? यह आयोग तो भानमती का पिटारा है। यह लोगों को पेंशन देने के लिये एक तरीका निकाल लिया गया है। उसमें बीसों कमेटियां होती हैं, जिनमें विशेषज्ञों को होना चाहिये, लेकिन यहां बहुत से लोग हैं वे बतला दें कि उन में कौन-कौन लोग हैं। यह तो खाने कमाने का जरिया है। रऊफ जाफरी हार गये तो उनको लैन्ड मारगेज बैंक का चेयरमैन बना दिया। मंगला प्रसाद को सहकारी संघ का चेयरमैन बना दिया। ये भ्रष्टाचार को केवल बढ़ा ही सकते हैं, ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। इस तरह की जहनियत को मिटाना पड़ेगा वरना कुछ कहने से फायदा नहीं है।

अभी माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हमने हर ब्लाक में एक एक अस्पताल खुलवा दिया। मैं चैलेंज करता हूं और माननीय गेंदा सिंह से अपील करता हूं कि पिंडरा और बड़ा गांव दोनों ब्लाकों के लिये ५ साल से रुपया स्वीकृत है, लेकिन नींव तक नहीं बनी है। यह घपलेबाजी और धोखाधड़ी नहीं चल सकेगी सरकार की। कहते हैं कि ५५ फीसदी लड़कियों को पढ़ाते हैं ये बोगस आंकड़े हैं। भारत सरकार ने लाखों रुपया दिया हरिजनों में जो अपराधशील जातियां चमार, मुसहर, कंजर इत्यादि हैं, उनके लिये उसमें प्रतिबन्ध लगा दिया कि ५ एकड़ जमीन होनी चाहिये। पहली, दूसरी, तीसरी योजना में भारत सरकार से यह क्लाज निकलवाने की हर चन्द कोशिश की, मैं लिखते लिखते मर गया। चन्द्रभानु गुप्ता जी ने गोपीचन्द को भेजा, हरिजन कल्याण विभाग ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन सरकार कहती है कि हम उनकी भलाई करना चाहते हैं पर ५ एकड़ का क्लाज आज तक नहीं निकला। नतीजा यह है कि १ करोड़ रुपया १० साल से पड़ा हुआ है। १२ लाख हमारे जिले बनारस में पड़ा हुआ है और एक भी मकान नहीं बना। क्या आप बात करते हैं योजना की और समाजवाद की ? यह योजना निकम्मी है। आज आप जो समाजवाद की बात करते हैं वह उसको बदनाम करते हैं और इसीलिये देश से गरीबी और भ्रष्टाचार को मिटाने में असमर्थ हैं और खाद्य उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ हैं। यह निकम्मी योजना पूंजीवाद के बल पर है और आपकी व्यवस्था पूंजीवादी है। जबतक इस जहनियत को रखेंगे तो समाजवाद आ नहीं सकता।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

माननीया अधिष्ठात्री जी, मैं इस साल का जो बजट है उसपर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक बजट का संबंध है, मेरा यह खयाल है कि पिछले सालों से इस साल का बजट कई बातों में अच्छा है। कई साल से हमारे यहां एक रिवायत सी पड़ गयी थी कि सरकार डेफिसिट बजट पेश करती थी। कई करोड़ रुपये का घाटा होता था, उसके आधार पर टैक्सेज या और चीज बढ़ा ली जाती थीं और अन्त में वह रुपया खर्च नहीं होता था और बचत होती थी। इससे एक लोगों में भी बुरा असर पड़ता था और जो टैक्सेज बढ़ जाते हैं वह फिर भी नहीं हटते हैं। इस बार कम से कम यह बात अच्छी हुई कि बहुत कम रुपया ३१–३२ लाख रुपये का घाटा इतने बड़े बजट में कोई बुरी बात नहीं है। वह अच्छी बात है, इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं कि इस साल ज्यादा हम वास्तविकता के नजदीक हैं।

जहां तक और बातों का ताल्लुक है, मेरे लिये जो गरज बजट की होती है वह यह है कि जिस ढंग से पैसा खर्च किया जाता है और जिन व्यवस्थाओं के जरिये से किया जाता है उनसे समाज के अन्दर किस किस्म की भावनायें पैदा होती हैं। जैसे यह अच्छी बात है कि शिक्षा पर ज्यादा खर्च हो, लेकिन जहां रुपया खर्च होना जरूरी चीज है वहां यह भी जरूरी चीज है कि शिक्षा का कंटेन्ट क्या है, किस किस्म की पढ़ाई होती है। जो पढ़ाया जाता है उससे किस किस्म के विचार लोगों में पैदा होते हैं। इस दृष्टि से जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे जरा भी हिचक नहीं होती यह कहने में कि हम जिन व्यवस्थाओं के जरिये काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी आहिस्ता-आहिस्ता गिरती जा रही है। यह एक खतरनाक रुझान है। अगर हमारे उन इन्सटीट्यूशन्स का असर, जिनके जरिये हम काम करना चाहते हैं, अच्छा पड़ने के बजाय बुरा पड़ता है तो स्थित अवश्य खराब होती जायगी।

पहले बहुत कम विभाग ऐसे थे जिनको खराब समझा जाता था। पुलिस और रेवेन्यू इन दो विभागों को खराब समझा जाता था। उनके संबंध में कुछ खास धारणायें बनी हुई थीं। बाकी विभागों के बारे में लोगों के दिमागों में खराब विचार नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता हमने जैसे जैसे कामों को फैलाया, जो जो काम हमने किये, उसने हमारे दिमागों पर अच्छा असर नहीं डाला।

हमने बिजली के काम को फैलाया। एक ओवरसियर जब गांव में जाता है तो वह अगर एक गांव में कहीं बिजली का खम्भा लगाना है तो कई गांव की पैमाइश करता है। उससे लोगों के मन में यह भावना पैदा होने लगती है कि हमारे गांव में बिजली आने वाली है। जो मुहकमे के लोग जाते हैं उनकी भावना यह रहती है कि किस तरह से पैसा पैदा किया जाय। कभी कहीं खम्भा लगाने की बात होती है, कभी कहीं लगाने की बात होती है, और जहां से उसको कुछ मिल जाता है वहां खम्भा लगा दिया जाता है। तो इससे कोई अच्छी भावना लोगों में जाग्रत नहीं होती। जिस काम के लिये वे जाते हैं अगर वे अच्छी भावना जनता में पैदा नहीं करते तो उसका असर गलत होता है। रुपया चाहे हम जितना खर्च कर लें, उससे कोई लाभ नहीं होता।

जहां हम इस चीज को कहते हैं कि हमने इतना रुपया उस कार्य के लिये बढ़ाया, वहां हमें यह भी देखना चाहिये कि जिस प्रणाली के जरिये हम उस रुपये को खर्च करने जा रहे हैं उस प्रणाली का असर क्या पड़ता है लोगों पर। आप इन बातों को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। इस प्रश्न पर भी आपको गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा।

इसी सदन में कई बार बहस के समय यह कहा जाता रहा है कि ब्योरोक्रेसी का असर बढ़ता जा रहा है, वह हावी होती जा रही है। उसके जवाब में जो बात सुनने को मिलती है

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह काफी संतोषप्रद नहीं होती। पिछली बार, मैंने काफी गौर से सुना था, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि ब्योरोक्रेसी के माने हैं "रूल आफ दि ब्योरो"। किताबी तरीके से उन्होंने ठीक कहा। डेमोक्रेटिक सिस्टम जब हो जाता है तो चुने हुये लोगों की सरकार बनती है। मगर देखना यह है कि उन चुने हुए लोगों का असर ब्योरोक्रेसी पर कितना होता है। इंडियन पार्लियामेंट अगर सोशलिज्म के लिये कोई कानून बना दे, तो वह कानून पास करने से ही समाजवाद आ जाय, ऐसी बात नहीं है। उसका एक क्रम होता है, उसके लिये उस क्रम से कुछ काम करना होता है और उसके लिये काफी प्रयत्न करना होता है और उसके बाद समाजवाद आता है। उसके लिये पहले की सारी मान्यताओं को बदलना होता है, लोगों के दिलोदिमाग को बदलना होता है। तो खाली पब्लिक के रिप्रजेंटेटिव के आ जाने से ही ब्योरोक्रेसी खत्म नहीं हो जाती। यह बात सही है कि उसकी ताकत कम हो जाती है, मगर वह भी तब जब कि चुने हुए नुमाइन्दे उस मशीनरी पर हावी होने की क्षमता रखते हों।

मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी कि जितने भी आजाद मुल्क हुए हैं उनमें भी एक फार पावर स्ट्रगिल हो रही है। पोलिटिकल लीडरशिप, इन्स्टीट्यूशन, ब्योरोक्रेसी, मिलिटेरी यानी सारे डिफरेंट इन्सटीट्यूशंस के अन्दर स्ट्रगल फार पावर हो रहा है। उस ख्याल से मैंने यह बात पिछली दफा भी दोहराई थी कि प्रशासन सितार के समान है। अगर उसे ठीक तरह से बजाया जाता है तो उसमें गाने की आवाज निकलती है। अगर अलाय-बलाय बजाया जाता है तो आवाज ठीक नहीं निकलती है। मेरा कहना है कि आहिस्ता-आहिस्ता रूल आव दि ला जिसे कहते थे उस कानून की हुकूमत से हम हटने लगते हैं। जो सही मानों में पीपुल्स हुकूमत है, उसकी हालत भी पैदा नहीं की है। उस बीच के दौरान में ज्यों-ज्यों पोलीटिकल लीडरशिप किन्हीं कारणों से कमजोर होती जाती है, ब्योरोक्रेसी का जोर बढ़ता जाता है। उसका एक असर होता है और वह हर बातों में झलकता दिखाई देता है। जितनी आपकी कमेटीज बनती हैं, उसमें पोलीटिकल लीडरशिप ज्यों-ज्यों हुकूमत में आती है, त्यों-त्यों पापुलर रिप्रजेंटेटिव की राय की वकत उनकी नजर में गिरने लगती है। हम ऐसे अजीब ढांचे के अन्दर काम कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर है, उसको दो मास्टर्स की सर्व करना पड़ता है, एक तरफ ब्योरोक्रेसी को ठीक रखना पड़ता है और दूसरी तरफ पोलीटिकल मशीन का सामना करना पड़ता है जब कि एक को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाता है। वह एक स्ट्रगल है उसे मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी वह कम से कम मामूली पोजीशन एक आर्डर आव प्रेसीडेंस होता है कि किसकी क्या पोजीशन है। हम आज तक यह तय नहीं कर पाये कि एक एम०एल०ए० की वास्तव में क्या पोजीशन है। आर्डर आव प्रेसीडेंस में, ऐसे नामीनेशन्स में, अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता पापुलर रिप्रजेन्टेटिव्ज को कमेटी से हटाना, कि इनमें झगड़ा होता है इस ग्रुप को रक्खें और उस ग्रुप को रक्खें, यह ठीक नहीं है। ये बातें अंग्रेज कहा करते थे कि यह इस ग्रुप का है और वह उस ग्रुप का है। क्या आप अपने डिसीजन मेकिंग बाडी में पापुलर रिप्रेजेंटेटिवस को जोड़ने को तैयार हैं या नहीं। पिछले तीन-चार साल का रुझान ऐसा होता जा रहा है कि पापुलर रिप्रेजटेटिव कम होते जा रहे हैं।

अभी नेगी साहब बैठे हैं। इन्होंने ही एक आर्डर निकाला। मुतालबा यह हुआ कि गांव में आज दूकाने नहीं हैं। दुकाने जो होंगी उनके साथ पांच-पांच आदमी पब्लिक के जोड़ दिये जायं। यहां से जो आर्डर पहुंचता है उसमें वहां पर भी एस०डी०एम० हैं उन्होंने दुकानदारों से कहा कि पांच-पांच नाम और भेजो जो तुम्हारी सहूलियत के हों। तो कहने का मतलब यह है कि वे किस तरह से आर्डर की स्प्रिट हरा देते हैं। आर्डर जो जाता है वह वहां पहुंचता है तो उसकी स्पिरिट क्या रहती है। ब्योरोक्रेसी में एक कम्पीटीशन के तरीके से आता है। वहां वह अक्ल से लड़ता है। हर काम ही वह ऐसा करता है। सेन्टर में फूड के मसले में कोई फूड मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है। अन्न कहां पैदा होता है इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह से हमारे गेंदा सिंह जी अन्न के जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी स्पीचेज के जरिये से काफी असर पड़ता है, पर उसका इसकी मैकेनिज्म से कोई वास्ता नहीं है। जो

[श्री गोविन्द सहाय]

पोलीटिकल ढांचा है वह एक खास ढंग से मिनिस्टर मुकर्रर करता है उसका जो रैशनल डिवीजन है वह नहीं हो पा रहा है। जो मिनिस्टर्स का डिवीजन है वह मुख्यमंत्री के कब्जे के बाहर है जिसके अन्दर विभागों का एक रैशनल डिवीजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी क्या कोई काम, क्या कई कार्य इस तरह समझा गया है जैसा मैं दावे से कह सकता हूं। मुझे मुनासिब नहीं लगता, जो मिनिस्टर फार इर्रीगेशन हैं वे असली बिजनौर के रहने वाले हैं। अब मैं बताये देता हूं। अभी उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि बिजनौर में कितने ट्यूबवेल्स हैं। इसके लिये वे कागजात मांगेंगे, जबानी वे बता नहीं सकते। मिनिस्टर की एक पोजीशन होती है। वह एक विभाग में जान डाल देता है। उसमें एक स्पिरिट पैदा कर देता है। लेकिन अगर वह मिनिस्टर स्वयं आत्मा रहित है तो कैसे जान डाल सकता है। इसी तरीके से हर चीज का रुख होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी के मिनिस्टर होने से क्या होता है, ब्यूरेंक्रेसी तो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी का अपनी जगह पर महत्व होता है। जितनी उसकी कैपेसिटी होती, उस सारे का अवश्य ही असर होता है। उसका एक ऐटीट्यूड होता है और उसी से वह उस विभाग को चलाता है। मान लीजिये एक मिस्टर एक्स हैं जो पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर है, उनका ऐटीट्यूड हो सकता है कि सूबे में ज्यादा सड़कें बनें और दूसरे की यह कि उनका किस प्रकार के ठेकेदारों से बनाया जाय। कोई कोआपरेटिव का मिनिस्टर है, उसमें एक का ऐटीट्यूड हो सकता है कि कोआपरेटिव का फेल न हो और दूसरा सोच सकता है कि उस विभाग के लोगों की नियुक्ति और तबादले मेरे हाथ में हों। इसलिये मेरा ऐसा खयाल है कि इस दिशा में हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से पूछना चाहता हूं कि उनका ऐसा भाषण पहले भी कई बार हो चुका है, क्या उनके भाषण का इस सरकार पर कोई असर पड़ा है?

श्री गोविन्द सहाय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि मेरी बात का असर होता है या नहीं लेकिन मुझे खुद तसल्ली होती है कि मैंने ठीक बात कही। एक डेमोक्रेटिक प्रणाली को अन्दर हमारा यह फर्ज है कि हम लोग जो यहां चुनकर आये हैं, वे जिन बातों को अच्छा समझते हैं, उनको यहां कहें। मैं किसी के मोटिव पर जाना नहीं चाहता, इसलिये यह बहस भी कोई अच्छी बहस नहीं कि लोगों की राय ओहदे के साथ बदला करती है। गर्मी में आदमी एक किस्म के कपड़े पहनता है और जाड़ों में आदमी दूसरे किस्म के कपड़े पहनता है। गवर्नमेन्ट में कोई आदमी आता है तो उसकी एक सीमा होती है। सिस्टम के बारे में हमारी एक राय हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लीडरशिप कमजोर होती जा रही है और यह सिस्टम उसके ऊपर हावी होता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश का भारत में एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। क्यों रहा है? इसलिये कि उत्तर प्रदेश की सरकारों ने बहुत बड़े-बड़े कार्य किये, नयी नयी योजनायें बनायीं। हमें गौरव है कि बहुत से बड़े-बड़े सुधार के कार्य हुए उनका श्रीगणेश उत्तर प्रदेश से ही हुआ और उत्तर प्रदेश ने भारत के दूसरे प्रदेशों का मार्गदर्शन किया। हमने जमींदारी खत्म करके बड़ा भारी कदम उठाया। बहुत सी सरकारें उसे अब भी नहीं कर पायीं। इसी प्रकार से पुलिस में और एजूकेशन में भी कुछ कदम उठाये गये लेकिन अब मेरा अनुमान है कि आहिस्ता-आहिस्ता उन बड़े कदमों के उठाये जाने की स्पिरिट समाप्त होती जा रही है। उसके टैम्पो को हम कायम नहीं रख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम इस बात के लिये ऊंचा हुआ कि उसने जेल में क्रान्तिकारी रिफार्म्स किये। अमेरिका में उत्तर प्रदेश के जेल और कैनाल के कामों के बारे में चर्चा थी कि वहां पर कुछ नयी चीजें की गयीं हैं। हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। जेल विभाग में जो

आहिस्ता-आहिस्ता एक सर्विस बनी थी, वहां जो डी० आई० जी० और आई० जी० होते थे वह पोस्ट भी अब आई० ए० एस० को चली गई। यह जो प्रदेश भर में एक क्राइसिस हुआ और जो ऐसी जगहों का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक मान्यता होनी चाहिये और टेक्निकल लोगों की एक इज्जत होनी चाहिये। हमने इन वर्षों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया बल्कि जो उठाया भी था उन की भी स्पिरिट को अब हम खत्म करते जाते हैं, यह मुनासिब नहीं है।

बस दो एक बात मुझे पुलिस और सेल्स टैक्स के विषय में और कहना है। पुलिस के बारे में तो काफी चर्चा यहां होती रहती है इसलिये मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा लेकिन जो कुछ यहां कहा जाता है उससे मुझे बड़ा अजीब सा तजुर्बा हुआ। अभी आठ-दस दिन पहले सीतापुर जिले के एक टाउन एरिया के चेयरमैन मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बतलाया कि हमारे यहां एक गांव में एक मेला लगता था उसे अब थानेदार नहीं लगने देता। मैंने गलती से डी० आई० जी० से इसकी शिकायत कर दी है और मुझे डर है कि वह दरोगा मेरे साथ अब ज्यादती न करे। मैं उनसे कह आया हूं हालांकि मेरा तजुर्बा यह है कि अगर कोई काम खराब करना हो तो दरोगा जी की शिकायत ऊपर करना चाहिये। क्योंकि ऊपर से कायदा कानून में मामला पड़ जाता है। लेकिन हुआ यह नतीजा कि २ दिन बाद उनको फांस दिया गया, उनको बन्द किया गया और उनको वहां घुमाया गया। इन चीजों को सरकार को जिम्मेदारी से देखना चाहिये....

श्री अधिष्ठाता——

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री गोविन्द सहाय—

मैं केवल दो-एक बात सिर्फ सेम्पिल की तरह कहना चाहता हूं। फीरोजाबाद में हड़ताल हो रही है, वहां २ लाख के करीब मजदूर काम करते हैं। वहां पर बिक्रीकर का तरीका यह है कि जो डेकोरेटिव बैंगिल्स बनवाये जाते हैं उनके ३ रुपये के जोड़े पर २१ पैसा कर देना होता है यानी ६ पैसे के डेकोरेटिव काम के वजह से उस बेंगिल के जोड़े पर २२ पैसा कर अलग देना पड़ता है। सरकार को देखना चाहिये कि इन चीजों का क्या प्रेक्टिकल, असर पड़ता है। मैंने यह दो-एक बातें कहीं और जानबूझकर मैंने अपने जिले की कोई बात नहीं कही क्योंकि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को वहां बारे में सब चीजें लिखकर दे चुका हूं। मेरा खयाल है कि अगर कांग्रेस सरकार के आबर को ठेस पहुंचती है तो उस से मुझे भी ठेस पहुंचती है। मैं अपने साथियों से आशा करूंगा कि अब वह समय आ गया है जब हम गम्भीरता से सोचें कि क्या कारण है कि तमाम चीजों का फैलाव हो रहा है लेकिन हमारी जनतांत्रिक संस्थाओं का आबर क्यों कम हो रहा है, हमें इस बुनियादी सवाल पर गौर करना चाहिये।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रजातन्त्र हमारे जीवन में घर करता जा रहा है और सही बात कहने की हिम्मत रोजबरोज हम में बढ़ती जा रही है। चाहे कांग्रेस बेंचेज के लोग हों, चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों अब सभी सही बात के कहने में हिम्मत से काम लेने लगे हैं। अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि जो लोग जिम्मेदारी को संहालते हैं मंत्रि-परिषद् में उन की कुछ सीमायें हो जाती है। अगर उन सीमाओं को रखते हुये भी सरकार के लोग दिल और दिमाग को यकसां कर के काम लें, नीयत साफ रखकर काम लें और इस मिनिस्ट्री, इस ओहदे को या इस कुर्सी को इस तरह धारण करें जैसे पुराने वक्त में लोग करते थे। अब पुराने जमाने की कोई मुसीबत बाकी नहीं रही लेकिन अब आपत्ति यह है कि जो लोग एक बार मिनिस्ट्री में आ जाते हैं वह उस जगह को अपनी जागीर समझने लगते हैं। और वे इस तरह से महसूस करते हैं कि अगर एक दफा ताकत हाथ से चली जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

जीवन के अन्दर कोई रुचि भी नहीं रह जाती। आपको इस बात की जानकारी होगी, मैं दूर की मिसाल न देते हुए अपने जिले के नेता के बारे में कहूं कि पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट में वे हार गये। स्वाभाविक है कि इलेक्शन में हारने का दुख काफी होता है। अभी १०-१५-२० दिन भी न बीते थे मुझे वे रास्ते में अपने साथ ले गये और कहने लगे कि भाई, अब तो जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही है, आप लोग ही देश को आगे बढ़ायेंगे, आप लोग ही सारे काम-काज संभालेंगे, मेरी तो उम्र इतनी हो गयी कि किसी काम का न रहा। उसी दृष्टि से यह हालत है कि जो लोग हमारा नेतृत्व करते थे, वे ताकत के बगैर जी नहीं सकते, वे अपने जीवन को ताकत में मिला कर रख सकते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमारी मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपने भाषण में कहा कि जब तक व्यक्ति उन कुर्सियों पर बैठे रहते हैं तो उनके कहने का, उनके काम करने का ढंग बिलकुल दूसरा होता है परन्तु जिस वक्त वहां से उठ कर परे होते हैं, उनके सोचने का और काम करने का ढंग बिलकुल जुदा हो जाता है। किसी हद तक यह सही चीज है भी। लेकिन जहां तक मैं महसूस करता हूं कि जिम्मेदारी के होते हुए अगर आदमी जिम्मेदारी से बात करे, नेकनीयती से काम करे, उस जिम्मेदारी को ताकत न समझते हुए जिम्मेदारी ही समझे तो बड़ा भारी कल्याण अपना भी, प्रान्त का भी और आम जनता का भी किया जा सकता है।

मैं माननीय फूल सिंह जी के भाषण को सुन रहा था। बहुत भावुक उनका भाषण था, बहुत उसके अन्दर जज्बात थे और बहुत सुलझी हुई बातें उन्होंने कहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो जो मुसीबतें, जो जो दिक्कतें और जो-जो बुराइयां वे जिक्र करते चले गये, उनका अनुमान ही नहीं, मैं ईमानदारी से जानता हूं कि ये सारी करतूतें उनकी हैं। कोआरेटिव के टयूबवेल के फेल होने, कोआपरेटिव टूयूबवेल्स के बनाने में करोड़ों रुपये व्यय होने, सन् ४९ से लेकर ५१ तक जितने रुपये व्यय हुए, सारे टयूबवेल्स दो साल के अन्दर अस्त-व्यस्त हो गये, उसके अन्दर उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। जो व्यक्ति उन इंजन के लिये जिम्मेदार हैं, एक सज्जन रशिया से आये हैं वे कृषि के बारे में बातचीत कर रहे थे, उनसे कहा जा रहा था कि कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे यहां कामयाब नहीं हुई और २ हजार ट्यूबवेल्स जो कोआपरेटिव के मातहत लगाये गये थे वे सारे के सारे काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह था कि एक तरह की एक ने इंजन की खरीद की, दूसरी तरफ दूसरे ने अपनी मर्जी का सामान खरीदा यानी जिसने जैसा चाहा अपनी मर्जी से इंजन की खरीद की, सामान की खरीद की, जिसका नतीजा हुआ कि पुर्जे उनके न मिल सके और इस तरह से २ हजार ट्यूबवेल्स पर जितना धन व्यय हुआ वह सारा का सारा बरबाद हो गया। लेकिन असल जिम्मेदारी आपकी ही है। जिस वक्त आपके हाथ में शक्ति हो और जिस वक्त आप कार्य कर सकते हैं, उस वक्त काम करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जानता हूं, हमारे जिले के अन्दर, जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों रुपये कोआपरेटिव के बरबाद किये, सिर्फ इसलिये कि स्वर्गीय पंत जी, हमारे ठाकुर फूलसिंह जी और ए० आर०, जिन्हें बाद में डी० पी० ओ० बना दिया गया, उनकी फोटो खिंचती थी। नतीजा क्या हुआ? वे यहां पर सैक्रेटरी बनाकर लाये गये और फिर उन्हें सेन्टर में भेज दिया गया और आज वे जर्मनी में काम कर रहे हैं। वे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एक बड़े अधिकारी हो गये हैं, एक मामूली ए० आर० से।

यहां पर कृषि के बारे में बहुत बातें कही गयीं। ठाकुर साहब ने सुझाव दिये और अन्य माननीय सदस्यों ने भी बहुत से सुझाव दिये कि हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं। अधिष्ठात्री महोदया, कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो क्यों न हो। यहां कोआपरेटिव वाले जिस वक्त कृषि के नाम पर किसानों के पास जाते हैं तो उनकी नीयत यह होती है कि हम किसानों से कितना छीन कर लेजायें। कृषि विभाग का आदमी जाता है तो उसकी भी यही हालत होती है कि हम कितना लूट खसोट करते हैं, इर्रीगेशन का आदमी जाता है तो वह सोचता है कि मैं कितना हिस्सा किसान से ले सकता हूं।

अभी-अभी हाल में माननीय शान्ति प्रपन्न जी को जमना कैनाल जहां से निकलती है, वहां पर ले गया। पिछले ७ सालों से उस नहर से पत्थर और रेत नहीं निकाला गया है। ४७ से २, २ १/२ लाख रुपया पानी का स्तर ऊंचा करने के लिये खर्च हुआ। पहले इस नहर के पानी की निकासी की क्षमता जहां पर ४,८०० क्यूसैक्स थी वह आज १,७०० क्यूसैक्स हो गयी है। यहां से आदेश गया कि माननीय उपमंत्री और कुछ साथी वहां पर जायेंगे। एक दिन पहले वहां पर हरिद्वार से मशीन मंगायी गयी लेकिन चौथे दिन जब हम वहां पर फिर फिर गये तो हम देखते हैं कि वह मशीन ही गायब हो गयी। यहां पर आप उस कार्य के लिये ४० लाख रुपये रखें या ४ करोड़ रखें लेकिन जिनके हाथों से वह खर्च होता है, उसको देखने वाला आज कोई नहीं है

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अधिष्ठात्री महोदया, यह हालत है हमारी इरीगेशन की।

जहां तक खाद का संबंध है, माननीय गेंदासिंह जी चले गये हैं, मुझे इस बात का अफसोस है, पिछले दिनों मैंने सुझाव दिया कि आप बाहर से करोड़ों रुपयों का खाद मंगवाते हैं। यह जो खाद बाहर से आता है या जो हम तैयार करवाते हैं, वह जमीन की उपजाऊ शक्ति को खींच लेता है। और कई प्रकार की वह खाद है। हमारे जो कृषि के जानने वाले लोग हैं उन्हें पता नहीं कि कौन जमीन किस खाद को पसन्द करती है। अगर सल्फेट पड़ा है तो बट जाता है, नाइट्रेट पड़ा है तो वह बट जाता है। उस का नतीजा यह होता है कि खाद देने से जो फसल बढ़ने की तरफ होनी चाहिये थी वह खराब हो जाती है और इस खाद के साथ-साथ जब तक पानी जरूरत के हिसाब से न मिले तब तक कोई फायदा नहीं होगा। पानी आप के पास पूरा है नहीं और खाद पर करोड़ों रुपया बाहर से मंगा कर जाया कर रहे हैं।

अब मैं खाद्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाहर से इतना अनाज आया, यह ठीक है कि आपने प्रयत्न किया, प्रान्त को बचाया काफी हद तक। लेकिन जहां तक ये दूकानें खोली गईं जगह-जगह जिनसे अनाज का वितरण होता है अगर उन की हालत को देखा जाय तो बड़ा दुःख होता है। कम से कम मैं अपने शहर और जिले के बारे में कह सकता हूं कि जिन लोगों के नाम १० नवम्बर के रजिस्टर में पिछले १०, १५ साल से चले आ रहे हैं उन लोगों को डिपो दिये हैं और आज वे बदमाश लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रु० के मालिक हो गये हैं। पिछले दिनों एक शादी हुई हमारे एक अफसर के यहां, जितने डिपो वाले थे वही सब काम करने वाले थे। जहां हालत यह हो आपके वितरण की इस लूट खसोट का जब तक संतोषजनक इंतजाम नहीं करेंगे तब तक जिन लोगों के लिये आप सारा इंतजाम करते हैं वह चीज उन लोगों तक नहीं पहुंच पायेगी और जितना चाहे आप रुपया खर्च करते चले जायं, जो आप का उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता।

अधिष्ठाता महोदय, खाद के बारे में मैंने माननीय गेंदासिंह जी को एक सुझाव दिया, जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी। जो कोयला हम पाकिस्तान को देते हैं और जिसके बदले में हमें अंगूर मिलता है अब हमारे पास कोयले की तो हो गई कमी, डिपो वाले कोयला मंगाने को तैयार नहीं, पिछले दिनों जब कमी हुई थी तो जगह-जगह मंत्रीजी ने डिपो खोल कर कोयला दिया। लेकिन आज हालत यह है कि प्रान्त के अन्दर कोई डिपो वाला समय के अन्दर कोयला मंगाने के लिये तैयार नहीं है। तो मैंने मंत्री जी को यह सुझाव दिया कि अगर गांव दर गांव पंचायतों के साथ एक-एक डिपो खोल दिया जाय कोयले का और आप कानून बना दें कि गोबर जलाने के काम में नहीं लाया जायगा तो जितनी अच्छी खाद घरों में पैदा कर पायेंगे वह काम में आयेगी और जो रुपया आप बाहर खर्च करते हैं वह भी बच जायगा और वह रुपया दूसरी मदों में लगा सकते हैं और घरों की खाद आप काम में ला सकते हैं जिसको हर प्रकार की

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

फसल पसन्द करती है। २, ४ मिनट बात करने के बाद समझ में बात उनके आ गई और कहने लगे कि फिर बात करेंगे लेकिन आइन्दा मौका नहीं मिला।

अधिष्ठाता महोदय, पुलिस के बारे में यहां बहुत चर्चा होती रहती है रात-दिन। पिछले दिनों यहां जौनपुर के बारे में सवाल हुए। हमारे यहां एक डी० एस० पी० थे। जौनपुर के लिये उनका तबादला हो गया और उसके बदले में जौनपुर की गंदगी सालिगराम हमारे यहां भेज दिये गये। उनके भेजने का नतीजा यह हुआ कि कोई रात ऐसी नहीं बीती जिसमें ८ से कम चोरियां हुई हों और एक-दो डकैतियां न पड़ी हों। लोगों का और यहां के एक माननीय सदस्य का यह कहना है कि वह डकैतों को पालते हैं और यहां के डकैतों को वहां साथ ले गये हैं और वहां डकैती डलवाते हैं दिनदहाड़े और मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य हैं उनके तथा उनके घर वालों के संरक्षण में वह पलते हैं और हिस्सा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे और सुधार करे।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष के बजट पर जो वादविवाद चल रहा है वह वस्तु-स्थिति से बड़ा प्रतिकूल जा रहा है। सदैव यह दोहराने से कि इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इस बजट में कोई नई बात नहीं है इससे विरोधी दल के आदरणीय सदस्यों को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। कम से कम इस बजट से आर्थिक स्थिति में जो आशा की किरण दिखाई पड़ी है उस की थोड़ी सी चर्चा कर देना उन लोगों के लिये भी एक न्याय की चीज होगी। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वह सुदृढ़ नहीं है और जैसा कि माननीय फूल सिंह जी ने कहा है यह प्रदेश इस देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है लेकिन इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछले १०–१५ वर्ष में इसकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुदृढ़ता आई है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि ५०–५१ में इस प्रदेश की आय ५४ करोड़ रुपये थी और आज ६६–६७ में बढ़ कर २९२ करोड़ हो गयी है और यही नहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना का इतिहास आप देखें। ४९७ करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी थी थी लेकिन अन्त होते हुये प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ थी कि वह ५५५ करोड़ रुपये तक व्यय कर सका है और इस तरह से ५८ करोड़ रुपया फायनेन्शियल टार्गेट से एक्सीड कर गया। इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जो है उसे देख कर किसी को निराशाजनक वातावरण दिखाई दे, यह सत्यता के अनुकूल नहीं होगा।

माननीय फूल सिंह जी हमारी कांग्रेस पार्टी में हैं और सरकार में भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बात सही कही लेकिन उसके कारण में जाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि यह सूबा जो है इस देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है और जो छः पिछड़े प्रदेश चुने गये हैं उनमें भी यह सबसे पिछड़ा है और उसके बहुत से आंकड़े दिये।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, कोरम का ध्यान दिया जाय।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय फूल सिंह जी जो इस दल के मंत्रि-मंडल के सदस्य रह चुके हैं और काफी अध्ययन भी करते हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा की कि सारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश है। अगर ६ प्रदेश जो पिछड़े हैं उनके आंकड़े लिये जायं तो सबसे पिछड़ा उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन यह छानबीन करने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे क्या कारण है क्योंकि यदि आप इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारणों में नहीं जायेंगे तो अनर्गल चर्चा होती रहेगी और हम किसी भी उद्देश्य पर नहीं पहुंच सकेंगे ।

तीनों पंचवर्षीय योजनाओं पर इस प्रदेश में जो रुपया इसके विकास के कार्यों पर खर्च हुआ है उसकी अन्य प्रदेशों से तुलना करके देखेंगे तो पायेंगे कि पंजाब में २८९ करोड़, जम्मू काश्मीर में २२० करोड़, बम्बई में २२० करोड़ और राजस्थान में २१० करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इस प्रदेश में केवल १२५ करोड़ रुपया खर्च हुआ है । अब यह कहा गया कि इतना कम रुपया यहां के विकास पर क्यों खर्च किया गया ? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? यदि आप आंकड़े देखेंगे तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में पहले ५४ करोड़ की आय होती थी वह आज २९२ करोड़ हो गई है । हमारे प्रदेश में जो इतनी आय हो गई है उसका श्रेय हमारे प्रदेश की कार्य क्षमता को है । केन्द्रीय सरकार से हमको बहुत कम सहायता प्राप्त हुई है । उस समय के यदि आंकड़े देखे जायं तो मालूम होगा कि सात प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार ने हमारे प्रदेश की बनिस्बत अधिक रुपया स्वीकार किया है । उसमें केवल बोर्डर स्टेट के प्रदेश नहीं है बल्कि केरल और मद्रास जैसे छोटे-छोटे राज्य हैं । वे बोर्डर पर भी नहीं है फिर भी उनको केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता प्राप्त हुई है । इसका कारण यह है कि बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश संघर्ष करता रहा है कि जन संख्या के आधार पर केन्द्रीय सरकार टैक्स के रुपये का बटवारा करे । लेकिन आज तक किसी भी फाइनेंस कमीशन ने हमारी इस बात को स्वीकार नहीं किया है । इसका फल हमें देखने को यह मिलता है कि अन्य राज्यों की आय १५.८ परसेंट आई केन्द्रीय सरकार की सहायता से और उत्तर प्रदेश की आय केन्द्रीय सरकार की सहायता केवल ८.८ परसेंट आई है । अन्य प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार से विकास के कार्यों पर खर्च करने के लिये २.४९ रुपया मिला वहां हमारे प्रदेश को केवल १.३९ ही मिला है । हमारा प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहां हम केन्द्रीय सरकार से वह सहायता प्राप्त नहीं कर सके हैं जो सहायता हमको मिलनी चाहिये । क्षमता से अधिक रुपया हमारा प्रदेश खर्च नहीं कर सकता है ।

अगर आप देखें तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में १९५१ से १४२ परसेन्ट अधिक कर का भार बढ़ गया है और किसी भी सरकार का यह साहस नहीं है कि अपनी जन-संख्या के बहुत बड़े अनुपात के कारण प्रदेश उतना विकास नहीं कर पाता जितना महाराष्ट्र या केरल जैसे प्रदेश करते जा रहे हैं । मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप के फाइनेंशियल रिसोर्सेज सीमित हैं लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जो परफारमेंस रही है वह उत्साहवर्धक नहीं रही है । ८०.५ प्रतिशत योजनाओं के फिजिकल टार्गेट यह प्रदेश उपलब्ध कर पाया है । कृषि में, जहां पर खाद्यान्नों में कमी है केवल ७९.५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं । उत्तर प्रदेश के जो सबसे गरीब पूरब के जिले है, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने पिछले साल ८ करोड़ रुपया दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, उन पर विधान सभा में रोज आक्रमण हुआ करता है कि पूर्वी जिले आमदनी का केवल ४० प्रतिशत देते हैं और ६० प्रतिशत उन पर व्यय किया जाता है, यह सरकार पर बड़ा आरोप है । पूर्वी जिलों को बेकार बदनाम किया जाता है । वहां पर पटेल कमेटी के नाम पर या दूसरी कमेटियों के नाम पर जो वास्तविक विकास होता है वह बहुत नेग्लिजिबिल है । ८ करोड़ रुपया जो केन्द्रीय सरकार से पिछले वर्ष यहां पर मिला और जो चार जिलों में २, २ करोड़ बांटा गया उसमें भी केवल ४० प्रतिशत खर्च हुआ और ६० प्रतिशत रुपया इस बजट में उठा कर पूर्वी जिलों के नाम पर रख दिया है ।

गाजीपुर जिला जो केन्द्रीय सरकार से भी और प्रदेशीय सरकार से भी सबसे गरीब जिला घोषित हो चुका है उसके कुछ आंकड़े इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि उस जिले में देखा जाय कि किस प्रकार से यह योजनायें चल रही है । उसकी थोडी सी झांकी में प्रस्तुत करना चाहता हूं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में १० हजार पक्के कुएं बनाने का लक्ष्य था लेकिन बने केवल ४६२ । रहट २ हजार ३०५ लगाने थे, लगे केवल १ हजार १२६ । पम्पिंग सेट देने थे

[श्री कृष्णानन्द राय]

४०८, दिये ११० । बंधी बनानी थीं २८२, एक भी नहीं बनी । लेवलिंग करनी थी ३४३ एकड़ और की केवल ११३ एकड़ । वाटर लागिंग के ९१२ के लक्ष्य में केवल ४६४ पूरा हुआ । नाइट्रोजन फर्टिलाइजर १५ हजार ५ सौ सतत्तर टन देना था, जिसमें दिया गया ५ हजार ७ सौ के लगभग, फर्टिलाइजर ६ हजार २१० टन देने थे जिसमें ३५७ टन केवल दिया । और सबसे ज्यादा सुन्दर काम सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया । मैं चाहता हूं कि माननीय बनारसी दास जी सुन लें। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐक्सिलरेटेड प्रोग्राम के अन्दर गाजीपुर को एक डिवीजन घोषित कर दिया गया । एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पांच असिस्टेंट इंजीनियर भेज दिये गये और दिखाया कि बड़ा काम होने जा रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में १२२ मील पक्की सड़क बनाने का लक्ष्य था लेकिन केवल ८ मील बनायी । इसलिये पश्चिमी जिलों के भाई जब यह कहते हैं कि पूर्वी जिले ४० प्रतिशत लगान देते हैं और ६० प्रतिशत रुपया पूर्व में चला जा रहा है तो बड़ा दुख होता है ।

माननीय लखीसिंह जी को मैं बताऊं कि आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी पूर्वी जिलों की क्या हालत हो रही है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद ६६–६७ में सारे हिन्दुस्तान की इन्कम ३५२ रुपये प्रति व्यक्ति होने जा रही है और उत्तर प्रदेश की २५५ रुपये होने जा रही है लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इसमें भी पूर्वी जनपद में प्रति व्यक्ति औसत इन्कम १८८ रुपये प्रति व्यक्ति है । देवरिया में १५० रुपये प्रति व्यक्ति, गाजीपुर जिले की १९१ रुपये प्रति व्यक्ति, जौनपुर और आजमगढ़ जिले की १८८ रुपये प्रति व्यक्ति है और जैसे-जैसे पश्चिम की ओर मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में जैसे फैजाबाद, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में आयेंगे वह २१५ और २१० रुपये हो जायगी और मथुरा और बुलन्दशहर जिलों की औसत ३ सौ रुपये से ऊपर चली जायगी । तो उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान से १ पंचवर्षीय योजना पीछे है और पूर्वी जनपद के जिले २ योजना पीछे हैं । पूरी दो पंचवर्षीय योजनायें केवल पूर्वी जिलों में चलाई जायं और पश्चिमी जिले में कोई योजना न चलाई जाय तब शायद हम लखीसिंह जी आपके बराबर तक पहुंच सकते हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

ठीक है, दो पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्वी जिलों में चलवाओ और पश्चिमी जिले वालों को अंडमान भेज दो । (हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, कृष्णानन्द जी ।

*श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिठाता महोदया, बजट मैंने सुना और पढ़ा भी आंकड़े इस में सब करोड़ों में है, बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार बहुत खर्च करने जा रही है । सिंचाई योजना पर बहुत खर्च होने जा रहा है । रोजाना यहां चर्चा होती है कि हमें खाद्य चाहिये, तरक्की के और साधन चाहिये । मैं यह चाहता हूं कि सिंचाई की योजनायें आपकी बहुत लम्बी हैं, एक दिन में हल नहीं हो सकतीं । भाई साहब ने पूरब का प्रश्न उठाया । मैं पूरब और पश्चिम की बात नहीं उठाता लेकिन पश्चिम का काश्तकार हल जोतने को और जंगल में जाने को अपना धर्म समझता है लेकिन पूरब का काश्तकार, ब्राह्मण और ठाकुर हल छूने को पाप समझता है । हम पश्चिम के लोग खेती करने के लिये इर्रीगेशन के सम्बन्ध में कुछ बिजली चाहते हैं, कुछ लोन चाहते हैं लेकिन हमें किस कदर परेशानी होती है । पहले जहां मिल थी और फैक्टरी जोन था वहां पहले सीधे रुपये सोसाइटी से मिलता थे लेकिन अब सोसायटी से न मिलकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डेवलपमेंट ऐण्ड लैंड मार्गेज बैंक से मिलेगा। अब काश्तकार कहीं से लिखाकर ले जाय नाम तब तो शायद पता चलेगा उस दफतर का नहीं तो रिक्शे वाला उसको दिन भर घुमाता रहेगा। जैसे कुन्दनसिंह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनकी फूफी आ गयीं। दो जगह उनका मकान था। एक तो पूरब में। सुबह पहले वह दूसरे मकान में गईं। दूसरा मकान पश्चिम में था। जब उसमें से निकल कर दूसरे मकान की ओर चलीं तो आगे को चल दीं और चौराहे से आगे निकल गयीं और दिन भर घूमती रहीं और कहती रहीं कि मैं कुन्दन की फूफी हूं, कुन्दन सिंह सेक्रेटरी का नाम तो याद रहा नहीं, वह कुन्दन की बुआ हूं कहती सारे दिन घूमती रही। तो काश्तकार की भी वही हालत होगी जिसको डेवलपमेंट लैंड मार्गेज बैंक का नाम याद न रहा तो दिनभर घूमेगा, कहेगा दफ्तर जाना था रुपया लेना था, मगर पता नहीं उसको कि कहां जाय। तो ऐसी सुविधायें जो दी गयी हैं उससे काश्तकार संतुष्ट नहीं है।

अभी इर्रीगेशन स्टैंडिंग कमेटी में मैंने लिख कर रिजोल्युशन दिया तो पता चला कि कैनाल का पानी पूरी फसल के लिये नहीं है बल्कि ये तो अकाल के लिये बनी हैं, जैसा हमें सरकार से मालूम हुआ। १६ दिसम्बर को यहां रायल होटल में उसकी मीटिंग हुई तो मैंने यहां पर उनसे कहा कि मन्त्री जी उस पर क्या सोचा? उन्होंने कहा कि वह तो अकाल के लिये है। मैंने फिर कहा कि इस साल तो अकाल है और अकाल की परिभाषा बताइये। उन्होंने बताया कि अकाल में नहरों का कर्त्तव्य है कि तुम्हारे मवेशी पानी पी सके, तुम खुद पानी पी सको और एक पानी तुम्हारी फसल को कायम रखने के लिये सरकार दे सके। यह परिभाषा उन्होंने इस पानी की बताई। इस वजह से मेरा निवेदन है कि आपकी ये सारी योजनायें कि इतने हजार कुयें बना दिये और इतने हजार बिजली के कुयें बना दिये, ये सब बोगस आंकड़े यहां पर दिये जाते हैं। यह सब कागजी घोड़े होने की वजह से हमको इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। एक कुआ हमारे गांव में बनता है। उसी कुयें को वी० एल० डब्ल्यू० अपनी डायरी में नोट करता है। उसी कुंए को गन्ना यूनियन का कामदार भी नोट करता है। उसी दिन अगर असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर गांव में आ गया और उसने कभी फेरा मार दिया तो वह भी उसी कुये को लिख कर ले जाता है। नहर वालों को भी अब हिदायत हो गई है तो नहर का पतरौल भी उस कुंये को अपने यहां बता देता है और वह भी सिंचाई एरिया को उसी तरह बढ़ा देता है। इसी तरह से इतने सारे कुंये हमारे सूबे में बनते जाते है और उनकी तादाद हजारों और लाखों पर बहुत आसानी से पहुंच जाती है। मेरे डिवीजन मेरठ में अगर कोई कुंआ बनाता है तो उस इर्रीगेटेड एरिया में दोहरा पानी देने के लिये बनाता है। इसी सहूलियत को सामने रख कर वह कुंआ बनाता है। यहां पर ये बोगस आंकड़े देकर जनता को दूसरी शकल बताई जाती है। मुझे तो ज्यादा आंकड़े याद भी नहीं रहते क्योंकि मैंने मेथमैटिक्स याद भी नहीं रखा है। लेकिन यहां पर यह कह दिया जाता है कि १५ लाख एकड़ इर्रीगेटेड एरिया हो गया है और इतने लाख अब और सिंचाई कर देंगे। तो यह सब जाली बात है। एक जगह मैंने देखा कि पम्पिंग सेट लगा रहे थे तो मैंने वहां पर इंजीनियर साहब से पूछा कि इसकी परिभाषा क्या है? मैंने कहा कि क्या वही पम्पिंग सेट है जो म्युनिसिपैलिटी लगा लेती है और उसको १५ मिनट चलाकर थोड़ी देर पानी निकाल देती है। उसने बताया यह वही है और उसने बताया कि यह २४ घंटे नहीं चल सकता है। उस पर ५ हार्स पावर की बिजली दी गई है। पम्पिंग सेट उसको कहते है कि उसको सिर पर रख कर तालाब में लगा दीजिये तो वह पानी निकाल देगा। तो फिर हमारी सरकार पम्पिंग सेट पर क्यों जोर देती है। हम तो सरकार से एक छोटा सा ट्यूबवेल मांगते हैं। वह हमको दीजिये जिस तरीके से यह लोन देने का तरीका नकाला है इसको बदलये। फैक्टरी जोन के अन्दर वहां पर गन्ना यूनियन से सीधा ही हमको मिल जाता है। वहां पर खुद प्लैंज होते हैं। उसको हम इंस्टालमेंट में देते रहते हैं। वह आसान है और हर साल उससे काम चलता है। इसलिये आप इसको बन्द करें। हमारी समझ में नहीं आया कि डेवलपमेंट लैन्ड एन्ड मारगेज बैंक क्या बला है। इससे कोई सुविधा जनता को नहीं मिलती है। इसको हमारे सिर से हटाइये।

[श्री चन्दनसिंह]

सरकार उपज के लिये कहती है कि उपज बढ़ाओ। अगर सरकार चाहती है कि उपज बढ़े तो उसको किसानों का ध्यान रखना चाहिये। जब सरकार कुछ देगी तभी तो उपज बढ़ेगी। हम बहुत तरह से खाद डालते हैं, फास्फेट डालते हैं, प्राउन्ड नैट डालते हैं और सभी तरह से कोशिश करते हैं पर सरकार को देखना चाहिये कि इनके भाव क्या है। क्या कभी कृषि मंत्री जी ने इस बात को सोचा कि कितना रुपया काश्तकार को इसके लिये खर्च करना पड़ता है। प्राण्ट नैट का बोरा ३६ रुपये से कम नहीं पड़ता है। ३६, ४० रुपया इसी तरह से दूसरे खादों का उसको पैसा देना पड़ता है। इसी प्रकार से हम आबपाशी के लिये ७ रुपये बीघा नहर विभाग को देते है। उसमें अपने साधन भी लगाते हैं और अपनी तरफ से भी खर्च करते हैं जो जाकर १० रुपये बीघा पड़ता है। अपने साधन अपने पास से खर्च करके रहट या नलकूप से हम पैदा करते हैं जो उसका भी खर्चा हमको करना पड़ता है। इस वजह से मेरा निवेदन है कि उपज तो बढ़ाने के लिये किसान तैयार है लेकिन उसको शान्त करने के लिये भी तो कुछ साधन दीजिये।

रही भाव की घटा बढ़ी। वह तो चलती ही रहती है। मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दे दिया कि गमलों में मिर्च और आलू लगाओ। आपने एक जगह भाषण दे डाला कि हमारे यहां ६ लाख टन आलू पैदा हो गया जब कि हुआ ३ लाख टन भी नहीं। तो ऐसी ही बातों से भाव घटते बढ़ते हैं। इसी तरह से गुड़ की बात है। आप जिसे रुपया कमवाना चाहते हैं उसे आप परमिट दे देते हैं बाकी अगर आप ने परमिट नहीं दिया तो यहां गुड़ सड़ता रहता है। आप चीनी मिलों को देखिये, जिस मिल की जितनी क्रशिंग कैपेसिटी है उससे कम वह गन्ना क्रश करती है। इसी तरह से आप देखिये। आप ने सीमेंट का डिकंट्रोल किया। उससे भाव २८ से घट कर १५ तो आ गया, लेकिन ढंग वही चल रहा है। अगर गांव में किसी को कुंए के लिये सीमेंट चाहिये तो उसको बी० डी० ओ० से सिफारिश करानी पड़ती है। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जरूरत ही क्या है? इसी तरह से मिट्टी के तेल की बात है। मुजफ्फर नगर में कुछ किसान हैं जिन के ट्रैक्टर मिट्टी के तेल से चलते हैं। आप ने दूकानों में राशन के हिसाब से तेल देने की व्यवस्था की है, उसके कारण उन बेचारों को तेल मिल नहीं पाता। हम आप की जरूरत के समय, लड़ाई के जमाने में चन्दा देने को तैयार है, आप ने उस समय चार आना लगान बढ़ा दिया वह हमने दिया, चार आना ही क्या, हम पांच रुपया भी देने को तैयार हैं, लेकिन अबजब कि लड़ाई खत्म हो गयी उसे समाप्त हो जाना चाहिये। अब हम से वह क्यों वसूल किया जा रहा है? मैं तो देखता हूं कि अल्प बचत योजना मे काश्तकार, सुरक्षा कोष में काश्तकार, लौंडे के मरने में काश्तकार, गरज की हर जगह काश्तकार पर आप बोझ डालते रहते हैं। लेकिन उसकी कुर्बानी के बदले मे आप उसे देना कुछ नहीं चाहते। हम लोग अपने यहां हल जोतना अपना धर्म समझते हैं जब कि पूर्वी जिले वाले ठाकुर और पंडित हल जोतना तो दूर रहा, गोंई घर में घुसना पाप समझते हैं। इसलिए सरकार को अपनी नीति में काश्तकारों के लिये कम से कम तब्दीली लानी चाहिये।

आप सर्वे करा लें, कम से कम पांच प्रतिशत् कुंयें काश्तकारों को मिलने चाहिये। काश्तकारों पर तो सरकार को रहम करना चाहिये। इतनी बड़ी धुम लगाई है कनेक्शन देने की कि ८० फुट वाली नहर से ६ फर्लांग, ४० फुट नहर से ४ फर्लांग और जो डिस्ट्रीब्यूटरी जहां से साल भर तक पानी कभी नहीं पहुंचता वहां से २ फर्लांग, स्टेट ट्यूबवेल से ४ फर्लांग दूर तक कमांड एरिया माना गया है। जहां तक ३ फर्लांग वाली छूट की बात है, उसके लिए आसानी से अगर स्पेशल आर्डर लिख दें तो हो सकता है, लेकिन वह तो वहीं लिखा जायगा जहां से १०० रुपया मिलें। तरीका क्या है कि वहां से ५२२ किलोमीटर दूर यहां आवे और मंत्री जी से ११ बार 'चौधरी साहब' कहें, और भरत नारायण जी के पास जाकर उनसे बिनती करें और इधर उधर सैकड़ों चक्कर मारे। तो क्यों नहीं ऐसा जनरल आर्डर लिख दिया जाता कि ३ फर्लांग की छूट हो। जब हम खुद लगाना चाहते हैं तो अनाउंस करा दें कि तीन फर्लांग पर कनेक्शन

दें। जब पानी नहर में नहीं है तो टैम्पोरेरी दे दें। जब पानी होगा तो काश्तकार तो अपने आप वहां से पानी लेगा, क्योंकि नहर का पानी ज्यादा अच्छा होता है।

अधिष्ठाता जी, एक रोज मेरे एक तायाजात भाई नहर खोलने गये माह के महीने में। दो लड़के उसके साथ में थे। जब नाका काटा तो रुका नहीं, तो रजाई ओढ़े ओढ़े कहेंगे कि मिट्टी मेरी तरफ कर दो, पानी खराब न जाय। तो पानी अगर ज्यादा है तो हमारे लिये कर दें और खुद नहीं देते तो हमें इजाजत दीजिये, हमें पावर दीजिये तो हम कर लें। मैं यही दरख्वास्त करने के लिये खड़ा हुआ था कि थोड़ा सा काश्तकार की तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

श्री जगदीरसिंह—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के आम विवाद पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। इस वर्ष बजट में एक बात निर्विवाद है कि पिछले वर्षों की तुलना में यह वास्तवकिता के बहुत ही निकट है। मैं पिछले ९ वर्षों से इस सदन में देखता हूं कि यहां पर डेफिसिट बजट आते हैं और साल के अन्त तक वही सरप्लस बन जाते हैं। लेकिन इस वर्ष केवल ३१–३२ लाख का घाटा दिखलाया है। इस बजट में अगर कोई रिडीमिंग फैक्टर है तो यह है कि कम से कम इस बात का आभास होता है कि हमारी सरकार का कोई नया कर लगाने का विचार इस वर्ष में नहीं है। इसके लिए मंत्री जी और सरकार बधाई की पात्र हैं।

बजट में हमेशा सरकार उन बातों की चर्चा करती है जिनको उस वर्ष करना चाहती हैं, क्या उनकी स्कीमें हैं, किस मद पर कितना पैसा खर्च करना चाहती है। इधर देखने से पता चलता है कि यह बजट कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन मैं इसको समाजवादी समाज की स्थापना करने वाला नहीं मानता। यह हमें दूर ले गया है पहले वर्ष से जब कि उसमें समाजवादी समाज की स्थापना का जिक्र न हो, जब कि आभास स्पष्ट मिलता हो कि कांग्रेस सरकार समाजवादी समाज कायम करने में नाकामयाब रही। आभास होता है कि हम अपने उद्देश्य से बहुत दूर चले जा रहें हैं और अपनी नीति से हटते चले जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उसमें कहां तक सफलता किसी को होगी, लेकिन इस बात को बजट में देखा जा सकता है कि म कितना समाजवाद की ओर जा रहें हैं। मेरा तो विचार है कि हम समाजवाद से दूर होते जा रहें हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं जब भी इस प्रदेश की बात सोचता हूं तो एक बात सोचा करता हूं कि हमारा प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है। अगर देश के हिसाब से देखा जाय तो विश्व में हमारा ९वां नम्बर है। तो क्या हम इस प्रदेश की जनता को हमेशा के लिये गरीब रहने दें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमने बड़ी तरक्की की है और कहा कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। लेकिन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फी व्यक्ति हमारी आय केवल ७ रुपये बढ़ी है। अगर इसी को हम खुशहाली कह सकते हैं तो हम जरूर इससे संतोष कर सकते हैं और खुश हो लें कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मैं समझता हूं यह कोई संतोष की बात नहीं है। पहले के तीन वर्षों में आमदनी घटती रहीं है। एक वर्ष में हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है जिसके कारण उस वर्ष यह आय बढ़ गयी। उस वर्ष मौसम हमारे माफिक था। तो इससे सरकार को खुश होना नहीं चाहिये।

मैं श्रीमन्, अमेरिकन राइटर की एक किताब पढ़ रहा था जिसमें टैगोर को एक जगह कोट किया गया था। उसमें कहा गया था कि हम ऐसा भारतवर्ष बनाना चाहते हैं जिसके दिमाग में भय न हो, और हम सर ऊंचा करके चल सकें। मैं अपनी सरकार से ही पूछता हूं कि क्या इस पैमाने पर हम पूरे उतरेंगें।

आटोनामस बाडीज के अन्दर, विद्यार्थी जहां अपने को यह समझते हैं कि हमको पकड़ने वाला कोई नहीं है, वहां उनको पीटा जाता है। आज क्या गांव का रहने वाला अपने को सुरक्षित समझता है? आज भी कोई भी अपनी जिन्दगी को सेफ नहीं समझता। आज

[श्री जगवीरसिंह]

चोरी और डकैती के कितने केसेज हो रहे हैं। ज्यादातर केसेज में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। मेरे क्षेत्र में एक २० वर्षीय नौजवान का कत्ल हो गया। कुछ लड़कों ने उसे मार दिया। मैं अधिकारियों के पास गया और मैंने यह कहा कि इस केस में यह मालूम करने की कोशिश की जाय कि कत्ल किसने किया, यह नहीं होना चाहिये कि हर केस की तरह इसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाय। मगर कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज कोई भी अपने को महफूज नहीं समझता। जिस प्रदेश और देश में खाने भर को अनाज भी न मिल सकता हो, उसके लिये हम दूसरे मुल्कों पर निभर करें, मेरा विश्वास है, वह देश तरक्की नहीं कर सकता।

मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने कृषि मंत्री जी को, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, इससे बड़ा बल मिलेगा। बीज बंटवाया गया है। यह भी कहा गया कि हम पैदावार बढ़ा देंगे। उन्होंने पैदावार बढ़ाई आलू की। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आलू की पदावार बढ़ाई। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि आलू की पैदावार बढ़ने से उस गांव के रहने वाले किसान की गरीबी घटी है या बढ़ी है ? मैं उनमें से हूं जो आलू कि खेती करते हैं और इस दफे मंत्री जी के आवाहन पर मैंने आलू की ज्यादा खेती की। पिछले वर्ष फरवरी के पिछले हफ्ते में आलू की कीमत ४८ रु० थी और इस वर्ष १५ रुपया प्रति क्विंटल है। मंत्री जी ने कोई तरीका निकाला कि जिस किसान ने इतना तेज बीज लाकर डाला हो, क्या वह पैदा करें और उसके लिये क्या इन्सेन्टिव है। क्या अगले वर्ष वह दोबारा आलू पैदा करेगा। मेरे अपने विचार से मंत्री जी को विचार करना चाहिये। मंत्री जी बहुत ज्यादा कहते रहे हैं स्टेट ट्रेडिंग की बात। मंत्री जी अब क्यों वैसा कदम नहीं उठाते कि हम मिनिमम एकानामिक प्राईस दग। क्यों नहीं कहते कि हम आलू का स्टेट ट्रेडिंग करेंगे ? मुझे इन बातों से सन्देह होता है कि हम किसानों से काम कराना चाहते हैं परन्तु उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं।

अधिष्ठात्री महोदया, जहां तक पैदावार की बात है यह सही है कि हमारे प्रदेश में इस मर्तबा इस किस्म का अकाल पड़ा बारिश न होने के कारण, मैं उस दिक्कत को मानता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को सन्तोष है कि जो महकमे पैदावार बढ़ाने में सहायक हुआ करते हैं क्या वे सहायक हुये हैं ? आज इर्रीगेशन का सवाल है। मैं नहर वाले क्षेत्र से आता हूं। जहां पर हम इर्रीगेशन करते हैं नहर और बम्बे से, वहां पांच पांच हफ्ते तक नहर का न आना और छठे हफ्ते नहर के आने से क्या हम आशा कर सकते हैं कि हम पैदावार बढ़ा सकते हैं ? क्या कोआर्डिनेशन है आपके एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन के महकमों में ? लेकिन मंत्री जी किस कारण से इसे नहीं कह पाते ? उसका कारण यह है कि और प्रदेशों में भी ऐसी चीज नहीं है। मैं इस बात का हामी रहा हूं कि अगर हमें पैदावर बढ़ानी है तो हमें कोआर्डीनेशन करना होगा और प्रदेशों ने नहीं किया, इसलिये हम नहीं करना चाहते तो यह तर्क मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे हंसी आती है पैदावार बढ़ाने के लिये जब कुछ मंत्री गण कहा करते हैं कि पढ़े-लिखे नौजवान गांवों में जायं और किसान को खेती सिखायें। मैं बहुत ही सफाई से कहना चाहता हूं कि अगर किसानों की गरीबी मिटानी है तो सभी बच्चों को उसी जमीन पर भेजें। मेरा अपना विश्वास है कि अगर किसान की गरीबी मिटानी है तो किसान को और नये नये रास्ते तलाश करने होंगे। उसको अपने बच्चे जमीन से बाहर भेजने होंगे। अगर इन नौजवानों से कहें कि जाइये और वहां पढ़ाइए तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं अपने मित्रों से कि आज किसान कहीं ज्यादा प्रेक्टीकल काश्त जानता है इन पढ़े लिखे ग्रेजुयेट नौजवानों से। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा अधिष्ठात्री महोदया, मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से विशेषकर कि क्या आज उनको सन्तोष है इस बात से कि ठीक किस्म का बीज ठीक समय पर किसान के पास पहुंच गया ? क्या उन्हें सन्तोष है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट ठीक समय पर उन्हें पानी पहुंचाता रहा है और क्या उन्हें सन्तोष है इसी तरह की बहुत सी बातों से ? मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अगर चाहते हैं पैदावार बढ़ाना तो उस किसान को इन्सेन्टिव दें। मिनिमम इकानामिक फेयर

प्राइस की बात करें। अगर किसान को विश्वास हो जायगा कि पैदावार चाहे जितनी हो उसे ठीक कीमत जरूर मिल जायगी, और उसे कुछ न कुछ नफा होगा, तो वह पैदावार जरूर बढ़ावेगा वह दिन दूर नहीं, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आत्म निर्भर हो जावेंगे और बाहर से गल्ला नहीं मंगाना होगा।

एक बात लखीसिंह जी ने उठाई और कृष्णानन्दराय जी ने भी कहा। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था लेकिन मैं पश्चिमी जिले से आने के नाते एक या दो बात अवश्य कहूंगा। यह सही है कि पश्चिमी जिलों के साथ सौतेला व्यवहार रहा है। कहा गया कि हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खोल दी जायगी, कहां है वह? आज एक मुकदमा लड़ने के लिये हमारे किसान को १०० रुपये इलाहाबाद आने–जाने में खर्च करना पड़ते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पश्चिम में एक भी जिला ऐसा है जिसे हम एजूकेशन का कम्पलीट यूनिट कह सकें? आज हमारे यहां एक इंजीनीयरिंग कालेज का ऐलान होना चाहिये था। लेकिन इस सरकार का जब से मैं इस सदन का सदस्य हूं तब से देख रहा हूं कि सौतेला व्यवहार है। कृष्णानन्दरायजी ने कुछ आंकड़े दिये और जोश में कह दिया कि अगर २ पंचवर्षीय योजनायें केवल पूरब में ही चलाई जावें तब हम पश्चिम के बराबर आ सकेंगे। क्या यह ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि उनका किसान उतनी मेहनत करता है जितनी पश्चिम के जिले का करता है? उन्हें अपना आत्म–निरीक्षण करना होगा।

जहां तक यह है कि सरकार बड़ी खराब चल रही है, ब्यूरोक्रेसी का राज्य है, करप्शन बहुत है, तो मैं सोचा करता हूं कि इस स्टेट का बहुत बड़ा होना भी इसका एक कारण है। अगर इसके दो हिस्से कर दिये जावें, पश्चिम का अलग और पूरब का अलग, तो इससे दोनों का भला होगा। हमारी सरकार को सोचना होगा कि पश्चिम के किसान को हर तरह की सहूलियत दें।

जिस समय लगान सवाया किया गया था, हमारी मुख्य मंत्री महामहिम के एड्रेस पर बहस के समय साफ साफ कह चुकी हैं कि वह केवल एमर्जेंसी के लिये था। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एमर्जेंसी जब नहीं थी तो मैंने वापिस ले लिया। इससे मुझे कनफ्यूसियस की वह बात याद आती है कि किसी के पूछने पर उसने बताया कि सरकार चलाने के लिये ३ बातों की जरूरत होती है, एक फौज, दूसरी गल्ला और तीसरी जनताका विश्वास कि सरकार हमारी है और हमारे लिये चल रही है जब उनसे कहा गया कि इसमें से १ कम करें, तो उन्होंने कहा कि फौज कम की जा सकती है। और जब कहा गया कि १ और कम कर दें तो उत्तर दिया कि बगैर खाने के भी सरकार चल सकती है लेकिन बगैर जनता के विश्वास के नहीं चल सकती। आज ताशकंद के समझौते के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय भी वही एमर्जेंसी है जो उस समय थी। अगर वह लगान बढ़ाना ही चाहती है तो साफ साफ कह दें कि हम बढ़ायेंगे। लेकिन जो वचन उन्होंने दिया है उससे निभाना उनका कर्तव्य है और वह सवाया लगान वापिस लेना उनका कर्म और धर्म है।

श्री अधिष्ठात्री—

अब यह विषय अगले दिन होगा।

प्रदेशीय राजकीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रश्न सदन के सामने है, वह यह है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सरकार ने उस संबंध में जो स्वीकृति दी है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। सरकारी कर्मचारियों को उसका कुछ भी लाभ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बोश्वरप्रसाद]

नहीं मिल पाया है। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह भ्रान्ति मिटा देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन समयानुसार मुकर्रर किया गया है। ऐसा नहीं है। यह कमेटी पे कमेटी नहीं थी। इस कमेटी ने केवल ३ काम ही किये थे। समान काम करने वालों के वेतन स्तरों को एक समान कर दिया गया दूसरी बात इस कमेटी ने सारा विचार विमर्श जो भी कुछ किया वह एक परिवार को डाई यूनिट समझ कर किया। कोई भी छोटी से छोटी फेमिली डाई यूनिट की नहीं हो सकती क्योंकि अगर एक बच्चा भी हुआ तो तीन यूनिट्स हो गये। इसके अलावा इस समिति ने यह सिद्धान्त स्वीकार किया था कि ज्यों ज्यों महंगाई बढ़ेगी, उस के साथ-साथ कर्मचारियों की मंहगाई भी बढ़ा दी जायगी। कदाचित इसी सिद्धान्त को लेकर वेतन अभिनवीकरण समिति ने इस बात को स्वीकार किया था कि समान काम होते हुये भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान हमारे यहां वेतन नहीं हो सकते लेकिन उनके स्तर पर महंगाई हम देंगे।

तो तीन मुख्य बातें हैं। पहली यह कि जो कुछ इस समिति ने दिया है, उसकी सरकार की तरफ से आज तक घोषणा नहीं हुई। दूसरा यह जो कुछ इस समिति के द्वारा प्राप्त हुआ है वह वेतन में नहीं मंहगाई में प्राप्त हुआ है क्योंकि वेतन क्रमों के लिये तो यह समिति बैठाई ही नहीं गयी थी। अगर समान काम करने वालों के वेतनों में अगर कोई असमानता थी उस को ही इस समिति ने दूर किया है। इसलिये यह किसी मानी में भी पे कमेटी नहीं हो सकती। मुख्य मंत्री जी ने एक नयी बात यह कह दी कि दूकान इत्यादि से कर्मचारियों को राहत दी जा रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे मेरे साथ दूकान पर चलें और स्वंय देख लें कि वहां मिलने वाली वस्तुओं के भाव बाजार भाव से महंगे हैं। वे वहां चलकर सिद्ध कर दें कि कोई भी चीज बाजार भाव से यहां सस्ती मिलती है। तो जिन बातों की सरकार राहत देने की कहती है वैसी राहत सरकार ने नहीं दी है, वह घोषणा थोथी है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब इसका उत्तर दें तो इन बातों को साफ कर दें। सरकार ने विधान सभा के सामने जिन बातों की घोषणा की थी, उनसे सरकार मुकर रही है। कोई भी चीज कर्मचारियों को सस्ती नहीं दे रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को सदन के सामने रखता हूं।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय सदस्य ने जो हमारे पास प्रश्न भेजा था मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि "सरकार ने वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन दिया था, उसकी तारीख भी तय की लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। मंहगाई बढ़ रही है परन्तु वैसा वेतन नहीं मिल पाने से कर्मचारिवर्ग बड़े कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य द्वारा जो इस समय बातें कही हैं, वह दूसरी कही गयी है जिनका संबंध उस विषय से नहीं था।

श्री टम्बोश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैंने जिन तीन बातों के बारे मे जिक्र किया, वे बिलकुल साफ हैं। पहली बात तो यह कि सरकार ने वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन दिया था। उस तक ही हम इसको सीमित करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि महंगाई निरन्तर बढ़ रही है और इससे सरकार ने कभी इन्कार भी नहीं किया और कदाचित उसी मंहगाई के बढ़ने के स्वरूप में वह मांगे प्रस्तुत हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें मंत्री जी ने क्या असंगति देखी ?

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, वतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट २६-७-६५ को सरकार को प्राप्त हुई। सरकारने २९ जुलाई को इन सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार करते हुये आदेश प्रसारित कर दिया और उन आदेशों में यह भी कहा गया कि भिन्न-भिन्न सिफारिशों के संबंध में

विस्तृत आदेश अलग-अलग जारी किये जायेंगे। इस संबंध में वेतनों के संबंध में कुछ असंगतियां भी प्रकाश में आईं और फंडामेन्टल रूल ९(२५) के अनुसार जो विशेष वेतन मिल रहा था, समिति की सिफारिश के अनुसार उसे बन्द कर दिया गया था। इसलिये इन बातों पर निर्णय करने के लिये एक समिति गठित की गई। समिति ने १ सितम्बर, ६५ को अपनी रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट केबिनेट के सामने पेश हुई। उसने उस पर विचार किया और एक अपनी सब कमेटी उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये बना दी। उस सब कमेटी ने उस पर विचार किया और ४ फरवरी को सब कमेटी की रिपोर्ट केबिनेट के सामने आई। केबिनेट ने उस पर विचार किया और उस के मेजर भाग पर निर्णय भी ले लिया। उसकी कुछ बातों के बारे में अभी फैसला करना शेष रह गया है, उन के बारे में भी जल्द ही फैसला हो जायगा और उन सिफारिशों को लागू करने के लिये जल्द ही आदेश जारी हो जायेंगे। इस बात का प्रयास किया जायगा कि जो बकाया वेतन है वह इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर मिल जाय। हां, यह हो सकता है कि जो गजेटेड अफसर हैं उनका वेतन शायद न मिल सके क्योंकि उनके पेन्डिंग ए० जी० से आने में देरी हो सकती है और मुमकिन है कि यह संभव न हो कि उनका वेतन ३१ मार्च तक दिया जा सके। परन्तु जो नान गजेटेड कर्मचारी हैं उनके बारे में हमें पूरा भरोसा है कि इसी वित्तीय वर्ष में सब पैसा मिल जायगा, रुपया नगद मिल जायगा। इस बात को हम मानते हैं कि इस तरह से जो विलम्ब हुआ उसमें कर्मचारियों को कुछ असुविधा अवश्य हुई होगी लेकिन चूंकि यह दिक्कतें सामने थीं और विशेष वेतन आदि के प्रश्न समिति के सामने थे इसलिये निर्णयों के लेने में समय लगा। इस बात की बराबर कोशिश की गई कि जहां तक हो सके जल्द फैसला हो। यह देर हुई फिर भी अब जल्द आदेश जारी होकर नकद पैसा कर्मचारियों को मिल जायगा और यह सिफारिशें उसी तारीख से लागू होंगी जिस तारीख से उन्हें लागू होना था। इसलिये इस में हानि का अब कोई प्रश्न नहीं उठता है। जो असुविधा हुई है आशा है हमारे कर्मचारी उसे सहन करेंगे और जो पैसा मिलेगा उसका वह ठीक उपयोग कर सकेंगे, उनको अधिकार है वह जैसे चाहें उसका उपयोग करें।

अब जहां तक इन सिफारिशों द्वारा कुछ सुविधायें देने का सवाल था, उसके लिये आदेश जारी हो गया है। जैसे नगर प्रतिकर भत्ता, ऊंचे स्थान पर रहने का भत्ता, दैनिक भत्ता, या यात्री संबंधी भत्ता, इन सिफारिशों के संबंध में आदेश जारी हो गया है। जहां तक अभिनवीकृत वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का प्रश्न है, उसके लिये आदेश तैयार है, जैसे ही यह निर्णय हो जायगा वह आदेश भी जारी हो जायगा। बाकी छुट्टी, किराया मकान, और दूसरी जो शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधायें हैं उनके बारे में भी आदेश करीब करीब तैयार है, जैसे ही कोई निर्णय होता है इन सभी सुविधाओं के बारे में भी आदेश जारी हो जायेंगे और उनको रुपये दिये जा सकेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से जो रुपये हम खर्च करते हैं इन वेतनों पर, वे इस साल बचे रह जायं। हम चाहते हैं कि वे पूरे के पूरे खर्च हो जायं। ऐसी जब स्थिति है तो हम नहीं समझते कि कोई असन्तोष का कारण अब हो सकता है। थोड़ी सी असुविधा हुई उसको सहन कर चुके हैं, अब उसके आगे कोई असन्तोष का कारण नहीं होगा और न शिकायत की गुंजायश होगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये जैसा मैंने कहा माननीय मंत्री जी ने कोई हिसाब लगाया है कि राज्य कर्मचारियों की मांगों के हिसाब से उनको महंगाई भत्ता दिया जाय तो कितना व्यय भार सरकार को वहन करना पड़ेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

साल भर में खर्चा करीब १५ करोड़ रुपया आता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश प्रसारित हो चुके हैं वे किन तिथियों को हुये हैं और क्या उनकी प्रतिलिपि सदन के सदस्यों को भी दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

राजाज्ञा तो वैसे ही नहीं जाती, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

किस तारीख को राजाज्ञा जारी हुई है ?

श्री जयराम वर्मा—

तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन काफी पहले यह आदेश जारी हो गया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस भीषण महंगाई में सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिये संघर्ष करें तो सरकार इसके अलावा किन किन उपायों पर विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

इस वक्त तो यही बातें सामने थीं । अब कुछ सिफारिशें समिति की और हैं जैसे कि उसने इस बात की सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार जब जब अपने कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि करे तो राज्य सरकार को भी वैसा ही करना चाहिये । इस संबंध में सरकार यह सोचती है कि जब ऐसा मौका होगा तो हम भी अपने साधन के अनुसार उस पर विचार करेंगे । अब एक बात ऐसी होती है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट जुलाई में गवर्नमेंट के पास आयी, इसको मान करके कि जून तक जो महंगाई हो गयी थी उसको अपने सामने रखते हुए वेतन अभिनवीकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है । उसके बाद केवल ७ महीने और होते हैं । अब फिर ७ महीने के अन्दर यह निर्णय कर लेना और सोच लेना कि कीमतों में बहुत फर्क पड़ गया है, मुनासिब नहीं होगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के किस पेज पर यह लिखा हुआ है कि जून, १९६५ तक की महंगाई को ध्यान में रखते हुए उसने ये वेतन क्रम तय किये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है । समिति को यह फैसला करना था कि क्या वेतन हो और उसके साथ क्या महंगाई भत्ता हो ? कमेटी के सामने यह सब बातें थीं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस वक्त चीजों की कीमतें क्या थीं । ये ही सब चीजें थीं जिन पर ध्यान करके समिति ने अपना निर्णय किया है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कमेटी ने जो अपनी सिफारिश की है वे उसने १९६१ के मूल्यों को आधार मानकर की हैं । क्या यह सच है ?

श्री जयराम वर्मा—

वेतन, जो नीयत हुये हैं, के अतिरिक्त जो महंगाई भत्ता दिया है, उसके बाद जो कीमतों में वृद्धि हुयी है, उनको सामने रखकर यह सोचा गया है कि कुछ महंगाई भत्ता भी दिया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के संबंध में जो एक वाद विवाद खड़ा हो गया है, तो क्या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और प्रांत के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अलग है और इसके संबंध में क्या कभी माननीया मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री ने केंद्रीय सरकार को इस बात की सिफारिश की है कि जब किसी स्टेट के कर्मचारियों के महंगाई भते का विचार किया जाय या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भते पर विचार किया जाय तो समन्वय लाने के लिये कोई चेष्टा की जाय जिससे कर्मचारियों में, उनकी पे में, उनके डियरनेस एलाउन्स में समानता आ सके। क्या इस बात पर कोई लिखा पढ़ी हुयी है?

श्री जयराम वर्मा—

इस तरह की बातें हुयी हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव राज्य के कर्मचारियों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिये कोई ऐसी चीज निकालनी चाहिये जिससे कुछ यूनीफार्मिटी दोनों प्रकार के कर्मचारियों में हो। इस बात को वहां के केंद्रीय वित्त मंत्री नें भी माना है कि जो तरीका दामों के बढ़ने के कारण हल के लिये किया गया है उससे हल नहीं होने वाला है क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने पर कीमतों में वृद्धि हो जाती है और जब ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता न्युट्रलाइज हो जाता है। फिर मांग होती है, एक बिशस सर्किल हो जाता है। इसलिये कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिये जिससे अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे अधिकारियों और कर्मचारियों को तकलीफ न हो। भारत के वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वे इस बात पर विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि उनका कमिटमेंट है और वे कमिटमेंट के अनुसार ही ऐसा कर रहे हैं। उसमें जो सिद्धांत है वह यह है कि १२ महीने में औसतन १० प्वाइन्ट से अधिक वृद्धि होने पर महंगाई दी जाती है। १२ महीने का औसत देखा जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है। यहां पर तो अभी ७ महीने ही हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी उस आदेश की ओर ध्यान देंगे जिसमें उन्होंने अर्थात् केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रदेशीय सरकारों को महंगाई में वृद्धि केंद्रीय सरकार के अनुसार करनी चाहिये। यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार की क्या राय है?

श्री जयराम वर्मा—

केंद्रीय सरकार ने यह नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है कि इसके लिये रुपया राज्य सरकार को नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार अगर अपने साधनों पर महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं तो बढ़ा सकती हैं, वह उस मामले में कोई मदद नहीं करेंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार की समाजवादी नीति क्या यह नहीं मानती कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में समता लायी जाय और इसमें मतभेद न हो? तो समता न लाने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने अभी निवेदन किया कि यह तो इम्प्लायर के अपने फंड्स के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना दे। माननीय सदस्य अपने नौकर को कोई भी वेतन दे सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसे वाला ज्यादा वेतन दे सकता है। उसमें हर आदमी को सोचना पड़ता है कि उसके पास पैसा कितना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जैसा मंत्री जी ने कहा कि २६ जुलाई को पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आयी उसमें एक निश्चित तिथि दी हुई है जिस तिथि के बाद उसको लागू करेंगे। तो क्या आप यह समझते हैं कि ३१ मार्च तक कर्मचारियों को जो पावना मिलना है वह दे सकेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

हमारा प्रयास है कि सब बकाया वेतन दे दें। हमारी तरफ से उस में देरी नहीं की जायगी, फंड्स हमारे पास हैं हम देना चाहते हैं। लेकिन रिपोर्ट में एक बात यह भी है कि कर्मचारियों को आप्शन का अधिकार है। आदेश निकल जाने के बाद अगर कर्मचारियों ने वक्त से आप्शन नहीं लिये तो हमारी दिक्कत हो जायगी। अगर उन्होंने देरी की तो हो सकता है कि रुपया न मिल सके उनको ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आप ने कहा आप्शन के बारे में क्या आप के पास इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें कर्मचारियों ने इस बात की मांग की है कि हमको आप्शन दिया जाय हम लें या न लें, ३१ मार्च के पहले जब कोई चीज नहीं तो सरकार को निश्चित आश्वासन देने में क्या कठिनाई पड़ रही है कि ३१ मार्च तक दे दिया जाय उस को ?

श्री जयराम वर्मा—

माननीय सदस्य समझ नहीं पाये। हमारे पास इसके लिये रुपया है, हम उसे देना चाहते हैं लेकिन उसके रास्ते में दो दिक्कतें हो सकती हैं। जहां तक गजटेड अफसरों का सवाल है उनके बारे में ए०जी० से आदेश निकल जाने के बाद पे स्लिप आयेगी। अगर पे स्लिप ३१ मार्च के अन्दर नहीं आती है तो वेतन उनको नहीं मिल सकता है, इस में हमारा कसूर नहीं होगा। जो नान-गजटेड कर्मचारी हैं वह अगर नये वेतन को आप्ट कर लेंगे तो उन को रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप्शन का निर्णय जल्दी नहीं किया तो फिर हम देना भी चाहते हुए कैसे दे सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है क्या आप ने कभी सोचा है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक परमानेंट पे कमीशन प्रदेश में कायम करें जो हर साल तनख्वाहों को महंगाई देखते हुए रिवाइज करता रहे ?

श्री जयराम वर्मा—

इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि हर साल रिवाइज करने के लिए कोई पे कमीशन मुकर्रर किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी के ध्यान में यह भी है कि उनकी ओर से जो भूमि भवन कर लगाया गया है उससे कर्मचारियों का मकान किराया बढ़ गया है। क्या इस वृद्धि में वह भी शामिल हैं ? अगर शामिल नहीं है तो शामिल करने की योजना आपके विचाराधीन है ?

श्री जयराम वर्मा—

हां, भूमि भवन कर का भार कर्मचारियों पर जरूर पड़ा है और उन को उसे स्वयं वहन करना पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस मद में दे रहे हैं कि नहीं ?

प्रदेशीय राजकीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि तथा अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न २८५ पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री जयराम वर्मा—

इस मद में कोई अलग से रकम नहीं दी जा रही है।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

यह सरकार जब तक रहेगी महंगाई दूर नहीं हो सकती है। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री महोदय वेतन और भत्ता जो बढ़ा रहे हैं इससे उन की तकलीफ और परेशानी दूर नहीं हो सकती है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अतः इस बात को देखते हुए क्या सरकार कर्मचारियों के लिये जरूरत की चीजें जो उन को है उनके बारे में कोई विचार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

हां वही तरीका ठीक समझते हैं, जो महंगाई होती है उसके हल करने का, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री टेम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो मकान भत्ता तथा सिटी एलाउन्स नये भत्ते के रूप में सरकार ने दिया है वह बिलकुल अपर्याप्त है तो यदि सरकार निम्न स्तर पर मकान दिलाने में असमर्थ है तो जिस स्तर पर कर्मचारी मकान किराया देगा उसका भार सरकार वहन करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

इस संबंध में जो कहा गया है वही है और इसके अलावा और कोई चीज विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वित्त मंत्री जी सरकार की ओर से स्पष्ट राय जाहिर करेंगे कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है और लाखों की तादाद में सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो उसे मीट करने के लिये सरकार खाद्यानों के तथा कारखानों के बने हुए सामानों के भावों में सामंजस्य स्थापित करने जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

महंगाई न बढ़े इसके लिये जरूरत है कि देश में पैदावार ज्यादा हो। लेकिन महंगाई बढ़ने से जो कठिनाई होती है उसका प्रभाव हमारे, कर्मचारियों पर न हो, उसके लिये उपाय सोचा जा रहा है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

जिस समय वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट आई थी उस समय आश्वासन दिया गया था कि हिन्दी में कापी कराकर सदन में वितरित की जायगी और उसपर चर्चा कराई जायगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चर्चा होने के बाद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता या वेतन कर्मचारियों को बांटा जायगा या उसके पहले ?

श्री जयराम वर्मा—

रिपोर्ट तैयार हो रही है और वह रिपोर्ट जल्दी दी जा सकेगी लेकिन माननीय सदस्य अगर यह मांग करेंगे कि बहस के बाद रुपया दिया जायगा तो कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हो जायगी। इसलिये सरकार इससे सहमत नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कर्मचारियों को इस महंगाई से बड़ी तकलीफ हो रही है और सरकार को जब पैसा देना पड़ता है तो उसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करेगी कि सरकारी कर्मचारियों को उनके भोजन, कपड़ा तथा मकान और उनके बच्चों के लिये शिक्षा एवं दवा दारू की व्यवस्था हो जाय जिससे उनकी आय में भले ही वृद्धि न हो लेकिन उनको महंगाई से संघर्ष करने में कठिनाई भी न हो ?

श्री जयराम वर्मा—

यह बात विचाराधीन है कि महंगाई को मीट करने के लिये कोई दूसरी तरकीब निकाली जाय। केंद्र से बातचीत हुई है और वह भी इस पर सोच रहे हैं। इस संबंध में कुछ दूकानें भी खोली गयी हैं जिनको फेयर प्राइस शाप्स कहते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस बात को देखते हुए कि कर्मचारिवर्ग बहुत दूर तक उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और उनके आप्ट करने पर भी देरी हो जाय तो क्या सरकार की नीयत इसे अव्यावहारिक बना देने की नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—

हम उसे अव्यावहारिक नहीं बना रहे हैं लेकिन जब आप्शन का अधिकार हमने दिया है ई अधिकारी यह समझता है कि पुराना वेतन ज्यादा अच्छा है तो हम उसे रोक नहीं सकते।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा सीधा सवाल यह है कि आप इतनी देर कर रहे हैं कि समस्त सरकारी कर्मचारी हां भी कर दें तो भी इतनी देर लग जायगी जिससे इसे आप अव्यावहारिक बनाये दे रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप यह अव्यावहारिक तो नहीं बनाये दे रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, इसमें कोई देरी न हो इसी लिये आदेश अलग-अलग समुचित विभागों के द्वारा जारी किये जायंगे और सब सामान तैयार है कि देरी न हो पाये।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर सोमवार, २१ फरवरी, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

पटेल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर गाजीपुर जिले में स्थापित उद्योगों की सूची

उद्योग का नाम	स्थापित इकाइयों की संख्या
१—फल संरक्षण	१
२—जूते एवं चप्पल बनाना	८
३—प्लास्टिक के खिलौने	१
४—हैंडलूम कपड़ा बनाना	७ सहकारी समितियां
५—हड्डी की खाद	१
६—साबुन	३
७—लोह ढलाई	१
८—कोल्ड स्टोरेज	५
९—कृषि यन्त्र	३
१०—खंडसारी	१
११—साइकिल के पुर्जे	३

सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल खोलने के लिये कोई आयोजन नहीं है।

पटेल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आजमगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों की सूची

उद्योग का नाम	स्थापित इकाइयों की संख्या
१—खंडसारी	४
२—कोल्ड स्टोरेज	१
३—टाटपट्टी और सुतली	२
४—कृषि यंत्र	१३
५—आइरन फाउन्ड्री	७
६—बर्फ बनाना	१
७—दरी एवं निवाड़	१
८—साबुन	४
९—साइकिल के पुर्जे	२
१०—जूते	१०

सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल खोलने के लिये कोई आयोजन नहीं है।

पटेल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देवरिया जिले में स्थापित उद्योगों की सूची

उद्योगों के नाम	स्थापित इकाइयों की संख्या
१—कृषि यन्त्र	४
२—अलमूनियम के बर्तन	१
३—गृह निर्माण लौह सामग्री	१
४—चीनी मिलों के पुर्जे आदि निर्माण हेतु सहायक उद्योग ..	३
५—हस्त निर्मित कपड़ा	१३
६—बेंत उद्योग	१
७—जूट की रस्सी	१
८—ब्रुश बनाना	१
९—चर्म शोधन	२
१०—जूते	११

सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल खोलने के लिये कोई आयोजन नहीं है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर)

मई तथा जून, १९६५ में मंत्रियों द्वारा नैनीताल तथा अन्य पहाड़ी स्थानों की की गई यात्राओं के सिलसिले में विधान सभा के वर्तमान सत्र के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या २५ में मांगी गई व्यय की सूचना की तालिका

क्रम-संख्या	पद				व्यय]
१	मुख्य मंत्री	..	..	..	७४०.९८
२	सिंचाई मंत्री	..	..	..	४६०.२०
३	वन मंत्री	..	..	..	६३४.८८
४	न्याय मंत्री	..	..	..	१,५८६.०५
५	विकास मंत्री	..	..	..	१,१५३.०४
६	स्वायत्त शासन मंत्री	..	..	..	१,४८८.४१
७	खाद्य मंत्री	..	..	..	३९३.३०
८	समाज कल्याण मंत्री	..	..	..	४६२.२४
९	श्रम मंत्री	..	..	..	६०९.८२
१०	शिक्षा मंत्री	..	..	..	६४२.९७
११	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	..	..	..	१,१०६.५१
१२	कृषि मंत्री	..	..	..	५३१.५६
			कुल योग	..	९,८०९.९७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर)

पुस्तकालय

क्रम-संख्या	गांव का नाम जहां पुस्तकालय चल रहे हैं	१९६२–६३		१९६३–६४		१९६४–६५	
		अनुदान	पुस्तक तथा फर्नीचर हेतु	अनुदान	पुस्तक तथा फर्नीचर हेतु	अनुदान	पुस्तक तथा फर्नीचर हेतु
१	२	३	४	५	६	७	८
१	हरिजन पुस्तकालय कुन्डौली ..	५०४–००	—	५०४–००	—	५०४–००	५०–००
२	बसन्तपुर धुसी ..	५२८–००	—	५२८–००	—	५२८–००	५०–००
३	जिगना ..	५५२–००	—	५५२–००	—	५५२–००	५०–००
४	राजभरखास बेनिया बाजार ..	५०४–००	—	५०४–००	—	५०४–००	५०–००
५	गहलपार ..	५५२–००	—	५५२–००	—	५५२–००	५०–००
६	करावल उपा० ..	३७२–००	—	३७२–००	—	३७२–००	५०–००
७	तोलिया कलां ..	५२८–००	—	५२८–००	—	५२८–००	५०–००
८	पकड़ी वीरभद्र ..	४०८–००	—	४०८–००	—	४०८–००	३५०–००
९	मठही बाबू ..	३६०–००	—	३६०–००	—	३६०–००	५०–००
१०	गोण्डौली ..	३७२–००	—	३७२–००	—	३७२–००	५०–००
११	अहिरौली राय ..	४४४–००	—	४४४–००	—	४४४–००	५०–००
१२	पथरवेवा ..	४२०–००	—	४२०–००	—	४२०–००	५०–००
१३	पकड़ी बाबू ..	४०८–००	—	४०८–००	—	४०८–००	..
१४	बेवगांव	३४८–००	—	३४८–००	—	३४८–००	५०–००

इसके अतिरिक्त स विभाग द्वारा निम्नलिखित गांवों में पुस्तकालय चलते हैं जिन्हें विभाग द्वारा अनावर्तीय सहायता दी जाती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

१	ह० पु० राम कला	..	३००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
२	,, भटवा टोला	..	२००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
३	,, कनखोरिया	..	३००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
४	,, कौसड़	..	३००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
५	,, चमुखा	..	३००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
६	,, खेमादेई	..	३००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
७	,, लपकनी	..	२००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
८	,, तमकुही	..	२००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
९	,, मझवलिया	..	२००–००	—	२००–००	—	२००–००	—
१०	,, सोनवरसा	..	२००–००	—	२००–००	—	२००–००	—

हरिजन प्राइमरी पाठशाला

								फर्नीचर हेतु अनावर्तीय सहायता
१	ह० प्रा० पा० मरौली बाजार	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
२	ह० प्र० पा० पकड़ी बाब	..	१२२४–००	—	१२२४–००	—	११५२–००	७५–००
३	बढ़या हर्दो	..	५१०–००	—	५१०–००	—	११०४–००	५०–००
४	छठियांव	..	६१८–००	—	६१८–००	—	६१८–००	५०–००
५	जटवलिया	..	६१८–००	—	६१८–००	—	६१८–००	५०–००
६	मिश्रोलिया	..	६७८–००	—	६७८–००	—	६७८–००	५०–००
७	बौमाठ	..	६०६–००	—	६०६–००	—	६०६–००	५०–००
८	मल्हनी	..	६०६–००	—	६०६–००	—	६०६–००	५०–००
९	मठिया आलम	..	१२००–००	—	१२००–००	—	१२००–००	७५–००
१०	अहिरौली कोटवा	..	६१८–००	—	६१८–००	—	६१८–००	५०–००
११	चकनी ..	..	१२००–००	—	१२००–००	—	१२००–००	७५–००

१	२		३	४	५	६	७	८
१२	इन्दरबा छावनी	..	१०६८–००	—	१०६८–००	—	१०४४–००	७५–००
१३	कोटपुर पिपरा	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
१४	बैरिया	..	१२००–००	—	१२००–००	—	१२००–००	७५–००
१५	परसौन	..	६०६–००	—	६०६–००	—	६०६–००	५०–००
१६	सपहा महतो	..	१२००–००	—	१२००–००	—	१२००–००	७५–००
१७	गाढ़ा	..	१३२०–००	—	११२४–००	—	१२३६–००	७५–००
१८	भगवानपुरहिरन्दापुर	..	१८०६–००	—	१८०६–००	—	१८०६–००	१००–००
१९	सोहनाग	..	१०८०–००	—	१०८०–००	—	१०८०–००	७५–००
२०	पुरुषोत्तमपुर	..	६०६–००	—	६०६–००	—	६०६–००	५०–००
२१	बसन्तपुर धुसी	..	३९२४–००	—	३९२४–००	—	३९२४–००	१००–००
२२	भटगवां	..	९९२–००	—	९९२–००	—	१०६८–००	५०–००
२३	डेमुसा	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
२४	राजपुरखास बनिया बाजार	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
२५	चकवइया	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
२६	रामपुरश्रपाल	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
२७	चौवयापटखोली	..	६१८–००	—	६१८–००	—	१२१२–००	५०–००
२८	चकिया	..	१२१२–००	—	१२१२–००	—	१२१२–००	७५–००
२९	पकड़ीभद्र	..	—	—	१२१२–००	—	२२०२–००	२००–००
३०	कन्या इंगरी बाजार	..	९९०–००	—	९९०–००	—	९९०–००	५०–००
३१	हरिरामपुर	..	८५८–००	—	८५८–००	—	८५८–००	५०–००
	इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पाठशालाएं चलती हैं जिन्हें इस विभाग द्वारा अनावर्तीय सहायता दी जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—							
१	ह० प्रा० पा० वीरभद्र	..	५००–००	—	—	—	—	—
२	,, तिवई	..	४००–००	—	४००–००	—	४००–००	—
३	,, औरंगाबाद	..	२००–००	—	४००–००	—	४००–००	—
४	,, मालीछापर	..	—	—	—	—	४००–००	—

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१९ पर)

सं० ६/१/४/६५/वि० वि० (लेखा-१)

प्रेषक

श्री एस० पी० वातल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा १) विभाग — दिनांक लखनऊ, ११ सितम्बर, १९६५

विषयः—राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये दान ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार को यह सूचना मिली है कि पाकिस्तान के आक्रमण से देश की रक्षा के निमित्त सहायता और समर्थन प्रदान करने की भावना से और रक्षा सेवाओं के कार्मिकों (personnel) और उनके परिवारों की भलाई तथा सहायता के लिये जनता स्वेच्छा से धन दे रही है । इस संबंध में कुछ पूछताछ की गयी है कि ऐसे धन को प्राप्त करने और जमा करने के बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया आदि क्या होनी चाहिये । जैसा कि आपको मालूम है एक कोष अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा कोष पहले से ही मौजूद है जो चीनी आक्रमण के समय खोला गया था । इसलिये अब भी ऐसे समस्त दान और चन्दों को प्राप्त करने के निमित्त इसी कोष का उपयोग किया जाना चाहिये । अतएव मुझे आपसे अनुरोध करना है कि रक्षा सेवाओं के कार्मिकों की भलाई के काम के लिये आप को जो भी चन्दे प्राप्त होवें, दाताओं को समुचित रसीद देने के बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया में उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लेखा-ए में जमा किये जायं । जिन जिलों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की कोई शाखा नहीं है, उनमें ऐसे चन्दों की धनराशि उतने ही मूल्य पर जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट के जरिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की सब से निकट की शाखा को भेज दी जानी चाहिये ।

२—मुझे यह भी अनुरोध करना है कि इस प्रकार एकत्र की गयी समस्त धनराशियों की सूचना निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रति सप्ताह भेजी जाय, जैसा कि पहले किया जाता था ।

भवदीय,
(ह०) एस० पी० वातल,
संयुक्त सचिव ।

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त प्रभागों के आयुक्तों तथा राष्ट्रीय बचत निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

भवदीय,
(ह०) एस० पी० वातल,
संयुक्त सचिव ।

आवश्यक नम्बर ३

संख्या ६/१/४/६५/वि० वि० (लेखा-१)

प्रेषक

सुन्दर प्रकाश वातल,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा-१) विभाग दिनांक लखनऊ, १५ सितम्बर, १९६५

महोदय,

सरकारी आदेश संख्या एफ ६/१/४/६५ दिनांक ११ सितम्बर, १९६५ तथा १४ सितम्बर, १९६५ के क्रम में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अनधिकृत रूप से धन न एकत्रित करने आदि के संबंध में जो सरकारी आदेश पृष्ठांकन संख्या ए१ /४४९१/१/दस १०/७५/६२, दिनांक २२ नवम्बर, १९६२ और अर्ध सरकारी पत्र संख्या ए १/४७६८/दस १०। ७५/६२ दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ में दिये हुये हैं उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध करने का आदेश है कि कोई भी धन सुरक्षा कोष के लिये किसी भी प्रकार का दबाव डालकर न वसूल किया जावे और कोई भी व्यक्ति व अधिकारी अनधिकृत रूप से धन न वसूल करे। केवल वही अधिकारी इस धन को एकत्रित करे जो गजटेड आफिसर हो तथा जिनको ऐसा करने का अधिकार आप द्वारा प्राप्त हो। यदि विभिन्न सरकारी विभागीय एजेंसियां या अन्य गैर सरकारी ऐजेंसियों द्वारा भी कोई धन एकत्रित किया जाता है, तो वह आपकी ओर से और आपकी जानकारी में हो। इस बात की भी सूचना जनता को दे दी जाय कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को धन न देकर केवल उन्हीं को धन दें जो सरकारी तौर से अधिकृत रसीदों से पैसा जमा कर रहे हों।

समस्त रसीदों का हिसाब पूर्ण रूप से रखा जाना चाहिये तथा इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई रसीद खोने न पाये।

सरकार यह भी उपयुक्त समझती है कि जो लोग इस प्रकार धन दें उनका विवरण स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रबन्ध भी किया जाय।

भवदीय,

(ह०) सुन्दर प्रकाश वातल,
संयुक्त सचिव ।

संख्या ६/१/४-६५ वि० वि० (लेखा-१)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

१—समस्त मण्डलों के आयुक्त।

२—राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ह०) सुन्दर प्रकाश वातल,
संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या ६/१/४/६५ वि० वि० (लेखा-१)

प्रेषक,

सुन्दर प्रकाश वातल,
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश, सरकार।

सेवा में

समस्त जिलाधीश,
उत्तर प्रदेश।

विषयः—राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वित्त (लेखा-१) विभाग।

दिनांक लखनऊ, सितम्बर १४, १९६५

महोदय,

सरकारी आदेश एफ ६/१/४/६५ वि० वि० लेखा-१, दिनांक सितम्बर ११, १९६५ के क्रम में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि कुछ जिलाधीशों ने यह स्पष्टीकरण चाहा है कि पाकिस्तान के आक्रमण के कारण जो दानस्वरूप धनराशियां रक्षा कार्य में लगे सैनिकों या उनके परिवारों की भलाई के लिये प्राप्त हो रही हैं उनकी पावती किस प्रकार से स्वीकार की जाय। इस सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान सरकारी पृष्ठांकन संख्या ए१/२७३६/२/दस-१०-७५—६२, दिनांक जुलाई १, १९६४ की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना है कि पुरानी रसीद बुकें आपके पास उपलब्ध होंगी। अतः जो भी धनराशि आपको इस हेतु मिले उसकी रसीद आप पुरानी उन रसीद बुकों में से दे सकते हैं जिसमें कि मुख्य मंत्री रक्षा कोष ("Chief Minister" Defence Purpose Fund) में प्राप्त धनराशि की रसीद दी जाती थी। ऐसी रसीद बुकें जिनमें रसीद के फार्म शेष हों उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। केवल इसका ब्योरा आगे नये सिरे से रखना आवश्यक होगा, यदि आप के पास इस समय ऐसी कोई भी रसीद बुक उपलब्ध न हो तो कुछ रसीद बुकें आप नई छपवा लें और इन नई छपी रसीद बुकों में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का शीर्षक देकर स्थानीय प्रेस से छपवा लिया जाय तथा उन पर जिला अधिकारी की मोहर लगा ली जाय। नई रसीद बुकों के प्रारूप की एक प्रति आपकी सुविधा के लिये संलग्न है। इनकी छपाई में जो खर्चा हो उसका विवरण राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा जाय जो इसमें हुए खर्च का भुगतान करेंगे।

भवदीय,

सुन्दर प्रकाश वातल,
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

(१) समस्त मंडलों के आयुक्त,
(२) राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

सुन्दर प्रकाश वातल,
संयुक्त सचिव।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

नं०

दिनांक——————

श्री/श्रीमती/कुमारी से उक्त निधि में दानस्वरूप

रु० (रुपया) सधन्यवाद प्राप्त हुआ ।

चेक संख्या दिनांक द्वारा

नकदी में

जिला——————

रसीद देने वाले के हस्ताक्षर

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर में उल्लिखित ६९ मंदिरों की सूची

१—श्री दाऊ जी का मन्दिर, होली गेट, मथुरा।
२—अन्नपूर्णा देवी, होली गेट, मथुरा।
३—श्री लक्ष्मीनारायण जी मन्दिर, छत्ता बाजार, मथुरा।
४—श्री कन्हैया लाल का मन्दिर, छत्ता बाजार, मथुरा।
५—श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज, छत्ता बाजार, मथुरा।
६—श्री विजय गोविन्द जी का मन्दिर, छत्ता बाजार, मथुरा।
७—श्री श्रीनाथ जी का मन्दिर, मानिक चौक, मथुरा।
८—श्री दाऊ जी का मन्दिर, दाऊ जी घाट, मथुरा।
९—श्री ठाकुर छोटे मदन मोहन जी, दाऊ जी घाट, मथुरा।
१०—श्री बाल किशन जी का मन्दिर, श्याम घाट, मथुरा।
११—श्री तिलोई बाली रानी का जगन्नाथ जी का मन्दिर, बंगाली घाट, मथुरा।
१२—श्री ध्रुव जी का मन्दिर, बंगाली घाट, मथुरा।
१३—श्री प्राचीन राम मन्दिर, जनरलगंज, मथुरा।
१४—श्री रानी बाला मन्दिर, स्वामी घाट, मथुरा।
१५—श्री गोपी नाथ जी का मन्दिर, स्वामी घाट, मथुरा।
१६—श्री गोवर्धन नाथ जी का मन्दिर, स्वामी घाट, मथुरा।
१७—श्री राम चन्द्र जी का मन्दिर, घिया मंडी, मथुरा।
१८—बिरला मन्दिर, मथुरा-वृन्दावन रोड, मथुरा।
१९—श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, वृन्दाबन, मथुरा।
२०—श्री बांके बिहारी जी का मन्दिर, वृन्दाबन।
२१—श्री हरदेव जी का मन्दिर, रंगजी का पूर्ति द्वारा, वृन्दाबन।
२२—श्री गोपीनाथ जी का मन्दिर, वृन्दावन।
२३—श्री जी कुंज का मन्दिर, वृन्दावन।
२४—श्री मदन मोहन जी का मन्दिर, वृन्दावन।
२५—श्री अष्ट सखी मन्दिर, वृन्दावन।
२६—आनन्दी बाई का मन्दिर, वृन्दावन।
२७—कलकत्ता वालों का मन्दिर, वृन्दावन।
२८—श्री हरदेव जी का मन्दिर, गोवर्धन।
२९—श्री मथुराधीश जी का मन्दिर, जतीपुरा।
३०—गोकुल नाथ जी का मन्दिर (श्रीनाथजी), गोवर्धन।
३१—श्री ठाकुर राधा रमण जी महाराज विराजमान (शाह जी मन्दिर), वृन्दावन।
३२—श्री ठाकुर गोवर्धन नाथ जी महाराज विराजमान गली भीक चन्द, मथुरा।

३३—श्री ठाकुर कृष्ण चन्द्रमांजी विराजमान, बृन्दावन ।
३४—श्री ठाकुर सीताराम जी महाराज विराजमान बाटीवाली कुंज, मथुरा ।
३५—श्री ठाकुर श्याम सुन्दर जी महाराज, सेवा कुन्ज, बृन्दाबन ।
३६—श्री ठाकुर रंगजी महाराज, बृन्दावन ।
३७—श्री ठाकुर बड़े मदन मोहन जी महाराज, श्याम घाट, मथुरा ।
३८—श्री ठाकुर किशोरी रमण जी, बृन्दाबन दरवाजा, गुड़ाई, मथुरा ।
३९—श्री ठाकुर द्वारिकाधीश जी महाराज, मथुरा ।
४०—श्री ठाकुर गोविन्द देव जी महाराज, स्वामीघाट, मथुरा ।
४१—श्री ठाकुर राधा गोविन्द जी महाराज, सैयद बाजार, बृन्दावन ।
४२—श्री ठाकुर श्री नाथ जी, शाहगंज दरवाजा, मथुरा ।
४३—श्री ठाकुर बाल किशन जी महाराज विराजमान मन्दिर गोकुल, तहसील सादाबाद
४४—श्री ठाकुर दाऊ जी महाराज विराजमान मन्दिर एदलपुर, तहसील सादाबाद ।
४५—श्री ठाकुर बल्देव जी महाराज विराजमान मन्दिर बल्देव, तहसील सादाबाद ।
४६—श्री ठाकुर मोहन जी महाराज, कामर ।
४७—श्री ठाकुर विष्णुधाम, कोटवन ।
४८—श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज, बठैन कलां ।
४९—श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, कालैन ।
५०—श्री ठाकुर लक्ष्मी जी महाराज, बठैन खुर्द ।
५१—श्री ठाकुर बृज भूषण जी महाराज, दहगांव ।
५२—श्री ठाकुर बृज भूषण जी महाराज, कोटवन ।
५३—श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज, कालैन ।
५४—श्री ठाकुर चतुर्भुज जी महाराज, पैगांव ।
५५—श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज, हुलवाना ।
५६—श्री ठाकुर राम चन्द्र जी महाराज, हताना ।
५७—श्री ठाकुर रघुनाथ जी महाराज, गुहेता १० वि० ।
५८—श्री ठाकुर सीताराम जी महाराज, कालैन ।
५९—श्री ठाकुर रघुनाथ जी महाराज, कालैन ।
६०—श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, कादोना ।
६१—श्री ठाकुर दाऊजी महाराज, तूमोला ।
६२—श्री ठाकुर सीताराम जी महाराज, आराई कलां ।
६३—श्री ठाकुर नन्दराम जी महाराज, नन्दगांव
६४—श्री ठाकुर गोविन्द चन्द्र जी महाराज, गाजीपुर
६५—श्री ठाकुर लाड़ली जी महाराज, बरसाना ।
६६—श्री ठाकुर बिहारी जी महाराज, भदावल ।
६७—श्री ठाकुर बन बिहारी जी, भहदावल ।
६८—श्री ठाकुर राधा विनोद उर्फ किशोरी मोहन, उमराया ।
६९—श्री ठाकुर राधा बिहारी जी महाराज व ठा० सालिगराम जी महाराज, बृन्दावन ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२–५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२३ पर)

बांदा जिले में १९६३, १९६४ तथा १९६५ में हुई कत्ल की घटनाओं का विवरण

वर्ष		मामलों की संख्या						
		कत्ल की घटनाओं की सं०	जिनमें चालान हुआ	जो सजा-याब हुए	जो रिहा हुए	जो न्याया-लय म विचारा-धीन हैं	जो लापता रहे	जिनमें जांच जारी है
१९६३	..	५६	३९	१	३०	–	१७	–
१९६४	..	६८	४३	२	३८	३	२५	–
१९६५	..	७४	४१	–	५	३६	१९	१४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

१	२	३	४	५
मेरठ डिवीजन				
१—देहरादून	७,२१,६५४–००	२,००,३६३–६३	९,२२,०१७–९३	
२—सहारनपुर	१७,६८,९९१–७६	२,२१,४७८–६७	१९,९०,४७०–४३	
३—मुजफ्फरनगर	२५,४९,६२३–४५	१,२०,५६४–१३	२६,६९,६८७–५८	
४—मेरठ	२९,७४,३८०–८५	८,१२,१९९–१८	३७,८६,५८०–०३	
५—बुलन्दशहर	१८,६१,९३७–९६	७४,९४३–७७	१९,३६,८८१–७३	
योग . .	९८,७६,०८८–०२	१४,२९,५४९–६८	१,१३,०५,६३७–७०	
आगरा डिवीजन				
६—अलीगढ़	१२,७७,२७९–३३	१,०५,२२७–००	१३,८२,५०६–३३	
७—मथुरा	५,५८,६९१–२८	१,००,०५७–४४	६,५८,७४८–७२	
८—आगरा	१०,६०,३३१–०६	४,७०,२५६–८३	१५,३७,५८७–८९	
९—मैनपुरी	२,८८,४८१–५६	१,०४,००६–४२	३,९२,४८७–९८	
१०—एटा	६,४८,५७६–८८	९२,४०७–७२	७,४०,९८४–६०	
योग . .	३८,३३,३६०–११	८,७८,९५५–४१	४७,१२,३१५–५२	
रुहेलखंड डिवीजन				
११—बरेली	१७,०२,९०७–७७	१,४८,३३२–१७	१८,५१,२३९–९१	
१२—बिजनौर	१४,७०,५२५–६१	९८,७६३–५९	१५,६९,२८९–२०	
१३—बदायूं	१५,७८,५३५–२२	२३,९१५–५४	१६,०२,४५०–७२	
१४—मुरादाबाद	२२,१०,०९१–१५	७८,८२०–१४	२२,८८,९११–२१	
१५—रामपुर	७,४२,८१६–४५	१२,१४२–१८	७,५४,९५८–६०	
१६—शाहजहांपुर	७,४३,०४२–४४	१०,७०,७६१–६८	१७,९३,८०४–१०	
१७—पीलीभीत	६,१०,४४७–५३	१२,३९०–८४	६,२२,८३८–३०	
योग . .	९०,५८,३६६–१७	१४,३५,१२६–१४	१,०४,८३,४९२–९४	

१	२	३	४	५
	इलाहाबाद डिवीजन			
१८	फर्रुखाबाद	११,०८,२३६–९४	७६,८८९–८५	११,८५,१२६–७९
१९	इटावा	७,१२,५३४–१९	३९,१७५–४५	७,५१,७०९–६४
२०	कानपुर	२९,८९,५८७–७५	२२,३०,०००–००	५२,१९,५८७–०५
२१	फतेहपुर	३,५५,६७०–४७	६५,६६९–९९	४,२१,३४०–४६
२२	इलाहाबाद	१९,३७,९८४–२५	५,३३,४७६–०७	२४,५१,४६०–३२
	योग . .	७०,८४,०१२–९०	२९,४५,२११–३६	१,००,२९,२२४–२६
	झांसी डिवीजन			
२३	झांसी	६,९२,४७२–८०	२,८३,३११–११	९,७५,७८३–९१
२४	जालौन	४,३२,९४३–७५	१४,०२९–००	४,४६,९७२–७५
२५	हमीरपुर	५,२२,४७१–८२	३०,७८१–५९	५,५३,२५३–४१
२६	बांदा	७,०५,६६४–३५	१६,०४६–००	७,२१,७६०–३५
	योग . .	२३,५३,५५२–७२	३,४४,१६७–७०	२६,९७,७२०–४२
	वाराणसी डिवीजन			
२७	वाराणसी	४,४९,७३९–९२	११,५९,४८६–९४	१६,०९,२२६–८६
२८	मिर्जापुर	६,८३,७४०–०७	१२,६८,२५९–१८	१९,५१,९९९–२५
२९	जौनपुर	४,६४,२८३–४३	२,५,४२७–८९	७,४९,७११–३२
३०	गाजीपुर	५,६१,९५५–७६	६,८७३–२२	५,८८,८२८–९८
३१	बलिया	४,५३,२२६–१२	९४,१६१–२०	४,८७,३८७–३२
	योग . .	२६,१२,९४५–३०	२७,७४,२०८–४३	५३,८७,१५३–७३
	गोरखपुर डिवीजन			
३२	गोरखपुर	१६,५६,०४६–२२	८,८४,३३३–०९	२५,४०,३७९–३१
३३	देवरिया	१४,२६,८७७–६६	३६,३००–१८	१४,६३,१७७–८४
३४	बस्ती	११,०८,९८९–४४	१२,६०३–३३	११,२१,५९२–७७
३५	आजमगढ़	१४,९६,८६६–२३	६०,०१०–२९	१५,५६,८७६–५२
	योग . .	५६,८८,७७९–५५	९,९३,२४६–८९	६६,८२,०२६–४४
	कुमायुं डिवीजन			
३६	नैनीताल	४,८२,५७१–६५	७४,६०९–५७	५,५७,१८१–२२
३७	अल्मोड़ा	३,४४,०१६–८०	२८,४७१–१०	९७२,४८७–९०
३८	गढ़वाल	४,०३,८९३–८९	५०,५९६–६३	४,५४,४९०–५२
३९	टेहरी-गढ़वाल	२,१६,५७०–८९	६,९६४–३५	२,२३,५३५–२४
	योग . .	१४,४७,०५३–२३	१,६०,६४१–६५	१६,०७,६९४–८८

१	२	३	४	५
	लखनऊ डिवीजन			
४०—	लखनऊ	२६,७०,३४५–५९	५०,४५,८२८–४९	७७,१६,१७४–०८
४१—	उन्नाव	२,२१,६५२–७१	३०,४०६–२९	२,५२,०५९–००
४२—	राय-बरेली	४,१८,८२७–७०	१३,९१०–९७	४,३२,७३८–६७
४३—	सीतापुर	६,३२,१७५–१५	६०,९९२–१२	६,९३,१६७–२७
४४—	हरदोई	८,६७,१७८–२८	५७,६९३–७५	९,२४,८७२–०३
४५—	खीरी	९,१८,२०५–५२	२८,७७६–८१	९,४६,९८२–३३
	योग . .	५७,२८,३८४–९५	५२,३७,६०८–४३	१०,९६,९९३–३८
	फैजाबाद डिवीजन			
४६—	फैजाबाद	१०,३८,२८९–४८	५९,८७२–७७	१०,९८,१६२–२५
४७—	गोंडा	८,८९,४६६–५३	४८,१४३–४४	९,३७,६०९–९७
४८—	बहराइच	८,४८,२७५–५१	१३,०८०–००	८,६१,३५५–५१
४९—	सुल्तानपुर	५,३२,८४४–८४	१०,८२९–६८	५,४३,६७४–५२
५०—	प्रतापगढ़	५,१५,३८९–४०	१०,१५६–५०	५,२५,५४५–९०
५१—	बाराबंकी	६,१५,४८३–८०	१३,४२७–२४	६,२८,९११–०४
	योग . .	४४,३९,७४९–५६	१,५५,५०९–६३	४५,९५,२५९–१९
	उत्तराखंड डिवीजन			
५२—	पिथौरागढ़	२,५५,९३९–३६	२,४५५–९४	२,५८,३९५–३०
५३—	चमोली	१,५८,५२८–३१	२,४९३–३०	१,६१,०२१–६१
५४—	उत्तरकाशी	१,४९,३७५–१०	४,९४४–२५	१,५४,३१९–३५
	योग . .	५,६३,८४२–७७	९,८९३–४९	५,७३,७३६–२६
	कुल योग . .	५,२६,८६,१३५–२८	१,६३,१४,११८–८१	६,९०,४०,२५४–०९
			दूसरे खातों का गलत जमा होने से वापस किया गया . .	५,१९३–१७
				६,९०,३५,०६०–९२

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२५ पर)

जिलाधीश मथुरा द्वारा बुलाई गयी विभागीय मीटिंग के दिनांक व समय

दिनांक		समय	
१—८—१—६५	..	.. १०—३०	बजे
२—२१—१—६५	..	.. ३—००	,,
३—३—२—६५	..	.. १२—००	,,
४—८—२—६५	..	.. १२—००	,,
५—१९—२—६५	..	.. ११—००	,,
६—२६—२—६५	..	.. ११—००	,,
७—१५—३—६५	..	.. १२—००	,,
८—२०—३—६५	..	.. ३—००	,,
९—२७—३—६५	..	.. ३—००	,,
१०—८—४—६५	..	.. ११—००	,,
११—१७—४—६५	..	.. ११—००	,,
१२—२४—४—६५	..	.. ३—००	,,
१३—३—५—६५	..	.. ४—००	,,
१४—११—५—६५	..	.. ११—००	,,
१५—१३—५—६५	..	.. ११—००	,,
१६—२०—५—६५	..	.. ११—००	,,
१७—२२—५—६५	..	.. ११—००	,,
१८—१५—६—६५	..	.. ११—००	,,
१९—२५—६—६५	..	.. १—३०	,,
२०—२६—६—६५	..	.. ११—००	,,
२१—१—७—६५	..	.. ५—००	,,
२२—८—७—६५	..	.. १०—००	,,
२३—१०—७—६५	..	.. १०—००	,,
२४—१३—७—६५	..	.. ११—३०	,,
२५—१९—७—६५	..	.. ११—००	,,
२६—३—८—६५	..	.. १०—३०	,,
२७—६—८—६५	..	.. १०—००	,,
२८—१०—८—६५	..	.. ११—००	,,
२९—१९—८—६५	..	.. ११—००	,,
३०—२१—८—६५	..	.. १०—००	,,

दिनांक		समय	
३१—२१-८-६५	..	.. ३-३०	बजे
३२—२७-८-६५	..	.. ४-००	,,
३३—३०-८-६५	..	.. १२-००	,,
३४—२३-९-६५	..	.. १२-००	,,
३५—११-१०-६५	..	.. ११-००	,,
३६—११-११-६५	..	.. १२-३०	,,
३७—१७-११-६५	..	.. १२-३०	,,
३८—२०-११-६५	..	.. ११-००	,,
३९—६-१२-६५	..	.. ११-३०	,,
४०—२०-१२-६५	..	.. १२-००	,,
४१—२४-१२-६५	..	.. २-००	,,
४२—७-१-६६	..	.. १२-००	,,
४३—८-१-६६	..	.. ११-३०	,,

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२८ पर)

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए चन्दा

अभिकरण जो इसे प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत हैं:

ऐसी सूचनायें मिली हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये चन्दे की वसूली बहुत से अभिकरणों तथा व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। जनता को यह सलाह दी गयी है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका चन्दा या तो उसे लेने वाले सरकारी केंद्रों में जमा किया जाय या वे अपना चन्दा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत अभिकरणों या व्यक्तियों को दें।

बैंकों तथा डाकघरों को छोड़कर ऐसे चन्दे लेने के लिये अन्य प्राधिकृत अभिकरण राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे और सर्व साधारण की सूचना के लिये विज्ञापित किये जायेंगे। दिल्ली में इन अभिकरणों का अनुमोदन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बनी मेयर की परिषद् (Mayor's Council) द्वारा किया जायगा और पृथक रूप से उनका विज्ञापन किया जायगा। नागरिक केंद्रीय परिषद् (Citizens Central Couneil) भी एक प्राधिकृत अभिकरण है और इन परिषद् को दान की धनराशि भेजी जा सकती है।

चन्दे निम्नलिखित सरकारी अभिकरणों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं:—

(१) रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सभी शाखायें।

(२) स्टेट बैंक आफ इंडिया उसके सहायक बैंकों, अर्थात् स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, ट्रावंकोर, सौराष्ट्र, पटियाला और बीकानेर तथा जयपुर का कोई भी कार्यालय।

(३) निम्नलिखित बैंकों की सभी शाखायें: इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, देवकरन नान जी बैंकिंग कम्पनी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, नेशनल ऐंड ग्रिन्डलेज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, बैंक आफ इंडिया, जम्मू तथा कश्मीर बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ राजस्थान तथा आंध्र बैंक।

(४) समस्त राज्य सहकारी बैंक।

(५) कोई भी डाकघर।

प्राधिकृत अभिकरणों तथा बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस चन्दे के लिये, जो उन्हें प्राप्त हो, दाताओं को नियमित रसीद दे दें। ऐसे चन्दों के संबंध में मनी आर्डर कमीशन या बैंक शुल्क (Chargcs) देय नहीं है और चन्दा एकत्र करने वाले अभिकरण इन चन्दों की धनराशियों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नयी दिल्ली की केंद्रीय लेखा निधि में कोई शुल्क लिये बिना संक्रमित कर देंगे।

यह प्रबन्ध किया गया है कि जो कर्मचारी नियमित रूप से यह चन्दा देना चाहते हैं उनके चन्दे मासिक वेतन बिलों से काट लिये जायं। पेंशन तथा निजी कोष (Privy Purses) से भी कटौती कराकर चन्दा दिया जा सकता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों के किसी भी सोने और चांदी की वस्तुओं और गहनों तथा जवाहरात के रूप में चन्दे दिये जा

इनामी बांडों तथा केंद्रीय और राज्य सरकार के ऋणों की प्रतिभूतियों के रूप में भी चन्दे दिये जा सकते हैं। बचत प्रमाणपत्र चन्दे के लिये समय से पहले भुनाने के लिये पेश किये जा सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त धन मनीआर्डर से बिना मनीआर्डर कमीशन दिये ही भेजा जा सकता है।

बैंकों और डाकघरों से भिन्न अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा भी चन्दे वस्तु के रूप में लिये जायेंगे। किन्तु जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे फल मिठाइयों और साथ ही पुराने कपड़ों जैसी जल्दी से खराब हो जाने वाली वस्तुयें चन्दे के रूप में न दें।

वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली

१ अक्तूबर, १९६५।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१७ एल० ए०—१९६६—८६२।